



राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

36 वीं वार्षिक रिपोर्ट 2010-11

National Film Development Corporation Limited
(A Government Of India Enterprise)

36th Annual Report 2010-11


विषय सूची

CONTENTS

निदेशक मंडल Board of Directors	3
सूचना Notice	4
अंशधारकों को प्रबंध निदेशक की टिप्पणी MD's Letter to share holder	5
निदेशकों का रिपोर्ट Director's Report	6-12
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट Management Discussion and Analysis Report	13-16
कांफरेंट गवर्नेन्स पर रिपोर्ट Report on Corporate Governance	17-21
कांफरेंट गवर्नेन्स का प्रमाणपत्र Certificate of corporate Governance	22
राष्ट्रपतिक निदेश Presidential Directives.....	23-25
तुलन पत्र Balance Sheet	26
लाभ व हानि लेखा Profit & Loss Account	27-28
अनुसूचियाँ Schedules	29-43
लेखों पर टिप्पणियाँ Significant Accounting Policies.....	44-47
तुलन पत्र से संलग्न रोकड प्रवाह विवरण 31 मार्च, 2011 की समाप्त अवधि के लिए Cash Flow Statement Annexed to the Balance Sheet For the Year Ended 31st March 2011	48-49
लेखा परीक्षकों का रिपोर्ट Auditor's Report	50-51
वर्ष 2010-11 के लेखाओं पर लेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन की तरफ से प्रत्युत्तर Reply of Management to the Auditor's Comments on the Accounts for the year 2010-11	52-55
भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणी Comments of CAG of India	56
तुलन - पत्र सारांश और कोर्पोरेशन का सामान्य व्यवसाय प्रोफाइल Balance Sheet Abstract & corporation General Busines Profile	57-58

पंजीकृत कार्यालय :	डिस्कवरी ऑफ इंडिया (6 वी मंजिल), नेहरु सेंटर, डॉ. अनी बेसंट रोड, वरली, मुंबई - 400 018.	Registered Office :	Discovery of India Building (6th Floor), Nehru Center, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400 018.
क्षेत्रीय कार्यालय :	चेन्नई नं. 3, भवानी मेशन, चौथी गली, नुगमबक्कम हाई रोड, चेन्नई - 600 034.	Regional Offices :	CHENNAI No. 3, Bhavani Mansion, 4th Street, Nugambakkam High Road, Chennai- 600 034.
	कोलकाता आर. आय. सी. इंडस्ट्रीयल इस्टेट कंपाऊंड, बैनर्जी रोड, पर्नाश्री, बेहाला, कोलकाता - 700 060.		KOLKATA R.I.C. Industrial Estate Compound, Upen Banerjee Road, Parnasree, Behala, Kolkata - 700 060.
	नई दिल्ली चौथा मजला, सूचना भवन, फेज १, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003.		NEW DELHI 4th Floor, Soochana Bhavan, Phase 1, C. G. O. Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110 003.
शाखा कार्यालय :	तिरुवनन्तपुरम द्वारा - के. एस. एफ. डी. सी. लिमिटेड, चलचित्र कलाभवन, तिरुवनन्तपुरम - 695 014.	Branch Office :	THIRUVANANTHAPURAM C/o. KSFD Limited Chalachitera Kalabhavan, Thiruvananthapuram - 695 014.
बैंक :	एच. डी. एफ. सी. बैंक भारतीय स्टेट बैंक स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर इंडियन बैंक पंजाब नेशनल बैंक आयडीबीआई येस बैंक	Bankers	H.D.F.C. BANK STATE BANK OF INDIA STATE BANK OF TRAVANCORE INDIAN BANK PUNJAB NATIONAL BANK IDBI BANK YES BANK
लेखा परीक्षक :	मेसर्स पी. डी. दलाल एन्ड कंपनी सनदी लेखाकार सी-42 / एन-4, अमर ज्योती को.ऑप. हौ.सो., महात्मा गांधी मेमोरियल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-14, वाशी, नवी मुंबई - 400 705.	Auditors	M/s. P. D. Dalal & Co. Chartered Accountants C-42 / N-4, Amar Jyoti Co.Op. Hsc. Soc., Mahatma Gandhi Memorial Complex, Sector 14, Vashi, New Mumbai - 400 705.

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS



श्री ओम पुरी
अध्यक्ष
(2 अप्रैल 2011 तक)
Shri Om Puri
Chairman
(upto 2nd April 2011)



नीना लाठ गुप्ता
प्रबंध निदेशक
Nina Lath Gupta
Managing Director



श्री. साहब नारायण
निदेशक (वित्त)
(26 अक्टूबर 2010 से)
Shri Sahab Narain
Director (Finance)
(From 26th Oct 2010)



दीपाली खन्ना
अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
()
Dipali Khanna
Additional Secretary & Financial Advisor
Information & Broadcasting Ministry



श्री. डी. पी. रेड्डी
संयुक्त सचिव (फिल्मस्)
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
(17 फरवरी 2010 से)
Shri D. P. Reddy
Joint Secretary (Films)
Information & Broadcasting Ministry
(From 17th February 2010)



श्री केतन मेहता
निदेशक
(24 जून 2011 तक)
Shri Ketan Mehta
Director
(Upto 24th June 2011)



श्री जानु बरुआ
निदेशक
(24 जून 2011 तक)
Shri Jahnu Barua
Director
(Upto 24th June 2011)

सूचना | NOTICE

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड की ३६वीं. सर्वसाधारण सभा शनिवार, 24 सितंबर 2011 को दोपहर 2 बजे, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल कक्ष, 7 वी. मंजिल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बिल्डिंग, नेहरू सेंटर, डॉ. ए. बी. रोड, वरली, मुंबई 400018 में निम्नलिखित विषयों के संपादनार्थ होगी.

सामान्य विषय :

1. 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष की निदेशकों की रिपोर्ट तथा निगम के लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों एवं उन पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियां प्राप्त करना, उन पर विचार करना तथा संशोधन सहित या संशोधन रहित निम्नलिखित संकल्प को एक सामान्य संकल्प के रूप में पारित की गई.

“संकल्पित है कि दिनांक 31 मार्च 2011 के लेखा परीक्षित तुलनपत्र और दिनांक 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिये लाभ और हानि लेखे, निदेशकों की रिपोर्ट, तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित प्राप्त किये उन पर विचार किया गया तथा पारित की गई.

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(ई. जे. पॉल)

कंपनी सचिव / प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

दिनांक : 20/09/2011

स्थान : मुंबई

टिप्पणी :

- 1) सभा में उपस्थित रह कर मत देने का अधिकार प्राप्त सदस्य अपने स्थान पर मत देने के लिये परोक्षी की नियुक्ति कर सकते हैं. परोक्षी कंपनी का सदस्य हो यह आवश्यक नहीं.

सेवा में,
सभी अंशधारीगण, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting of the National Film Development Corporation Limited will be held on Saturday, the 24th September 2011 at 2.00 p.m. in the Board Room of NFDC, at 7th Floor, Discovery of India Building, Nehru Centre, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai-400 018 to transact the business mentioned herein below:

ORDINARY BUSINESS:

1. To read, consider and adopt the Director's Report and Audited Annual Accounts of the Corporation for the year ended 31st March 2011 and Auditors' Report and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon and to pass with or without modification the following Resolution as an Ordinary Resolution.

“**RESOLVED** that the Audited Balance Sheet as on 31st March, 2011 and the Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2011 together with the Director's Report and the Auditors' Report and the comments of the Comptroller and Auditor General of India are hereby read, considered and adopted.”

By Order of the Board of Directors

(E.J.PAUL)

COMPANY SECRETARY/MANAGER(F&A).

Date: 20/09/2011

Place: Mumbai

Note:

1. A Member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and vote instead of himself and the Proxy need not be a member.

To,
All Share Holders of NFDC

अंशधारकों को प्रबंध निदेशक की टिप्पणी

MANAGING DIRECTOR'S LETTER TO SHARE HOLDERS

निदेशकों की रिपोर्ट

DIRECTORS REPORT

सेवा में,
अंशधारकों

31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखों सहित 36 वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए निगम को प्रसन्नता हो रही है।

1. कार्य निष्पादन पर एक नज़र :

क. वित्तीय वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2010-11 के लिए निगम के प्रदर्शन के मुख्य बिंदु निम्न अनुसार है :

	रकम ₹ में	
मापदण्ड	2010-11	2009-10
सकल राजस्व	18499.69	6820.49
सकल लाभ (ईबीआईडीटीए)	698.57	68.19
कर से पहले लाभ	155.34	(769.67)
पूंजी निवेश	1914.09	1236.36
कुल लागत	1235.55	(2073.07)

ख. टर्नअराउंड :

एकदशक से अधिक समय तक हानि तथा टर्नओवर में गिरावट के बाद, एनएफडीसी विगत दो क्रमबद्ध वर्षों में लगातार कार्य निष्पादन के साथ टर्नओवर बढ़ाने में सक्षम हो सका है। पिछले वर्ष की तुलना में रु. 6820 लाख से बढ़कर इस वर्ष में निगम का कुल राजस्व 172 प्रतिशत तक यानि रु. 18500 लाख तक बढ़ा है। सकल लाभ (ईबीआईडीटीए) पिछले वर्ष की तुलना में रु. 68 लाख से बढ़कर 929 प्रतिशत यानि रु. 698 लाख तक बढ़ा है और पिछले वर्ष की तुलना में रु. 770 लाख के नुकसान की अपेक्षा कर के बाद लाभ में रु. 155 लाख का बढ़ोत्तरी हुई है।

ग. भारत सरकार की पुनरुद्धार योजना :

पिछले दशक तथा अधिक अवधि से, एनएफडीसी को हुई हानियों की वजह से अपनी विकासात्मक गतिविधियों में गंभीर बाधा आयी थी। वित्तीय वर्ष 2008-09 में इन नुकसान को झेलते हुए, एनएफडीसी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआरपीएसई) द्वारा कमजोर पीएसई के रूप में प्रस्तुत को भेजा गया को अधिसूचित किया। मार्च 2010 में कंपनी के नवीनीकरण करने की योजना को बीआरपीएसई के समक्ष जमा किया गया, जिसे बीआरपीएसई द्वारा सम्पूर्ण रूप से सिफारिश करते हुए भारत सरकार के लिए आया और दि. 30 सितंबर 2010 को यूनियन कैबिनेट द्वारा जारी पत्र क्र.202/32/2009-एफ (पीएसयू)(वोल.-2) द्वारा मंजूर किया गया। सरकार ने एनएफडीसी को रिवाइव करने के लिए निम्नलिखित मापदंडों को मंजूरी दी :

- ☞ एनएफडीसी में रु. ३ करोड़ की अतिरिक्त इक्विटी का समावेश
- ☞ रु. 1977 लाख की शेष सरकारी कर्ज के साथ-साथ रु. 863 लाख के उसकी संचित ब्याज को इक्विटी में परिवर्तित करना।

इसके अनुसार, वर्ष 31.03.2011 तक, एनएफडीसी ने वर्ष के दौरान भुगतान की गई पूंजी रु. 1399.99 लाख से बढ़कर रु. 4539.99 लाख हो गई।

घ. अंश पूंजी :

निरंतर क्रमबद्ध तरीके से बढ़ते हुए, कंपनी की अधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी रु.1400 लाख और रु. 1399.99 लाख से बढ़कर रु. 4540 लाख और रु. 4539.99 लाख तक हो गई।

To,
The Shareholders

The Directors have pleasure in presenting the Thirty Sixth Annual Report together with Audited accounts of the Corporation for the financial year ended March 31, 2011.

1. PERFORMANCE HIGHLIGHTS

a. The highlights of performance of the company for the year 2010-11 as against the performance in F.Y. 2009-10 were as under:

	Amt. in ₹	
Parameters	2010-11	2009-10
Gross Revenues	18499.69	6820.49
Gross Margin (EBIDTA)	698.57	68.19
Profit before Tax	155.34	(769.67)
Capital Employed	1914.09	1236.36
Net Worth	1235.55	(2073.07)

b. Turnaround

After more than a decade of recurring losses and declining turnover, NFDC was able to establish a consistent turnover escalation in performance for two financial years in a row. The total revenue of the Corporation for the year increased by 172% to Rs.18500 lakhs from Rs.6820 lakhs during the previous year. The Gross Margin (EBIDTA) increased by 929 % to Rs.698 lakhs from Rs.68 lakhs for the previous year and profit after tax increased to Rs.155 lakhs from a loss of Rs.770 lakhs for the previous year

c. Revival Plan of Government of India

In the past decade and more, NFDC suffered heavy losses on account of which its developmental mandate was seriously hampered. Given these losses, in F.Y. 2008-09, NFDC was notified a sick PSE by the Board of Restructuring of Public Sector Enterprises (BRPSE). A plan for revival of the company was submitted to BRPSE in March 2010 which was recommended by BRPSE in entirety to the Government of India and in turn approved by the Union Cabinet vide letter No.202/32/2009-F(PSE)(Vol-II) dated 30th September 2010. The Government approved the following measures to revive NFDC:

- ☞ Infusion of additional equity of Rs.300 lakhs into NFDC
- ☞ Conversion of the outstanding Government loan of Rs.1977 lakhs, along with accumulated interest thereon of Rs.863 lakhs, into equity.

Accordingly, NFDC's paid-up capital, during the year, increased from Rs.1399.99 Lakhs to Rs.4539.99 Lakhs as on 31.3.2011.

d. Share Capital

Subsequent to the foregoing, the Authorised and Paid-up Capital of the company has increased from Rs.1400 lakhs and Rs.1399.99 lakhs to Rs. 4540 lakhs and Rs. 4539.99 Lakhs respectively.

ड. लाभांश

मार्च 31, 2011 के अनुसार रु. 3307 लाख के निरंतर बढ़ते हुए नुकसानों के कारण, मार्च 31, 2011 को समाप्त वर्ष के लाभांश के भुगतान के लिए संस्तुति नहीं की गई।

च. भारत सरकार द्वारा अनुदान सहायता :

वर्ष 2008 से, भारत सरकार ने एनएफडीसी के व्यावसायिक और विकासात्मक भूमिका को विभाजित करने की आवश्यकता महसूस की और उसके अनुसार एनएफडीसी द्वारा की जाने वाली प्रमुख विकासशील गतिविधियों के लिए ग्रांट-इन-एड उपलब्ध कराने में सहमति प्रदान की। इस नीति को बी आर पी एस ई द्वारा संस्तुत और यूनियन के बजट द्वारा अनुमोदित एनएफडीसी के रियायत प्लान में समर्थन किया गया है। इसके अनुरूप :

१. वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म निर्माण के लिए रु. 999 लाख का अनुदान सहायता की मंजूरी दी है।
२. पुरानी फिल्मों की रीस्टोरेशन और डिजिटाइजेशन के लिए रु. 500 लाख की राशि दी गई है।

२. वित्तीय समीक्षा**क. वित्तीय परिणामों का विवरण**

31 मार्च, 2011 के अंत तक के अनुसार कंपनी के वित्तीय परिणामों का विवरण निम्न अनुसार है :

	(रकम ₹ में)	
विवरण	2010-11	2009-10
सकल आय	18499.69	6820.48
प्रावधान/कर/असाधारण व्यय/मूल्य न्हास से पहले लाभ	698.57	68.18
वीआरएस खर्चों का परिशोधन	426.02	307.35
वित्तीय खर्च	3.13	300.68
अशोध ऋण बट्टेखाते में डालें	-	152.74
संदेहास्पद ऋण /अग्रिम के लिए प्रावधान	28.34	4.13
मूल्य न्हास	81.31	72.97
प्रारंभिक खर्च	4.44	-
कर से पहले लाभ/(हानि)	155.34	(769.67)
कर के लिए प्रावधान	-	-
शुद्ध लाभ/(हानि)	155.34	(769.67)
जोड़/(घटाएं) : पिछले वर्ष का समंजन	(4.58)	(17.37)
जोड़/(घटाएं) : अतिरिक्त प्रावधान वापिस	17.88	73.86
लाभ/हानि एप्रोप्रिएशन के लिए उपलब्ध	168.63	(713.19)
घटाएं : लाभ/(हानि)) आगे लाया गया	(3475.39)	(2762.21)
तुलन पत्र पर ले जाए गए शेष	(3306.76)	(3475.39)

e. Dividend

Due to accumulated and carried forward losses of Rs.3307 lakhs as on March 31, 2011, payment of dividend is not recommended for the year ended March 31, 2011.

f. Grant-in-Aid from Government of India

Since 2008, the Government of India has recognized the need to bifurcate the development and business roles of NFDC and has accordingly consented to support its development activities by providing Grant-in-Aid for some of the major development activities undertaken by NFDC. This policy view was also ratified in the Revival Plan of NFDC recommended by BRPSE and approved by the Union Cabinet Accordingly:

- i. During the financial year 2010-11, the Ministry of information and Broadcasting sanctioned a Grant-in-Aid of Rs.999 lakhs for film production.
- ii. An amount of Rs.500 lakhs for restoration and digitization of old films.

2. FINANCIAL REVIEW**a. Summary of Financial Results**

The summary of financial results of the company for the year ended March 31, 2011 is given below

	(₹ in lakhs)	
Particulars	2010-11	2009-10
Gross Income	18499.69	6820.48
Profit before provision/tax/extra ordinary expenses/Depreciation	698.57	68.18
Amortization of VRS Expenses	426.02	307.35
Financial Expenses	3.13	300.68
Bad Debts written off	-	152.74
Provision for Doubtful debts/advances	28.34	4.13
Depreciation	81.31	72.97
Preliminary Expenses	4.44	-
Profit/(Loss) Before Tax	155.34	(769.67)
Provision for Tax	-	-
Net Profit/(Loss)	155.34	(769.67)
Add/(Less): Prior Year adjustments	(4.58)	(17.37)
Add/(Less): Excess Provision written back	17.88	73.86
Profit/(Loss) available for appropriation	168.63	(713.19)
Less: Profit/(loss) brought forward	(3475.39)	(2762.21)
Balance Carried to Balance Sheet	(3306.76)	(3475.39)

ख. वृद्धि :

वित्तीय वर्ष 2010-11 में, कंपनी ने सकल राजस्व में 171 प्रतिशत की बढ़ोतरी का रिकॉर्ड दर्ज किया है तथा पिछले वर्ष की तुलना में ईबीआईडीटीए में तकरीबन दस गुनी बढ़ोतरी अर्जित किया है। कंपनी ने वि. व. 2008-09 से वि.व. 2010-11 के राजस्व में 226.92 प्रतिशत का कंपाउंड एन्युएल ग्रोथ रेट (सीएजीआर) राजस्व का रिकॉर्ड दर्ज किया है। वर्ष के दौरान वीआरएस के इच्छुक कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति के रूप में रु. 426.02 लाख के भुगतान उपलब्ध करने के बाद, कंपनी ने वर्ष के दौरान रु. 155 लाख का शुद्ध लाभ रिकॉर्ड दर्ज कराया है।

ग. निवल संपत्ति :

31 मार्च, 2011 के अनुसार कंपनी का नेट वर्थ रु. 1236 लाख तक का रहा है (पिछले वर्ष रु. 2073.07 लाख (ऋणात्मक)।

घ. विदेशी मुद्रा और खर्च के संरक्षण के बारे में :

वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा विनिमय व्ययों समीक्षा के अधीन जिन्हें वार्षिक लेखों के अंगभूत पर टिप्पणियों से सम्बंधित विवरण अनुसूची 25 के क्र.सं. 41 में दिया गया है। गत वर्ष की तुलना में विदेशी मुद्रा में व्यय रु. 82.10 लाख (गत वर्ष रु. 52.81 लाख) का है।

३. निदेशकों की जिम्मेदारी का विवरण :

कंपनी अधिनियम, 1956 के सेक्शन 217 (2एए) से संबंधित, यह पुष्ट किया जाता है कि -

- 31 मार्च, 2011 के अंत तक की अवधि के लिए वार्षिक लेखा तैयार करने में वही मापदण्ड अपनाए गये हैं इसके साथ ही दी गई सामग्रियों के लिए उचित विवरण, यदि हो, को भी शामिल किया गया है,
- ऐसी लेखा पॉलिसी का चयन करके लागू किया गया है, तथा उनका अनुमान एवं आकलन उपयुक्त एवं सही हो, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत तक कंपनी के मामले को स्वच्छ छवि के रूप में देखा जा सके, और कंपनी की उस अवधि के दौरान लाभ या नुकसान का भी विवरण का पता चल सके।
- कंपनी की संपत्तियों के संरक्षण के लिए कंपनी एक्ट, 1956 के प्रावधानों द्वारा पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड की देखभाल के लिए सही एवं पर्याप्त सुरक्षा की आवश्यकता है, तथा धोखेबाजी की जांच एवं अन्य अनियमितताओं से भी संरक्षण करना अनिवार्य है।
- वार्षिक लेखा की तैयारी निरंतर संबंधित विषयों के आधार पर तैयार किया जाता है।

4. व्यापारिक गतिविधियां :
क. फिल्म निर्माण :

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एनएफडीसी के माध्यम "एनएफडीसी द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म का निर्माण की योजना का संपादन किया था। इसी क्रम में, एनएफडीसी ने अपने मौजूदा मार्गदर्शनों के अंतर्गत फिल्म निर्माण आरंभ किया जिसका मुख्य उद्देश्य नए/पुराने यादगार फीचर फिल्म निर्माताओं को उनके पहले फीचर फिल्मों के लिए 100 प्रतिशत सहायता प्रदान करना है और भारत तथा विदेश में अच्छी गुणवत्ता फिल्मों में निजी व्यक्तियों तथा हिस्सेदारी को सह-निर्माता के लिए अपनाना है।

वर्ष 2010-11 के दौरान, विभिन्न स्तरों पर अनेक फिल्म परियोजनाएं प्रक्रिया के अंतर्गत हैं, जिनका विवरण निम्न अनुसार है :

b. Growth

In the financial year 2010-11, the company has recorded a growth of 171% in Gross Revenue and almost a ten-fold growth in EBIDTA over previous year. Company recorded a Revenues Compound Annual Growth Rate (CAGR) of revenue from F.Y. 2008-09 to F.Y. 2010-11 is 226.92%. The company recorded a Net Profit of Rs.155 lakhs during the year after providing for Rs.426.02 lakhs on account of payment of compensation to employees who availed VRS during the year.

c. Net Worth

The net worth of the company stands at Rs.1236 Lakhs as on March 31, 2011 (Previous year Rs.2073.07 Lakhs (Negative).

d. Particulars regarding conservation of Foreign Exchange Earnings and Outgo

The particulars regarding foreign exchange outgo during the year under review are given in point no. 41 of Schedule 25 to Notes on Accounts forming part of the Annual Accounts. Earning in foreign exchange is Rs.200.08 Lakhs against Rs.126.35 Lakhs in the previous years and expenditure in Foreign currency is Rs.82.10 Lakhs (Rs.52.81 Lakhs).

3. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Pursuant to Section 217 (2AA) of the Companies Act, 1956, it is hereby confirmed that -

- In the preparation of the Annual Accounts for the period ended March 31, 2011, the applicable accounting standards have been followed, along with proper explanation relating to material departures, if any;
- Such accounting policies are selected and applied consistently, and judgments and estimates made that are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year, and of the profit or loss of the company for that period.
- Proper and sufficient care is taken for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956, for safeguarding the assets of the company, and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- The annual accounts have been prepared on a going concern basis.

4. BUSINESS ACTIVITIES
a. Film Production

Under the Eleventh Five-Year Plan, the Ministry of Information and Broadcasting executed its Plan Scheme "Film production film in various regional languages by NFDC" through NFDC. Against the same, NFDC produces films under its existing guidelines for film production whereby it aims to encourage new/debutant feature film makers by undertaking 100% production of their first feature films and to co-produce good quality films in partnership with private players both from India and abroad.

During the year 2010-11, various films projects were under process at various stages, details of which are as under :

क्र. सं.	फिल्म का नाम	निर्देशक	भाषा
1	एज द रिवर फ्लोज	विद्युत कोटोकी	असमिया/हिंदी
2	संस्कार	स्व. नब्येंदु चटर्जी	बंगाली
3	गुड रोड	ग्यान कोरिया	गुजराती
4	ही..	मंगेश जोशी	भोजपुरी
5	अन्हे घोरे दा दान	गुरबिंदर सिंह	पंजाबी
6	गंगूबाई	प्रिया कृष्णास्वामी	मराठी/हिंदी/अंग्रेजी
7	आदिगरम 79	विनोद रविशंकर	तमिल

एनएफडीसी के द्वारा देशीय और/या अंतराष्ट्रीय निर्माताओं के सह-निर्माण वाली फिल्में:

क्र. सं.	फिल्म का नाम	सह निर्माता	निर्देशक	भाषा
1	किस्सा	हेइमत फिल्मस, जर्मनी	अनूप सिंह	पंजाबी
2	जल	क्लैप्स्टेम	गिरीश मलिक	हिंदी
3	मंजुनाथ	आईसीओएमओ	संदीप वर्मा	हिंदी
4	शंघाई	पीवीआर और डीबीपी	दिबाकर बॅनर्जी	हिंदी

इस वर्ष के दौरान, दैट गर्ल इन येलो बूट्स, फीचर फिल्म को अनुराग कश्यप फिल्म प्रोडक्शन के साथ सह-निर्माण एवं अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित सफलतापूर्वक पूरा किया गया तथा वाणिज्यिक क्षेत्र पर इसका वितरण हुआ है। इसके अलावा, यह फिल्म यूएसए और यूके में भी रिलीज की गई। अन्य फिल्मों के साथ-साथ, इस फिल्म को भी टॉरेंटो अंतराष्ट्रीय फिल्म समारोह और वैनिस अंतराष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया।

कोकणी फिल्म पलताडचो मुनिस, पहली फिल्म के निर्माता लक्ष्मीकांत शेटगांवकर द्वारा निर्देशित, जिसने बेहतरीन कोकणी फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय अवार्ड जीतने के साथ ही लॉस एंजेलिस में भारतीय फिल्म में से सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ग्रांड ज्युरी प्राइज जीता था। इस फिल्म को टॉरेंटो अंतराष्ट्रीय फिल्म समारोह में एफआईपीआरआईएससीआई अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया।

ख. सरकारी ग्राहकों के लिए निर्माण और प्रचार कार्य :

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान एनएफडीसी द्वारा, तीन कोर्पोरेट फिल्म, 52 ऑडियो/विडियो विज्ञापन, सात लघु/दस्तावेजी फिल्म और 184 ऑडियो/विडियो कार्यक्रम धारावाहिकों को सरकारी ग्राहकों के लिए निर्माण किया गया है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और पीएसयू के लिए 137 ऑडियो/विडियो विज्ञापनों को अलग-अलग भाषाओं में डब किया गया है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने विभिन्न सरकारी ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैम्पेन की रिलीज द्वारा तकरीबन रु. 162.33 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया है। कुल 17 सरकारी विभागों में इन सेवाओं को उपलब्ध कराया गया है।

ग. निर्यात :

विदेशी बाजारों में फिल्मों के अपने कैटलॉग को प्रोत्साहन देने के अलावा, वितरण विभाग भारतीय सिनेमा और भारतीय फिल्म निर्माताओं को विदेशों में प्रोत्साहन के विकासत्मक लक्ष्य को भी पूरा कर रहा है। भारत में विदेशी ग्राहकों के लिए सेवाओं की शुरुआत भी कर दी गई है, जैसे कि एसएबीसी, दक्षिण अफ्रीका के लिए एनएफडीसी द्वारा मैजिक सेलर-2 की एनिमेशन श्रृंखला के 32 एपिसोड का निर्माण किया गया है।

घ. आयात :

1980 के दशकों में, एनएफडीसी विदेशी फिल्मों का एक महत्वपूर्ण आयातक तथा वितरक के रूप में हुआ करता था, निजी क्षेत्र में विदेशी फिल्मों के भारतीय खरीददारों के उद्भव होने का कारण 1990 में इस व्यापार में गिरावट आई। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य

Sl.	Name of the Film	Director	Language
1	As the River Flows	Bidyut Kotoky	Assamese/Hindi
2	Sanskar	Late Nabyendu Chatterjee	Bengali
3	Good Road	Gyan Correa	Gujarati
4	He..	Mangesh Joshi	Bhojpuri
5	Anhey Ghorey Da Daan	Gurvinder Singh	Punjabi
6	Gangoobai	Priya Krishnaswamy	Marathi/Hindi/English
7	Adigaram 79	Vinod Ravishankar	Tamil

Films being co-produced by NFDC with domestic and/or International producers

Sl.	Name of the Film	Co-Producer	Director	Language
1	Qissa	Heimat Films, Germany	Anup Singh	Punjabi
2	Jal	Clapstem	Girish Malik	Hindi
3	Manjunath	ICOMO	Sandeep Verma	Hindi
4	Shanghai	PVR & DBP	Dibakar Banerjee	Hindi

During the year, the feature film *That Girl In Yellow Boots*, co-produced with Anurag Kashyap Films Production and directed by Anurag Kashyap, was successfully completed and distributed in the commercial circuit. In addition, the film has also been released in USA and UK. The film was also showcased in the Toronto International Film Festival and the Venice International Film Festival, amongst others.

The Konkani film *Palatadacho Munis*, directed by debutant filmmaker Laxmikant Shetgaonkar, won the National Award for the Best Feature Film in Konkani and was also honoured with the Grand Jury Prize for Best Film at the Indian Film Festival at Los Angeles. The film was also conferred the FIPRESCI Award at the Toronto International Film Festival.

b. Production and Publicity for Government Clients

During the Financial Year 2010-11, three Corporate Films, 52 audio/video advertisements, seven short/documentary films and 184 audio/video programme episodes were produced by NFDC for Government clients. 137 audio/video advertisements were dubbed in different languages for various Ministries/departments and PSUs.

During the year, the company recorded a turnover of Rs.162.33 crores on account of release of electronic media campaigns for various Government clients. The total number of Government departments to whom these services were rendered was 17.

c. Exports

Apart from monetizing its catalogue of films in overseas markets, the Department of Overseas Distribution also undertakes the developmental mandate of promoting Cinemas of India and Indian filmmakers abroad. It has also undertaken initiatives to execute services for overseas clients in India, for instance, 32 episodes of the animation series *Magic Cellar II* have been produced by NFDC for SABC, South Africa.

d. Imports

While previously in the 1980s, NFDC used to be a significant importer and distributor of foreign films, the business declined in the 1990s with the emergence of Indian buyers of foreign

में, विदेशी सिनेमा (हॉलीवुड फिल्मों के अलावा) के वितरण के लिए आयात बाजार विभिन्न स्वरूप में शामिल हो गया है और कोर्पोरेशन इन तात्कालीन आधारित गतिविधियों के प्रति अधिक रूचि नहीं ले रहा है।

ड. फिल्म बाजार :

भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म संबंधों के फिल्म निर्माण एवं वितरण में एकजुटता पर प्रकाश डालने के अनुरूप, एनएफडीसी ने 2007 में फिल्म बाजार की स्थापना की, ताकि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, भारत, गोवा में किया गया। भारतीय फिल्म बाजार से, 11 देशों के 170 प्रतिनिधियों के साथ, फिल्म बाजार अब दक्षिण एशियाई बाजार बन गया है। 2010 के एडिशन दर्शाते हैं कि इसमें 37 देशों से 550 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। फिल्म बाजार 2011 को इंफ्रेडिबल इंडिया द्वारा समर्थन प्राप्त है तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी जिसमें स्क्रीन इंटरनेशनल, प्राइम एक्सचेंज जर्मनी, सिनेमार्ट नीदरलैंड्स, आईएफबी न्यू यॉर्क, मास्को इंटरनेशनल फिल्म मार्केट और बिंगर फिल्म लैब नीदरलैंड्स समर्थन भी शामिल है।

च. लेजर सबटाइटलिंग :

वर्ष 2009 में मुंबई से चेन्नई में लेजर सबटाइटलिंग योजना के स्थानांतरण द्वारा, इस गतिविधि में राजस्व में वृद्धि हुई है। इसकी वास्तविकता यह है कि चेन्नई में निगम द्वारा लेजर सबटाइटलिंग यूनिट का सेट अप दक्षिण भारत में अपने-आप में खास है। निजी निर्माताओं को सुविधा देने के अलावा, सबटाइटलिंग सुविधा, फिल्म समारोह के निदेशालय, बाल चलचित्र समिति, फिल्म मंडल तथा केरल राज्य चलचित्र अकादमी समेत सरकारी संस्थानों में भी अपनी सेवा देता है। लेजर सबटाइटलिंग में स्पैनिश, फ्रेंच, अरबिक, पोर्तुगीज, जर्मन आदि विभिन्न विदेशी भाषाएं भी शामिल हैं।

छ. प्रशिक्षण :

प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक साहसिक कदम के रूप में, एनएफडीसी चेन्नई ने राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए एविड डिजिटल नॉन लीनियर एडिटिंग/सिनेमाटोग्राफी, सबटाइटलिंग आदि पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया। विद्यार्थियों को ये प्रशिक्षण कार्यक्रम तमिलनाडु आदि द्रविड आवास विकास कोर्पोरेशन और पिछड़ी जाति जनकल्याण विभाग की ओर से प्रदान किया जाता है।

५. मानव संसाधन विकास :

क. श्रमशक्ति का पुनर्गठन :

श्रमशक्ति के प्रभावी पुनर्गठन की दृष्टि से, निगम के अधिकांश कर्मचारी फिल्म क्षेत्र के लिए अपेक्षित कौशल से सुविज्ञ नहीं है अतः वित्तीय वर्ष 2010-11 में वोलंटरी स्वेच्छा सेवा निवृत्ती योजना आरंभ की गई थी और इसमें 35 कर्मचारियों में यह सुविधा ली। निगम के पास 31 मार्च, 2011 के अनुसार कुल कर्मचारियों की संख्या 104 है।

ख. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आरक्षण :

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अजा/अजजा की नियुक्ति और विभिन्न पदों पर पदोन्नति के लिए आरक्षण के संबंध में निदेशों का अनुपालन किया गया।

ग. संशोधित वेतनमान का कार्यान्वयन :

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रपतिक दिशा निर्देश (पत्र सं. 202/22/2010-एफ(पीएसयू) दिनांक 24 दिसंबर 2010) और पत्र सं. 202/22/2010-एफ(पीएसयू) और तदनन्तर दिनांक 3 फरवरी 2011 को जारी किए गए निर्देश के अनुसार निदेशक मंडल स्तर तथा निदेशक मंडल से नीचे के कार्यपालकों एवं असंगठित पर्यवेक्षकों के वेतनमान संशोधन को स्वीकार किया गया है। बोर्ड स्तर तथा बोर्ड स्तर के नीचे के कार्यकारियों और गैर-संगठित पर्यवेक्षकों एवं संगठित श्रेणी के कर्मचारियों को 24 दिसंबर, 2010 से कार्यान्वित किया गया।

films in the private domain. In the current scenario, import market is uncertain with avenues for distribution of foreign cinema (other than Hollywood films) being limited and as such the Corporation is not embarking upon this activity on immediate basis.

e. Film Bazaar

With a view to facilitating collaboration between Indian and international film fraternity in the realms of film production and distribution, NFDC set up the Film Bazaar in 2007, to be conducted along side the International Film Festival of India, Goa. From an Indian Film Market with 170 delegates from 11 countries, Film Bazaar is now a South Asian Market. The 2010 edition saw the participation of more than 550 delegates from 37 countries. Film Bazaar 2011 is being supported by Incredible India and also has several international partnerships including Screen International, Prime Exchange Germany, Cine Mart Netherlands, IFB New York, Moscow International Film Market, and Binger Film Lab Netherlands.

f. Laser Subtitling

With the transfer of the Laser Subtitling plan from Mumbai to Chennai in the year 2009, revenues from this activity have shown a steady increase. This was aided by the fact that the Laser Subtitling Unit set up by the Corporation in Chennai is only one of its kind in all of South India. Apart from catering to private producers, subtitling facilities are rendered to Government institutions including Directorate of Film Festivals, Children's Film Society India, Films Division and Kerala State Chalachitra Academy. Laser Subtitling is carried out in several foreign languages including Spanish, French, Arabic, Portuguese, German, etc.

g. Training

As a first step towards venturing into the field of training, NFDC Chennai has conducted training programmes in Avid Digital Non Linear Editing, Cinematography, Subtitling, etc., for students under State Government sponsored schemes. Training programmes are provided to students on behalf of Tamilnadu Adi Dravida Housing Development Corporation and the Department of Backward Classes Welfare.

5. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

a. Rationalization of Man Power

With a view to effecting rationalization of manpower, given that the majority of employees of the Corporation are not equipped with skills requisite for the film sector, a Voluntary Retirement Scheme was introduced in the financial year 2010-11 and was availed by 35 employees. The total staff strength of the Corporation as on March 31, 2011 is 104.

b. Schedule Caste / Schedule Tribe Reservation

The directives issued by the Government of India regarding reservation for SC/ST in appointment and promotion to various posts, were complied with.

c. Implementation of Revised Pay Scale

Vide Presidential Directive issued by the Ministry of Information & Broadcasting (letter No.202/22/2010-F(PSU) dated 24th December 2010) and subsequent directions in letter No.202/22/2010-F(PSU) dated 3rd February 2011, revision of pay was accorded to Executive and Non-Unionized Supervisors of NFDC. The pay scales of Board level and below Board level Executives and Non-Unionized Supervisors and employees of Unionized Category were implemented with effect from December 24, 2010.

घ. प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास :

वीआरएस पश्चात, प्रशिक्षण एवं मानव विकास को प्राथमिकता पर रखा गया गया है और वर्ष 2011-12 में कर्मचारियों को तकनीकी तथा सॉफ्ट स्किल्स के लिए भी योग्य प्रशिक्षण कार्यक्रम क्रियाविता किया जा रहा है।

ड. औद्योगिक संबंध :

औद्योगिक संबंध स्वस्थ एवं सौहार्दपूर्ण रहे हैं। कर्मचारियों को अशान्ति अथवा आन्दोलन की कोई घटनाएँ नहीं हुई।

६. राजभाषा कार्यान्वयन :

वर्ष के दौरान राजभाषा अधिनियम तथा उसके अंतर्गत समय समय पर बनाये गये नियमों तथा राजभाषा विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित जारी आदेशों को कार्यान्वित किया गया। निगम में हिंदी के प्रयोग तथा गृहमंत्रालय, भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2010-11 के लिये लागू किये गये वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये उठाये गये कदमों की समीक्षा के लिये राजभाषा कार्यान्वयन समिती की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं।

7. ऊर्जा संरक्षण तथा तकनीकी समावेशन आदि पर रिपोर्ट :

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217(1) (ह) के प्रावधानों के अनुरूप जिन्हें कंपनी नियम (निदेशक के मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकट करना) 1988 के साथ पढ़ा जाये, ऊर्जा संरक्षण तथा तकनीकी समावेशन आदि निगम पर लागू नहीं होते।

8. उन कर्मचारियों का विवरण जो 217 (2क) के अनुरूप वेतन पाते हो

कंपनी का कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं था जिसने कंपनी अधिनियम की 1956 की धारा 217 क (2ए) जिसे कंपनीयों (कर्मचारियों के विवरण) नियमों 1975 के साथ पढ़ा जाय. के अंतर्गत नियत सीमा से अधिक वेतन पा रहा हो।

9. सतर्कता मामले :

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति विचाराधीन है। हालाँकि, कंपनी ने सतर्कता मामलों की देखभाल के लिए महा प्रबंधक स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की हुई है।

10. निदेशक मंडल एवं निदेशक मंडल की बैठकें :

वर्ष के दौरान, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 26 अक्टूबर, 2010 से श्री. साहब नारायण की कंपनी के निदेशक (वित्त) के पद पर नियुक्त की गई।

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान, 10 जून, 2010, 27 सितंबर, 2010, 23 दिसंबर, 2010 और 23 मार्च, 2011 को चार निदेशक मंडल की बैठकें हो चुकी हैं।

11. वैधानिक एवं अन्य अपेक्षित सूचनाएं :

कंपनी अधिनियम 1956 और सार्वजनिक उपक्रम, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले संबंधित मार्गदर्शनों के अनुसार अपेक्षित जानकारी इस रिपोर्ट के निम्नानुसार अनुलग्न की गई है :

d. Training & Human Resource Development

Post VRS, training and human development is receiving a place of priority and a programme to impart suitable training to employees in technical and soft skills is being implemented in 2011-12.

e. Industrial Relations

Industrial relations continued to be healthy, cordial and harmonious. There were no incidents of employee unrest or agitation.

6. OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION

The Official Language Act, along with the Rules thereof and orders issued from time to time by the Department of Official Language, Ministry of Information and Broadcasting, and the Department of Public Enterprises regarding use of Hindi, were implemented in the Corporation during the year. Meetings of the Official Language Implementation Committee were held regularly to review the use of Hindi in the Corporation and steps taken to implement the Annual Program for the year 2010-2011 issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India.

7. REPORT ON CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, ETC.

Information in accordance with the provisions of Section 217 (1) (e) of the Companies Act, 1956 read with the Companies (Disclosure of Particulars in the Report of Board of Director) Rules, 1988 regarding Conservation of Energy, Technology Absorption is not applicable to the Corporation.

8. PARTICULARS OF EMPLOYEES RECEIVING SALARY AS PER SECTION 217 (2A)

There was no employee of the Company who received remuneration in excess of the limits prescribed under Section 217 (2A) of the Companies Act, 1956, read with the Companies (Particulars of Employees) Rules, 1975.

9. VIGILANCE MATTERS

A Chief Vigilance Officer is due to be appointed by the Ministry of information and Broadcasting. However, the company has designated an officer in the rank of General Manager to oversee vigilance matters.

10. BOARD OF DIRECTORS AND BOARD MEETINGS

During the year the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, has appointed Shri Sahab Narain as Director (Finance) of the company with effect from October 26, 2010.

During the financial year 2010-11, four Board Meetings were held on June 10, 2010, September 27, 2010, December 23, 2010 and March 23, 2011.

11. STATUTORY AND OTHER INFORMATION REQUIRED TO BE GIVEN

Information required to be furnished as per the Companies Act 1956 and in accordance with guidelines issued by Department of Public Enterprises, Government of India, from time to time, is annexed to this report as follows:

क्र. सं.	विवरण
1	अध्यक्ष का वक्तव्य
2	प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट
3	कोर्पोरेट प्रशासन की गतिविधि पर कंपनी की रिपोर्ट
4	कंपनी के वैधानिक ऑडिटर द्वारा जारी किया गया कोर्पोरेट प्रशासन का प्रमाणपत्र

12. लेखा परीक्षक :

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने कंपनी एक्ट 1956 के सेक्शन 619(2) के अंतर्गत वर्ष 2010-11 के लिए निगम के लेखा परीक्षक के रूप में एम/एस. पी.डी. दलाल एंड कं., सनदी लेखाकार, श्री. दत्ता बरी भवन, राणाप्रताप चौक, धुले-424 001, को नियुक्त किया है।

लेखा परीक्षक 31 मार्च, 2011 के अंत तक की अवधि के लिए कंपनी के लेखा का लेखा परीक्षण किया है। लेखा परीक्षण किए गए लेखा को आवश्यक परिशिष्ट तथा इस रिपोर्ट के परिशिष्ट के साथ संलग्न किया गया है।

13. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी :

31 मार्च, 2011 के अंत तक की अवधि के अनुसार 24 अगस्त 2011 को कंपनी के लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी संलग्न परिशिष्ट में दिया गया है।

14. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 :

एनएफडीसी में कोर्पोरेशन द्वारा सूचना का अधिकार (आरटीआई) 2005 की शुरुआत के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। आरटीआई आवेदनों तथा आगे की कार्यवाही करने के लिये आरटीआई मशीनरी स्थापित की गयी है।

1. लोक सूचना अधिकारी
आर. हरीश, प्रबंधक (विधी)
2. एपेलेट प्राधिकारी
नीना लाठ गुप्ता, प्रबंध निदेशक

आभार :

निदेशक मंडल कंपनी के व्यावसायिक भागीदारों को उनके सहयोग और संस्था में उनके विश्वास के प्रति आभारी हैं और पूरी आशा करता है कि भविष्य में ऐसा ही निरंतर पारस्परिक सहयोग जारी रहेगा। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से जो समर्थन और मार्गदर्शन मिलता रहा है। उसके प्रति भी निदेशक मंडल आभार प्रकट करता है, विशेषकर सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, कंपनी के संचालन और विकासात्मक योजनाओं के लिये आभारी है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत सरकार, लेखामंडल के अध्यक्ष एवं सदस्यों, वैधानिक लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों तथा बैंकों, संरक्षकों और कंपनी ग्राहकों के प्रति निदेशक मंडल आभार प्रदर्शित करता है। निदेशक मंडल राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम परिवार के सभी सदस्यों के प्रति उनके उत्साहपूर्ण, समर्पित कार्यों के लिये गहरी कृतज्ञता भी दर्ज करता है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की सुचारु क्रियाशीलता के लिये उनके द्वारा दिया गया सहयोग बहुमूल्य था।

निदेशक मंडल के ओर से

साहब नारायण
निदेशक (वित्त)

स्थान : मुंबई
Place: Mumbai

Sahab Narain
Director (Finance)

दिनांक : 24 अगस्त, 2011
Date: August 24, 2011

Sr.	Particulars
1	From the Desk of the Managing Director
2	Management Discussion & Analysis Report
3	Company's report on compliance of Corporate Governance
4	Certificate on Corporate Governance issued by the Statutory Auditors of the Company

12. AUDITORS

The Comptroller and Auditor General of India appointed M/s. P.D. Dalal & Co., Chartered Accountants, Shree Datta Bari Bhavan, Ranapratap Chowk, Dhule-424 001 as Auditors of the Corporation for the year 2010-2011 under Section 619(2) of the Companies Act 1956.

The auditors have audited the Accounts of the Company for the year ended March 31, 2011. The audited accounts with required annexure and reports are annexure to this report.

13. COMMENTS OF C&AG OF INDIA

Comments of the Comptroller and Auditor General of India dated 24th August 2011 on the accounts of the company for the year ended March 31, 2011 are annexed herewith.

14. RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

Necessary action has been taken by the Corporation towards implementation of Right to Information (RTI) Act 2005 in NFDC. RTI Machinery is in place to attend to RTI applications and follow-ups

1. Public Information Officer
R. Harish, Manager (Legal)
2. Appellate Authority
Nina Lath Gupta, Managing Director

ACKNOWLEDGEMENTS

The Board thanks the Company's business partners for their support and confidence in the organization and look forward to sustaining and building this mutually supportive relationship in the future as well. The Board also gratefully acknowledges the support and guidance received from the Union Government of India, various Ministries of the Government of India, particularly the Ministry of Information and Broadcasting, in the Company's operations and expansion plans. The Directors also express their grateful appreciation to the Board for Reconstruction of Public Sector Enterprises, Department of Public Enterprises, Comptroller and Auditor General of India, Chairman and Members of the Audit Board, Statutory Auditors, Internal Auditors, Bankers, patrons and customers of the Company. The Board also records its deep appreciation for the enthusiastic and dedicated work of the members of NFDC. Their outstanding team effort was invaluable for the smooth functioning of the Company during the year under report.

For and on behalf of the Board of Directors

(नीना लाठ गुप्ता)
प्रबंध निदेशक

(Nina Lath Gupta)
Managing Director

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

उद्योग अवलोकन

भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग (2007-10) में 8% की सीजीएआर से बढ़कर 652 बिलियन पर आईएनआर खड़ा है। अनुसंधान फर्म केपीएमजी एवं भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल महासंघ (फिक्की) द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार 2015 तक 14 प्रतिशत की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ने की उम्मीद है। अभूतपूर्व द्विमुखी विकास में मीडिया और मनोरंजन हाल ही के वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में से एक बन गए हैं। देश के हर जगह और क्षेत्र की जानकारी और मनोरंजन प्राप्त कराने के द्वारा असंख्य टीवी चैनलों और निजी एफएम रेडियो ऑपरेटरों ने दूरी पाटने का काम किया है। सरकार की उदार आर्थिक नीति ने सक्रिय स्थानीय उद्यमियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है।

कुंजी ड्राइवर्स: मनोरंजन उद्योग के लिए कुंजी ड्राइवर हैं:

- ☞ सामान्यतः कंपनी की आर्थिक वृद्धि और बढ़ती प्रयोजन आर के स्तर में विवरण
- ☞ सरकार का धीरे-धीरे उदारीकरण रवैया
- ☞ अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ ग्रेटर इंटरफ़ेस
- ☞ रेडियो उद्योग का निजीकरण और वृद्धि
- ☞ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति
- ☞ अनुकूल नियामक पहल
- ☞ उदारीकृत विदेशी निवेश प्रणाली

फिल्म सेक्टर

2010 में भारतीय फिल्म उद्योग 83 बिलियन भारतीय रुपए (आईएनआर) पर खड़ा था। उद्योग ने ऐसा अनुमान किया था कि सीएजीआर 10% तक बढ़ेगी और 2015 तक 132 अरब आईएनआर तक पहुँचेगी। इस क्षेत्र में वृद्धि के लिए बेहतर परिणाम पाने के लिए मल्टीप्लेक्स स्क्रीनों का विस्तार, व्यापक रिलीज सुविधा के लिए डिजिटल स्क्रीन संख्या में वृद्धि, उच्च क्षमता के केबल और उपग्रह पूंजी, विदेशी बाजारों से राजस्व बढ़ाना और सहायक पूंजी क्षेत्रों जैसे डीटीएच, डिजिटल डाउनलोड आदि से पूंजी इकट्ठा करना शामिल है जिसे भविष्य में करने की आशा है।

यह मजबूत वृद्धि दर को इंगित करता है कि भारतीय बाजार में फिल्मों की अच्छी मांग है और यह मांग निकट भविष्य में लगातार बढ़ती जाएगी। हालांकि उपरोक्त आंकड़े हिंदी फिल्म उद्योग की मुख्यधारा और तमिल तथा तेलुगु की मुख्यधारा को प्रदर्शित करते हैं जहाँ पर २५ भाषाओं में फिल्में बनाई जाती हैं और इन फिल्मों का सुलभ वितरण करने के रास्ते में कठिनाई आती है और अखिल भारतीय स्तर तक नहीं पहुँच पाती हैं।

भारतीय प्रदर्शन और वितरण के क्षेत्र में आगे विकास नहीं दिखता है। इसका ध्यान प्राथमिक शहरी केन्द्रों पर केंद्रित है जहाँ पर मल्टीप्लेक्सों की वृद्धि है और भारतीय संदर्भ के लिए यह बढ़ती मांग है। दूसरी ओर छोटे शहरों में संचालन की गिरावट के कारण सिनेमाघर तेजी से बंद हो रहे हैं।

प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति बनाम उद्योग

1000 से अधिक फिल्म रिलीज करनेवाला भारतीय फिल्म उद्योग दुनिया में सबसे बड़ा है और 3 अरब से अधिक लोग फिल्म देखने जाते हैं। हिंदी में बनायी जाने वाली ज्यादातर फिल्में व्यापारिक होती हैं जो बॉलीवुड के नाम से लोकप्रिय है। हालांकि क्षेत्रीय / सांस्कृतिक फिल्मों का विकास अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है और निर्माण, धन, प्रतिभा के विकास, संवर्धन और प्रदर्शनी के मामले में सरकार से सहयोग की आवश्यकता होती है।

एनएफडीसी ने भारतीय फिल्म उद्योग के पर्याप्त विकास के लिए एकीकृत संगठन और संवर्धन की वृद्धि योजना बनाई है और जिससे इस उद्देश्य के लिए इसकी स्थिति लक्ष्यप्रित हो। जैसा कि फिल्म विकास एजेन्सी एनएफडीसी फिल्म उद्योग की वृद्धि के लिए क्षेत्र/खंड को सुविधाजनक बनाने के लिए जिम्मेदार है जिसमें वाणिज्यिक अत्यावश्यकता को निजी उद्यम

INDUSTRY OVERVIEW

Indian media and entertainment industry stood at INR 652 billion growing at a CGAR of 8% (2007-10). The industry is slated to grow at a compounded annual growth rate (CAGR) of 14 percentage by 2015 accordingly to a report by Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) and research firm KPMG. The phenomenal exponential development witnessed in recent year in media and entertainment has made these one of the most rapidly performing sectors in our economy. The emergence of innumerable TV channels and private FM radio operators has bridged distances and taken entertainment and information to every nook and corners of the country. Government's liberal economic policy paved way for dynamic local entrepreneurs to spearhead this boom.

Key Drivers: Key drivers for entertainment industry are:

- ☞ Economic Growth of the company in general and rising disposable income levels in particulars
- ☞ Gradually liberalizing attitude of the Government
- ☞ Greater interface with international companies
- ☞ Privatization and growth of the radio industry
- ☞ Advancement in technology
- ☞ Favorable regulatory initiative
- ☞ Liberalized foreign investment regime

FILM SECTOR

Indian film industry stood at INR 83 billion in 2010. The industry is projected to grow at a CAGR of 10% and reach INR 132 billion by 2015. Growth driver for the sector would include expansion of multiplexes screens resulting in better realization, an increase in number of digital screens facilitating wider releases, higher cable and satellite revenues, improving collections from the overseas markets and ancillary revenue streams like DTH, digital downloads etc, which are expected to emerge in future.

This robust growth rate indicates that there is a good demand of films in the Indian Market and that this demand would continue to be growing in the near future. However, above data only reflects the state of the mainstream Hindi film industry and to some extent Tamil and Telugu mainstream whereas films are made in about 25 languages and the bulk of these films have trouble accessing distribution avenues and do not have a Pan-Indian reach.

Further growth in Indian exhibition and distribution sector is not inclusive. It focuses on primary urban centers where there is a growth of multiplexes and growing demand for Indian content. On the other hand, increasingly, theatres in smaller towns are closing down due to declining viability of operations.

COMPETITIVE POSITIONING VIS-A-VIS THE INDUSTRY

India's Film Industry is one of the largest in the world with more than 1000 movie releases and over 3 billion movie goers annually. The growth in the industry is not well spread and is mainly on account of mainstream commercial films mostly made in Hindi which is popularly called Bollywood. However, regional/ cultural films growth are still at a nascent stage and require support from the Government in terms of production, funding, talent development, promotion and exhibition support.

NFDC has been mandated with planning, promoting, and organizing an integrated and efficient development of the Indian film industry and its positioning therefore emanates from this object. As a film development agency, NFDC is responsible for facilitating growth in

द्वारा नहीं लिया जा सकता है। फिर भी इस उद्योग के प्रत्येक कदम पर नई चुनौतियाँ और उतारचढ़ाव उद्योग को विस्तार देता है। एनएफडीसी उन क्षेत्रों में कदम रखने के प्रयासों का पूरक होगा।

जैसे कि पंद्रह साल पहले उद्योग में परिवर्तन से हुए अभाव बढ़े हैं। इसमें तकनीकी, आयात, नई प्रतिभाओं का चयन, थिएटर की कमी इत्यादि का अभाव था। आज, भाषा सिनेमाघरों के लिए अपर्याप्त ध्यान की कमी, वितरण की कमी, और प्रशंसित फिल्मों के लिए प्रदर्शन का मार्ग, भारतीय विदेश सिनेमा की समन्वित बढ़ावा की कमी, भारत के सिनेमा के किसी भी ग्लोबल पोजीशनिंग के अभाव के लिए नई प्रतिभाओं आदि के उद्भव के लिए पर्याप्त अवसर की कमी शामिल है। यह पिछले अनुभाग में पहले से ही समझाया गया है। एनएफडीसी को जिसके लिए बनाया गया है उसे इन क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से कदम उठाने की जरूरत है।

इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

☞ एनएफडीसी की निजी उद्यमियों के साथ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है; और

☞ एनएफडीसी निजी क्षेत्रों की सुविधाओं और प्रयासों का पूरक है और जहाँ वृद्धि की आवश्यकता है उन क्षेत्रों को बढ़ाता है। लेकिन यह निजी उद्यम के माध्यम से नहीं मिलता क्योंकि व्यावसायिक के लिए ऐसा करना लाभकर नहीं है।

तदनुसार, उद्योग की जरूरतों के अनुसार दिए गए समय में उन्हें अपनी स्थिति को स्थिर करने की आवश्यकता है।

तथ्यों पर विचार करते हुए कि फिल्म निर्माण एक पूंजीगत व्यवसाय है और एक कला फिल्म की सफलता केवल उसकी प्रासंगिकता और गुणवत्ता पर निर्भर करती है। भारतीय निजी व्यावसायिक फिल्म निर्माण जगत ऐसी फिल्मी बनाने से खुद को दूर रखता है। इसका प्रमुख कारण कला फिल्मों से उनकी अज्ञानता हो सकती है। यह फिल्में मुख्यधारा या व्यावसायिक फिल्मों की तरह उन्हें तेजी से राजस्व नहीं देती है।

इस अभाव को एनएफडीसी अनिवार्य विकास से भरता है और क्षेत्रीय/सांस्कृतिक/पारंपारिक फिल्म के विकास को बढ़ावा देता है।

उत्पाद और सेवाएँ

एनएफडीसी के संस्था के अनुच्छेदों और ज्ञापन के अनुसार, इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

- 1) समय समय पर राष्ट्रीय आर्थिक नीति और केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार फिल्म उद्योग के लिए पर्याप्त विकास, संगठित और एकीकृत संवर्धन और योजना बनाना।
- 2) क. फीचर, लघु, शैक्षणिक, वैज्ञानिक और टेलीविजन फिल्मों का निर्यात करना।
ख. ऐसी विधियों द्वारा भारतीय फिल्मों के विदेशों में प्रदर्शन और व्यापारीकरण को बढ़ावा देना, बनाए रखना, रोकना और आवश्यकतानुसार समयोचित समर्थन देना।
ग. असंपादित फिल्मों, फिल्म प्लेटें, पेपर्स, रिकॉर्ड, रोल या छायांकन के अन्य सामान, छायांकन, संगीत, ध्वनि या दृष्टि पुनरुत्पादन या अन्य वस्तुओं का निर्यात करना।
- 3) भारत में बनी या विदेशों से आयातित फिल्मों के वितरण और व्यापार के भारत में या कहीं भी प्रदर्शित करना।
- 4) विदेशी फिल्म समारोहों भाग लेने या फिल्मों को खरीदने और बेचने के लिए विदेशों में प्रतिनिधि मंडलों को भेजना और विदेशों में थिएट्रिकल और गैर थिएट्रिकल प्रदर्शनों के लिए भारतीय फिल्मों उपलब्ध कराना।
- 5) भारतीय सिनेमा की छवि पेश करने के लिए भारत में और विदेशों में फिल्म प्रदर्शनी का आयोजन करना।

areas/ segments of the film industry which cannot be taken on by private enterprise due to commercial exigencies. Thus, as the industry grows and expands, and new challenges and shortfalls emanate at each stage of this growth, it would be expedient for NFDC to step into those areas to supplement the efforts of the industry.

The vacuum in the industry changes as the industry grows – thus 15 years ago, the vacuum was in lack of technology, in imports, in funding new talent, lack of theatres etc. Today, the lacunae includes insufficient attention to language cinemas, lack of distribution and exhibition avenues for acclaimed films, lack of coordinated promotion of Indian cinemas abroad, absence of any global positioning of the Cinemas of India, lack of sufficient avenues for emergence of new talent etc, as already enumerated in the preceding section. NFDC, to fulfill the mandate for which it has been set up, needs to step into these areas.

It needs to be emphasized here that

☞ NFDC is not in competition with private enterprise; and

☞ NFDC has to supplement the efforts of private sector and facilitate areas where growth is required but that cannot be met through private enterprise because it is not commercially expedient to do so.

Accordingly, NFDC's positioning needs constant adjustments in accordance with the needs of the industry at a given point of time.

Considering the fact that the film production is a capital intensive business and since the success of an art film solely depends on the relevance and quality, the Indian private commercial film production houses prefer themselves to be away from making such movies. The major reason which can be quoted for their ignorance of art films can be that these films do not give them “quick” revenues as against a mainstream or a commercial movie.

NFDC by its developmental mandate fills up this gap and promotes regional/ cultural/heritage film development.

PRODUCTS & SERVICES

As per the Memorandum and Articles of Association of NFDC, its main objectives include:

- i) To plan, promote and organize an integrated and efficient development of the film industry in accordance with the national economic policy and objectives laid down by the Central Government from time to time.
- ii) a. To export feature, short, educational, scientific and television films.
b. To support, protect, maintain, increase and promote the marketing and exhibition abroad of Indian films by such methods as may be necessary or expedient.
c. To export raw films, film plates, papers, records, rolls or other articles for cinematographic, photographic, musical, sound or vision reproduction or other purposes.
- iii) To carry on in India or elsewhere the business or distribution of films whether made in India or imported from abroad.
- iv) To send films and delegations abroad for participating in Foreign Film Festivals or for buying and selling films and making available Indian films for theatrical and non theatrical exhibition abroad.
- v) To utilize and organize film expositions in India and abroad for projecting the image of Indian cinema.

निगम द्वारा पेशकश की गई मुख्य सेवाएं निम्नानुसार हैं:-

क-फिल्म निर्माण	१. फीचर फिल्म का निर्माण. २. कमिशन निर्माण
ख-फिल्म का वितरण	१. अधिकारों की बिक्री (विदेशी) ❖ बिक्री के अधिकार ❖ विदेशी परियोजनाएं ❖ फिल्म बाजार और अन्य बाजार ❖ आयात २. अधिकारों की बिक्री (घरेलू) ❖ बिक्री के अधिकार ❖ होम वीडियो ❖ प्रदर्शनी नेटवर्क
ग-सेवा परियोजनाएं	१. उपशीर्षक २. १६ एमएम/वीडियोकैसेट/स्टूडियो उपकरणों के किराए पर लेना। ३. कार्यशालाएं

विकास और वाणिज्यिक गतिविधियों का बंटवारा निम्नानुसार किया जा सकता है:

विकासात्मक गतिविधि	वाणिज्यिक गतिविधि
❖ फीचर फिल्म निर्माण ❖ पटकथा विकास ❖ भारतीय सिनेमा को फिल्म बाजार के साथ भारत में और विदेशों में संवर्धन	❖ विदेशी वितरण ❖ घरेलू वितरण ❖ सेवा परियोजना, उपशीर्षक किराये के उपकरण, विदेशों में निर्माण पूर्वावलोकन थ्रिएटर आदि। ❖ सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए चल रहे निर्माण और मीडिया अभियान ❖ पूर्वदर्शन थियेटर किराए पर लेना।

उपरोक्त खंड में निष्पादन से संबंधित विवरण संलग्नित निदेशक की रिपोर्ट में दी गई है।

सामर्थ्य, कमियाँ, अवसर, खतरे, और जोखिम

एनएफडीसी की मुख्य संपत्ति पुरस्कारों की सबसे बड़ी सूची और समीक्षकों द्वारा बहुप्रशंसित फिल्मों हैं। इसके अलावा एनएफडीसी का अंतरराष्ट्रीय सहनिर्माण के क्षेत्र में काफी अनुभव है। इसका देश के सभी क्षेत्रीय फिल्म उद्योग के बीच गहरी पैठ और सद्भाव है। एक फिल्म विकास संगठन के रूप में एनएफडीसी की भूमिका को चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके पास स्क्रीनिंग स्क्रिप्ट और अच्छी गुणवत्ता फिल्मों के उत्पादन की एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। इसकी निर्माण गतिविधियों में सयुक्त निर्माणकारक शक्ति संगठन बनाने की क्षमता है। इसके अलावा एनएफडीसी की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम और व्यापक वैश्विक संपर्क है।

एनएफडीसी की मुख्य कमजोरी वितरण नेटवर्क के प्रभावी विपणन और प्रदर्शन में कमी है। एनएफडीसी की अन्य कमजोरी पर्याप्त कुशलता के तहत फिल्म के वर्तमान बाजार के माहौल और मनोरंजन क्षेत्र में शामिल होना भी है।

जहां तक अवसरों को देखा जाए तो क्षेत्रीय सिनेमा और फिल्मी संस्कृति को बढ़ावा देने में एनएफडीसी एक अग्रणी की भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा विभिन्न भारतीय सिनेमा के लिए यहाँ वैश्विक क्षेत्र में महत्वपूर्ण अवसर है। वहीं सामग्री के मुद्रीकरण और सेवा अनुबंध की खरीद तथा निर्माण के क्षेत्र में जबरदस्त क्षमता है। एनएफडीसी भी फिल्म विकास संगठन एवं अंतरराष्ट्रीय उत्पादकों के साथ सहनिर्माण में भागीदार हो सकता है जिससे एनएफडीसी फिल्मों के वितरण में अब तक बंद क्षेत्रों में आ सकता है। साथ ही एनएफडीसी भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मंच प्रदान करने के अवसरों को बढ़ावा दे।

फिल्म विकास संस्थान के रूप में एनएफडीसी की भूमिका निर्विवाद है और इसका विकल्प कोई नहीं है। हालांकि व्यावसायिक गतिविधियों में एनएफडीसी बड़े संसाधनों के साथ उद्योग में अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धी है। लेकिन वास्तविकता में एक गतिशील उद्योग में बने रहने के लिए तेजी से बदलाव का खतरा भी है। निर्माण, वितरण और विपणन के स्तर पर बड़े बजट की फिल्मों की बाढ़ के कारण वितरण नेटवर्क में छोटे बजट की गुणवत्ता फिल्म की बढ़ती अतिरिक्त राशि एनएफडीसी के लिए वास्तविक खतरा है। एनएफडीसी अतीत में वितरण के कारोबार से जुड़े जोखिम के कारण निवेश करने में असमर्थ रहा है। उच्च दृश्यता उत्पाद और बड़े जोखिम द्वारा शासित व्यापार में दरकिनार होने के खतरे से बचने के लिए इसे बदलने की जरूरत है।

The key services offered by the Corporation are as under:

A. Film Production	i. Feature Film Production ii. Commissioned productions
B. Film Distribution	i. Sales of Rights (overseas) ❖ Sale of Rights ❖ Overseas Projects ❖ Film Bazaar and other markets ❖ Imports ii. Sale of Rights (domestic) ❖ Sale of Rights ❖ Home video ❖ Exhibition network
C. Service Projects	i. Sub-titling ii. Hiring of equipment 16MM/ video cassette/studio iii. Workshops

The activities can be bifurcated into Developmental and Commercial activities as under:

Developmental Activities	Commercial Activities
❖ Feature film production ❖ Script development ❖ Promotion of Indian cinema in India and abroad, including Film Bazaar	❖ Overseas distribution ❖ Domestic distribution ❖ Service projects - sub-titling, equipment hire, overseas productions, preview theatre etc. ❖ Commissioned productions and media campaigns for Government Departments/ PSEs ❖ Hiring preview Theater

Details relating to performance in the above segments are given in the Directors Report attached thereto.

STRENGTH, WEAKNESS, OPPORTUNITIES, THREATS & RISKS

NFDC's main assets are the largest catalog of award winning and critically acclaimed films. Further NFDC has considerable experience in the field of international co-production. It has brand value and goodwill amongst all the regional film industries of the country. As a film Development organization the role of NFDC is unchallenged. It has a streamlined procedure for screening scripts & production of good quality films. This combined with its production activities has the potential of creating an organization of formidable strength. Also NFDC has an international presence and widespread global contacts.

The Main weakness of NFDC is lack of distribution network for effective marketing and exhibition. Other weakness is the lack of adequate skill sets in NFDC to deal with current market environment of film and entertainment sector.

As far as opportunities are considered NFDC can play a pioneering role in promoting regional cinemas & culture of film. Further there is considerable opportunities in the global arena for different Indian Cinemas. There is tremendous potential in the area of exports in terms of monetization of content and procurement of service contracts. NFDC can also partner with film development organization & international producers for co-productions, thereby opening up hitherto closed territories for distribution of NFDC films. NFDC has also the opportunities to provide platform for Indian filmmakers to promote themselves internationally.

The role of NFDC as a film development body is undisputed & unchallenged. However, in business activities NFDC has to compete with other players operating in the industry with for greater resources. But the threat of continuing to remaining static in a dynamic industry witnessing rapid changes is real. The increasing marginalization of small budget quality film in the distribution network due to influx of money into big-budget films at production, distribution and marketing levels is a real threat to NFDC. NFDC has been unable in the past to undertake the risks and investments associated with the business of distribution. This needs to change to avoid running the risk of being sidelined in a business governed by high visibility of product and high risks.

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के एक भाग के रूप में एनएफडीसी ने व्यापार का व्यवस्थित और कुशल संचालन, प्रबंधन नीतियों का पालन, संपत्ति की रोकथाम, धोखाधड़ी और त्रुटि की रोकथाम, सटीकता और लेखाओं का पूर्णरिकॉर्ड और समय पर विश्वसनीय वित्तीय जानकारी सहित विभिन्न नीतियों और प्रक्रियाओं को तैयार किया है।

आंतरिक नियंत्रण एक स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा के माध्यम से किया जा रहा है। मनोनीत चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म इसके सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और कॉर्पोरेट कार्यालय की आवधिक आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित करता है। इसके अतिरिक्त निगम भी स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के माध्यम से अपने प्राथमिक विकास और व्यापार गतिविधियों को समवर्ती लेखा आयोगों से लेखा कराता है। आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट को तिमाही आधार पर लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों से भी आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा की जा रही है।

दृष्टिकोण

सिनेमा भारतीय संस्कृति के मूल्यों और भाषाओं को बनाए रखने और सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण कारक है और विशेष रूप से भारत के संदर्भ में, सिनेमा मनोरंजन का सबसे लोकप्रिय माध्यम है। एक अनुमान के मुताबिक फिल्म सिनेमाघरों में औसत दैनिक दर्शकों की संख्या 10 मिलीयन है। भारतीय कला और संस्कृति की अन्य धाराओं में से कोई भी भारत में ऐसा फैला नहीं है और सिनेमा संस्कृति के जनमाध्यम के रूप में उभरा है।

फिक्की, केपीएमजी भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग रिपोर्ट 2011 के अनुसार, भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग मध्यम अवधि में १४ प्रतिशत की दर से सीएजीआर बढ़ता है। 2007-2010 के दौरान फिल्म क्षेत्र ने 3 प्रतिशत की सीएजीआर देखा। 2011-2015 की अवधि के दौरान 10 प्रतिशत की सीएजीआर बढ़ने की ओर अग्रसर है। दूसरी ओर मूल्य संबंधित सेवाएं प्रदान करके सभी क्षेत्रीय भाषाओं की अच्छी फिल्में, पुरानी और प्रशंसित फिल्मों की बहाली के माध्यम से उद्योग में सहायता करके भारतीय संस्कृति की रक्षा की जरूरत है।

दुनिया भर के सभी देशों में फीचर फिल्म के विकास के लिए सरकारी सहायता उपलब्ध है। एनएफडीसी द्वारा की गई कुछ प्रमुख विकास गतिविधियों के लिए भारत सरकार से सहायता अनुदान के मामले में एनएफडीसी को सरकारी सहायता मिली है।

उपरोक्त सकारात्मक माहौल को देखते हुए, एनएफडीसी बच्चों को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने सहित विभिन्न क्षेत्रीय भाषा में अच्छे सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। इसके अलावा कई अन्य विकासवात्मक गतिविधियों जैसे पुरानी फिल्मों की डिजिटिकरण पारंपारिक, फिल्म समारोहों के माध्यम से फिल्म संस्कृति का प्रसार, सेमिनारों, कार्यशालाओं, स्क्रीनिंग आदि, भारत को फिल्म की शूटिंग स्थल के रूप में बढ़ावा देने और पर्यटन में वृद्धि पर भी इसका ध्यान है।

इसके अलावा एनएफडीसी डिजिटल वितरण के लिए वीडियो ऑन डिमांड वेबसाइट साथ ही अपने अन्य पूंजी निर्माण क्षेत्र तथा फिल्मी पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं चलाने की योजना बना रही है। इसका गुणवत्ता की संतुष्टि के साथ अपने ग्राहकों के लिए खानपान के व्यापार में वृद्धि का भी इरादा है।

तदनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि, बढ़ती बाजार व्यवस्था और भारत सरकार के सहयोग आदि के द्वारा सकारात्मक बाह्य और आंतरिक माहौल के समर्थन से क्षेत्र और उद्यम का दृष्टिकोण साफ और सही दिशा में है।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

कुल जमा पूंजी और 31 मार्च, 2011 को 3307 लाख के हुए नुकसान से आगे बढ़ते हुए कंपनी ने कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) पर कुछ भी खर्च नहीं किया है। सार्वजनिक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.नं. 1 (149) / 2010 - डीपीई (एमओए) दिनांक 23 फरवरी, 2010 के समझौता ज्ञापन के समझौतों की मदों को आगे बढ़ाते हुए इसके कुल घाटों को ध्यान में रखकर कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी से संबंधित किसी निष्पादन लक्ष्यों, सतत विकास एवं अनुसंधान और विकास में एनएफडीसी को छूट दी गई है।

INTERNAL CONTROL SYSTEMS & THEIR ADEQUACY

The company has formulated various policies and procedures, as a part of Internal Control System, for orderly and efficient conduct of its business, including adherence to management's policies, safeguarding of assets, prevention and detection of fraud and error, accuracy and completeness of the accounting records and timely preparation of reliable financial information.

Internal control is being ensured through Internal audit by an Independent Chartered Accountancy firm. The nominated Chartered Accountancy firm conducts periodical Internal audit of all its regional offices and corporate office. Additionally, the Corporation also commissions concurrent audits of its primary development and business activities through independent auditors. Internal Audit Reports are being reviewed by Audit Committee on quarterly basis. Internal audit reports are also being reviewed by Statutory Auditors of the company appointed by the Comptroller and Auditor General of India.

OUTLOOK

Cinema is a vital tool for promoting and maintaining Indian culture values and languages and particularly so in India in view of the fact that cinema is the most popular medium of entertainment. It is estimated that on an average, daily viewership in film theatres is in the region of 10 million. None of the other streams of Indian art and culture have such enormous appeal in India and cinema has emerged as the mass medium of culture.

The future of Media and entertainment industry is vibrant. With the growth of Indian Economy at a rate of more than 8% supported by change in spending habits of people, Entertainment Industry is bound to flourish. As per FICCI-KPMG Indian Media and Entertainment Industry Report 2011, Indian Media and Entertainment industry is set to grow at a CAGR of 14% in medium term. Film sector which witnessed a CAGR of -3% during 2007-2010, poised to grow at a CAGR of 10% during the period 2011-2015.

On the other hand, there is a need to support and push good cinema across all regional languages, preserve Indian culture through restoration of old and acclaimed films, Supporting industry providing value added services.

Governmental support for feature film development is available in all countries across the world. NFDC has similar government support in terms of Grant in aid from Government of India for some of the major development activities undertaken by NFDC.

Given above positive environment, NFDC continues to promote good cinema in various regional language including providing wholesome entertainment to children. In addition many other developmental activities like digitalization of old film heritage, Dissemination of film culture through film festivals, seminars, workshops, screening etc, promoting India as a film shooting destination and leveraging it to increase tourism are also its focus.

Further NFDC is planning to start Video on Demand website for digital distribution, run training workshops for film professionals in addition to its other revenue generating verticals. It intends to grow in business alongside catering to its customers with inclusive quality satisfaction.

Accordingly, the outlook of the sector and the enterprise continues to remain bright and vibrant having positive external and internal environment supported by growth of Indian economy, growing markets, Government of India's support etc.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Due to accumulated and carried forward losses of Rs. 3307 lakhs as on March 31, 2011, the company is not incurring any expenditure on Corporate Social Responsibility. The Department of Public Enterprises, vide their Office Memorandum no. F.No. 1(149)/2010-DPE(MOU) dated February 23, 2010 forwarding minutes of MoU negotiations, exempted NFDC from undertaking any performance targets relating to Corporate Social Responsibility, sustainable development, and Research and Development, in view of its accumulated losses.

कार्पोरेट गवर्नन्स पर रिपोर्ट

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के रूप में एनएफडीसी, सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कार्पोरेट शासन के विस्तारित मार्गदर्शन का अनुसरण करता है।

कार्पोरेट गवर्नन्स शासन का संक्षिप्त विवरण निम्न अनुसार है। कार्पोरेट शासन के प्रावधानों की अनुपालन के समर्थन में सहायक वैधानिक ऑडिटर्स के प्रमाणपत्र को भी इनके साथ संलग्न किया गया है।

1. कार्पोरेट गवर्नन्स के कोड पर कंपनी की विचारधारा :

एनएफडीसी अपने सभी स्टेकहोल्डर को अपनी उपयुक्त पारदर्शिता प्रणाली तथा सुरक्षा प्रयासों, प्रोत्साहन, तथा उनकी रूचियों के संरक्षण के लिए सहायता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है।

एनएफडीसी, देश तथा विदेश में अच्छी फिल्मों के प्रोत्साहन के लिए प्रतियोगिता स्वरूप में, ग्राहकों के अनुकूल एवं विकासशील संगठनों के लिए सकारात्मक गतिविधियों के लिए वचनबद्ध है। यह अपने सभी ग्राहकों को पारदर्शिता रूप में बेतहरीन सेवाएं प्रदान करने के लिए भी ग्राहकों के अनुसार सेवा उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है।

2. निदेशक मंडल :

क. मंडल में शामिल हैं :

एनएफडीसी निदेशक मंडल में सात सदस्य शामिल हैं, जिसमें से दो क्रियाशील निदेशक हैं और पांच निदेशक हैं, जिसमें से दो भारत सरकार से नामित हैं और तीन गैर-सरकारी निदेशक हैं। निदेशकों ने बोर्ड में विविध श्रेणियों के अनुभव, ज्ञान और कौशल को लाया है।

31 मार्च, 2011 के अनुसार बोर्ड का गठन निम्न अनुसार है :

कार्यकारी निदेशक

नीना लाठ गुप्ता

- प्रबंध निदेशक

साहब नारायण (26.10.2010 से)

- निदेशक (वित्त)

गैर-कार्यकारी निदेशक

डी पी रेड्डी

- सरकारी नामित निदेशक

दिपाली खन्ना

- सरकारी नामित निदेशक

ओम पुरी

- अध्यक्ष एवं गैर-सरकारी निदेशक

जाहनु बरुआ

- गैर-सरकारी निदेशक

केतन मेहता

- गैर-सरकारी निदेशक

ख. मंडल एवं समितियों से संबंधित अन्य प्रावधान :

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान की गई मंडल की बैठकों का विवरण

1) वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान, 10.06.2010, 27.09.2010, 23.12.2010 और 23.03.2011 को चार मंडल की बैठके आयोजित की गई थी।

मंडल द्वारा कंपनी में शामिल बोर्ड निदेशकों एवं समितियों द्वारा ली जाने वाली सूचना तथा प्रभावी निर्णयों की सभी आवश्यक संबंधित जानकारी पर पूरी तरह से पहुंच रहा है।

2) वर्ष 2010-11 के दौरान निदेशकों की उपस्थिति वाली बोर्ड मीटिंग की संख्या, पिछली एजीएम में उपस्थिति, अन्य निदेशकों की भागीदारी (पब्लिक लिमिटेड कंपनियों) के अन्य सदस्य/समिति की सदस्यता आदि का वर्णन इस प्रकार है :

As a Public Sector Enterprise of Government of India, NFDC follows the extant Guidelines on Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises (DPE), Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India.

A Brief report on Corporate Governance is given below. The Certificate of Statutory Auditors in support of compliance with the provisions of Corporate Governance is also enclosed herewith.

1. COMPANY'S PHILOSOPHY ON CODE OF CORPORATE GOVERNANCE.

NFDC is committed to good Corporate Governances supported by appropriate transparent systems and practice to protect, promote, and safeguard the interests of all its stakeholders.

NFDC is committed to act as a competitive, client-friendly and development-oriented organization for promotion of good cinema in the country and abroad. It is also committed to provide client friendly best services to all its customers in a transparent manner.

2. BOARD OF DIRECTORS

a. Composition of Board

The Board of Directors of NFDC comprised seven members out of which two are Functional Directors and five are Directors, of whom two are nominees of the Government of India and three are Non-official Directors. The Directors bring to the Board a wide range of experience, knowledge, and skills.

The composition of the Board as on March 31, 2011 is as follows

Functional Directors

Nina Lath Gupta - Managing Director
Sahab Narain (w.e.f.26/10/2010)- Director (Finance)

Non-Executive Directors

D P Reddy - Government Nominee Director
Dipali Khanna - Government Nominee Director
Om Puri - Chairman and Non-official Director
Jahnu Barua - Non-official Director
Ketan Mehta - Non-official Director

b. Other provisions regarding Board and Committees

Details of Board Meeting held during the Financial Year 2010-11

i) During the Financial Year 2010-11, four Board Meetings were held on 10/6/2010, 27/9/2010, 23/12/2010 and 23/3/2011.

The Board has complete access to all the relevant information within the Company enabling Board of Directors and Committees thereof to take informed and efficient decisions.

ii) Details of number of Board Meetings attended by Directors, attendance at last AGM, number of other Directorship (in Public Limited Companies) / Committee Memberships held by Directors during the year 2010-11 are tabled below :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	मंडल की बैठके		एजीएम की उपस्थिति (०३.१२.२०१० को आयोजित)	३१.०३.२०११ के अनुसार अन्य निदेशकों की भागीदारी की संख्या	३१.०३.२०११ के अनुसार अन्य समिति सदस्यों की संख्या	
		उक्त अवधि के दौरान आयोजित	उपस्थिति			अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
1	ओम पुरी अध्यक्ष	4	3	नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	5
2	नीना लाठ गुप्ता प्रबंध निदेशक	4	4	हाँ	कोई नहीं	कोई नहीं	1
3	साहब नारायण निदेशक (वित्त)	2	2	लागू नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	1
4	दीपाली खन्ना सरकारी नामित निदेशक	4	3	लागू नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	1
5	डी. पी. रेड्डी सरकारी नामित निदेशक	4	4	हाँ	कोई नहीं	कोई नहीं	1
6	जाहनु बरुआ स्वतंत्र निदेशक	4	2	लागू नहीं	1	कोई नहीं	1
7	केतन मेहता स्वतंत्र निदेशक	4	0	लागू नहीं	4	कोई नहीं	1

Sr. No.	Name of Director	Board Meeting		Attendance at Last AGM (held on 03/12/2010)	No. of other Directorships as on 31/3/2011	No. of other Committee Memberships as on 31/3/2011	
		Held during the tenure	Attended			As Chairman	As Member
1	Om Puri Chairman	4	3	No.	Nil	2	Nil
2	Nina Lath Gupta Managing Director	4	4	Yes	Nil	Nil	5
3	Sahab Narain Director (Finance)	2	2	NA	Nil	Nil	1
4	Dipali Khanna Government Nominee Director	4	3	NA	Nil	Nil	1
5	D P Reddy Government Nominee Director	4	4	Yes	Nil	Nil	1
6	Jahnu Barua Independent Director	4	2	NA	1	Nil	1
7	Ketan Mehta Independent Director	4	0	NA	4	Nil	1

3) कोई भी निदेशक मंडल 10 समितियों से अधिक के सदस्य नहीं है।

ग. आचार संहिता :

निगम ने मंडल सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए कंपनी के लक्ष्य तथा विक्तियों एवं कंपनी के मामलों में पारदर्शी प्रबंधन प्रक्रिया और उनकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आचार संहिता हेतु नियम तैयार किया है। इसके अलावा, कोर्पोरेशन ने धोखाधड़ी रोकने के लिए भी नियमों को तैयार किया है। ये दोनों नियम बोर्ड निदेशकों द्वारा मंजूरी मिलने के लिए प्रक्रिया में है।

3. निदेशक मंडल की समितियां :

मंडल में निम्न अनुसार समिति का गठन किया गया है :

- ☞ लेखा परीक्षण समिति
- ☞ कार्मिक उप समिति
- ☞ भुगतान समिति

3.1.1. लेखा परीक्षण समिति

1. 31 मार्च 2011 के अनुसार लेखा परीक्षण समिति का गठन निम्न अनुसार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पद	समिति में स्थान
1	ओम पुरी	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2	नीना लाठ गुप्ता	प्रबंध निदेशक	सदस्य
3	दीपाली खन्ना	सरकारी नामित निदेशक	सदस्य
4	केतन मेहता	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

वित्त निदेशक, आंतरिक ऑडिटर और वैधानिक ऑडिटर को ऑडिट समिति मीटिंग में आमंत्रित किया जाता है। वरिष्ठ क्रियाशील (फंक्शनल) कार्यकारियों को भी आवश्यकता होने पर समिति में अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

2. ऑडिट समिति के संदर्भ की शर्तें निम्न अनुसार हैं :

- क. कंपनी एक्ट के सेक्शन 292ए में दिए गए आवश्यकताओं की पूर्ति करना.
- ख. कंपनी के रिकॉर्ड तथा/या अनऑडिटेड/तिमाही ऑडिट/अर्ध-वार्षिक/वार्षिक वित्तीय स्टेटमेंट की रिव्यू करना।

वर्ष 2010-11 के दौरान, 10.06.2010, 27.09.2010, 23.12.2010 और 23.03.2011 को ऑडिट समिति की चार मीटिंग हो चुकी हैं। वर्ष 2010-2011 के दौरान व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा निम्न अनुसार मीटिंग में उपस्थिति रही है :

निदेशक का नाम, पद	समिति में पद	उक्त अवधि में की गई मीटिंग की सं.	बैठक में उपस्थिति
ओम पुरी स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	4	3
नीना लाठ गुप्ता प्रबंध निदेशक	सदस्य	4	4
दीपाली खन्ना सरकारी नामित निदेशक	सदस्य	4	3
केतन मेहता स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	4	कोई नहीं

iii) None of the Directors on the board is a member of more than 10 Committees.

c. Code of Conduct

The Corporation has prepared a policy on Code of Conduct for the Board members and Senior Management Personnel in alignment with Company's mission and objectives and aims at enhancing ethical and transparent processes in managing affairs of the Company. Further the Corporation has formulated a policy on Fraud Prevention. Both the policies are in the process of approval by its Board of Directors.

3. COMMITTEES OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Committees constituted by the Board are as follows

- ☞ Audit Committee
- ☞ Personnel Sub Committee
- ☞ Remuneration Committee

3.1.1. Audit Committee

i. The composition of the Audit Committee as on 31st March 2011 is as under :

Sl. No.	Name of the Director	Designation	Position in Committee
1	Om Puri	Independent Director	Chairman
2	Nina Lath Gupta	Managing Director	Member
3	Dipali Khanna	Government Nominee Director	Member
4	Ketan Mehta	Independent Director	Member

Director Finance, Internal Auditors and Statutory Auditors are standing invitees in the Audit Committee meetings. Senior functional executives are also invited as and when required to provide inputs to the Committee.

ii. The terms of reference of the Audit Committee are as under:

- a. to comply with the requirements laid down in Section 292A of the Companies Act.
- b. to take on record and/or to review unaudited/audited quarterly/half-yearly/annual financial statements of the Company.

During the year 2010-11, four meetings of the Audit Committee were held on 10/06/2010, 27/09/2010, 23/12/2010 and 23/03/2011. Meetings attended by individual members during the years 2010-11 are detailed below.

Name of the Director, Designation	Position in the Committee	No. of Meeting held during their tenure	Meeting attended
Om Puri Independent Director	Chairman	4	3
Nina Lath Gupta Managing Director	Member	4	4
Dipali Khanna Government Nominee Director	Member	4	3
Ketan Mehta Independent Director	Member	4	Nil

3.1.2. कार्मिक उप समिति

31 मार्च 2011 के अनुसार निदेशक मंडल की कार्मिक उप समिति का गठन निम्न अनुसार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पद	समिति में स्थान
1	ओम पुरी	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2	नीना लाठ गुप्ता	प्रबंध निदेशक	सदस्य
3	साहब नारायण (26.10.2010 से प्रभावी)	निदेशक (वित्त)	सदस्य
4	डी. पी. रेड्डी	सरकारी नामित निदेशक	सदस्य
5	जाहनु बरुआ	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

कार्मिक उप समिति के संदर्भ की शर्तें निम्न अनुसार हैं :

उप महाप्रबंधक तथा जनकल्याण मामले एवं कर्मचारियों से संबंधित अन्य नियमन मामलों के स्तर पर पदासीन अधिकारियों की पदोन्नती/निर्धारण पर विचार करना।

वर्ष 2010-11 के दौरान, 02.07.2010, 30.08.2010, 04.11.2010 और 23.03.2011 को चार कार्मिक उप समिति मीटिंग हो चुकी हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा निम्न अनुसार मीटिंग में उपस्थिति रही है :

निदेशक का नाम, पद	समिति में पद	उक्त अवधि में की गई बैठक की सं.	बैठक में उपस्थिति
ओम पुरी स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	4	2
नीना लाठ गुप्ता प्रबंध निदेशक	सदस्य	4	4
साहब नारायण निदेशक (वित्त)	सदस्य	2	2
डी. पी. रेड्डी सरकारी नामित निदेशक	सदस्य	4	4
जाहनु बरुआ स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	4	1

4. वार्षिक सर्व साधारण बैठक :

पिछले तीन वर्षों में हुई वार्षिक साधारण मीटिंग का विवरण निम्न अनुसार है :

सं.	वर्ष	स्थान	तिथि एवं समय	क्या कोई विशेष रिजॉल्यूशन पारित किया गया
33 rd	2007-08	पंजीकृत कार्यालय, 6वीं मंजिल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बिल्डिंग, नेहरू सेंटर, डॉ. ए.बी. रोड, वरली, मुंबई - 400 018	03/12/2008 पूर्वाह्न 11.00 बजे	नहीं
34 th	2008-09		20/11/2009 अपराह्न 04.00 बजे	नहीं
35 th	2009-10		03/12/2010 पूर्वाह्न 11.00 बजे	हाँ

5. प्रकटीकरण :

- कंपनी के हितों के साथ प्रबंधन मतभेद या उनसे संबंधित पार्टियों यानि प्रमोटर और डाइरेक्टर के साथ कोई विशेष विषयों का आदान-प्रदान नहीं है।

3.1.2 Personnel Sub Committee

The composition of Personnel Sub Committee of Board of Directors as on 31st March 2011 is as follows :-

Sl. No.	Name of the Director	Designation	Position in Committee
1	Om Puri	Independent Director	Chairman
2	Nina Lath Gupta	Managing Director	Member
3	Sahab Narain (w.e.f. 26/10/2010)	Director (Finance)	Member
4	D P Reddy	Government Nominee Director	Member
5	Jahnu Barua	Independent Director	Member

The terms of reference of the Personnel Sub Committee are as under:

To consider the promotion/confirmation of officers up to the level of DGM and Welfare issues and other policy matters related to personnel.

During the year 2010-11, four Personnel Sub Committee Meetings were held on 02/07/2010, 30/08/2010, 04/11/2010 and 23/03/2011. Meetings attended by individual members during the years 2010-11 are detailed below :-

Name of the Director, Designation	Position in the Committee	No. of Meeting held during their tenure	Meeting attended
Om Puri Independent Director	Chairman	4	2
Nina Lath Gupta Managing Director	Member	4	4
Sahab Narain Director (Finance)	Member	2	2
D P Reddy Government Nominee Director	Member	4	4
Jahnu Barua Independent Director	Member	4	1

4. ANNUAL GENERAL MEETING

Details of Annual General Meetings of last three years are as under:

No.	Year	Location	Date & Time	Whether any special resolution passed
33 rd	2007-08	Registered Office 6 th floor,	03/12/2008 11.00 AM	No
34 th	2008-09	Discovery of India Building, Nehru Centre, Dr.A.B.Road,	20/11/2009 04.00 PM	No
35 th	2009-10	Worli, Mumbai – 400 018	03/12/2010 11.00 AM	Yes

5. DISCLOSURES

- There are no materially significant transactions with related parties i.e., promoters, directors or the management conflicting with the Company's interest.

2. कंपनी यह निर्धारित करती है कि कोई भी कर्मचारी ऑडिट समिति की पहुंच के विरुद्ध न जाए।
3. कंपनी ने कोर्पोरेट गवर्नन्स पर रिपोर्ट में विषयों को शामिल करने की नीति अपनाई है।
4. कंपनी के निदेशकों के बीच कोई भी आंतरिक संबंध नहीं हैं।

- ii. The Company affirms that no personnel have been denied access to the Audit Committee.
- iii. The Company has adopted suggested items to be included in the Report on Corporate Governance.
- iv. There is no inter-se relationship between the Directors of the Company.

सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी किए गए सीपीएसई के लिए कोर्पोरेट गवर्नन्स के मार्गदर्शन के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यक प्रकटीकरण :

Additional disclosures as required under the Guidelines on Corporate Governance for CPSEs issued by Department of Public enterprises:

(i)	लेखा बही में लगने वाली सामग्री का खर्च, जो व्यापार के लिए नहीं होगा।	कुछ नहीं
(ii)	स्वाभाविक रूप में व्यक्तिगत खर्च एवं बोर्ड निदेशकों एवं उच्च प्रबंधन के लिए खर्च का वहन किया जाएगा।	कुछ नहीं
(iii)	वर्ष 2010-11 के लिए प्रशासनिक और कार्यालय खर्च का कुल प्रतिशत खर्च 2.19 प्रतिशत है (पिछले वर्ष 4.18 प्रतिशत थी) और वर्ष 2010-11 के लिए वित्तीय खर्च का प्रतिशत 2.20 प्रतिशत है (पिछले वर्ष 4.22 प्रतिशत थी)।	कुछ नहीं

(i)	Items of expenditure debited in books of accounts, which are not for the purpose of business	Nil
(ii)	Expenses incurred which are personal in nature and incurred for the Board of Directors and Top Management	Nil
(iii)	Administrative and office expenses as a percentage of total expenses for the year 2010-11 is 2.19% (Previous year 4.18%) and as a percentage of financial expenses for the year 2010-11 is 2.20% (Previous year 4.22%)	

5. गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं के एडॉप्शन/नॉन एडॉप्शन की जानकारी निम्न अनुसार है :

- v. Information on adoption/non-adoption of non-mandatory requirements is given hereunder

गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं :

Non-mandatory Requirements :

- (क) **मंडल :** कंपनी का प्रचालन प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाता है। कंपनी के बोर्ड में कार्यकारी अधिकारी निदेशकों को छोड़ कर अन्य सभी स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाती है और कोई भी स्वतंत्र निदेशकों की अवधि औसतन नौ वर्षों से अधिक तक नहीं रहती है।
- (ख) **भुगतान समिति :** डीपीई के निर्देशनों द्वारा, एनएफडीसी के बोर्ड ने 21.06.2011 को भुगतान समिति का गठन किया था ताकि निर्धारित अवधि के अंदर कार्यकारियों और गैर-संगठित पर्यवेक्षकों के बीच वार्षिक बोनस/ विभिन्न पूल एवं पॉलिसी का वितरण आसानी से हो सके।
- (ग) **अंशधारकों के अधिकार :** अब तक ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे शेयरहोल्डर के पास पिछले छह महीनों में विशेष कार्यक्रमों की विषय वस्तु समेत अर्ध-वार्षिक वित्तीय प्रस्तुतिकरण को भेजा जा सके।
- (घ) **लेखा परीक्षण की योग्यता :** लेखा परिक्षक की रिपोर्ट संलग्न की गई है।
- (ङ) **मंडल सदस्य का प्रशिक्षण :** कोई नहीं।
- (च) **विसल ब्लोअर पॉलिसी :** कंपनी द्वारा "धोखाधड़ी निवारण नीति (पॉलिसी फॉर प्रवेंशन ऑफ फ्रॉड्स) अपनाई गई है, जहां धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग तथा जांच, सुरक्षा के लिए विसल ब्लोअर मैकेनिज्म को अपनाया गया है। यह पॉलिसी कर्मचारियों सहित स्टेकहोल्डर, कंसल्टेंट, वेंडर, लेंडर, बॉरोअर, कंट्रैक्टर, कंपनी के साथ व्यापार में शामिल बाहरी एजेंसियां, ऐसे एजेंसियों के कर्मचारी, तथा/ या कंपनी के साथ व्यापार संबंधों में शामिल अन्य पार्टियों द्वारा संदेहास्पद या किसी धोखाधड़ी में शामिल होने की स्थिति पर लागू होगी।

- i. **The Board :** The Company is headed by a Managing Director. All the Independent Directors on the Board of the company other than ex-officio Directors were appointed for tenure of three years and none of the Independent Directors having/had tenure exceeding, in aggregate, a period of nine years.
- ii. **Remuneration Committee:** In accordance with the directions of DPE the Board of NFDC has constituted a Remuneration Committee on 21/06/2011 to determine the annual bonus/variable pool and policy for its distribution across the executives and Non Unionized supervisors within the prescribed limits.
- iii. **Shareholders Rights:** As of now there is no system of sending half yearly financial performance including summary of the significant events in the last six months to shareholder.
- iv. **Audit Qualification:** Auditors report annexed.
- v. **Training to Board Member:** Nil
- vi. **Whistle Blower Policy:** "Policy for Prevention of Frauds" is levying adopted by the Company, wherein a Whistle Blower mechanism is in place for detection, prevention and reporting of fraud. This policy applies to any fraud or suspected fraud involving employees as well as stakeholders, consultants, vendors, lenders, borrowers, contractors, outside agencies doing business with the Company, employees of such agencies, and/or any other parties with a business relationship with the Company.

6. संचार/ संपर्क के माध्यम :

6. MEANS OF COMMUNICATION

कंपनी अपने शेयरहोल्डर के साथ वार्षिक रिपोर्ट, साधारण मीटिंग और वेबसाइट द्वारा डिस्कलोजर के माध्यम से संपर्क बनाए रखती है। कंपनी से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी का वर्णन प्रत्येक वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में आंतरिक ऑडिट द्वारा किए गए लेखा विवरण, निदेशकों की रिपोर्ट, ऑडिटर की रिपोर्ट, जो सदस्यों और अन्य योग्य लोगों को जारी किया जाता है, के साथ भी दिया जाता है।

The Company communicates with its shareholders through its Annual Reports, General Meeting and Disclosures through website. All important information pertaining to the Company is also mentioned in the Annual Report for each financial year containing inter alia Audited Accounts, Directors Report, Auditors Report which is circulated to the members and others entitled there to.

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

AUDITOR'S CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

सेवा में,

सदस्यगण,

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.

हमने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. (कम्पनी) द्वारा 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनुपालन की स्थिति की जांच की है। जैसा कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशा निर्देशों के धारा 7.2.1. में उल्लिखित किया गया है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की स्थिति का अनुपालन यह प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जांच उसकी प्रक्रिया तथा कार्यान्वयन की दृष्टिकोण तक सीमित है, जो कम्पनी द्वारा परित की गई है, अथवा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की स्थिति के अनुपालन को सुनिश्चित करना है। यह न तो लेखा परीक्षण है और न कम्पनी के आर्थिक विवरणों की राय को अभिव्यक्त करना है।

हमारी राय में और बेहतर सूचना के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं कि कम्पनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की स्थिति के साथ अनुपालित है जैसा कि सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के लिए जारी किये गए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशा निर्देशों के धारा 7.2.1. में उल्लिखित किया गया है।

आगे हम यह व्यक्त करते हैं कि यह अनुपालन न तो कम्पनी के भावी संचालन क्षमता का आश्वासन है और न कार्यकुशलता अथवा प्रभावकारिता है जिससे प्रबंधन कम्पनी की गतिविधियाँ संचालित करता है।

पी. डी. दलाल कं

सनदी लेखाकार

(एफआरएन 102047डब्ल्यू)

(सीए श्रीराम देशपांडे)

दिनांक : 18/08/2011

स्थान : धुले

साझेदार

सदस्य क्र 043603

To,

The Members,

National Film Development Corporation Limited

We have examined the compliance of condition of Corporate Governance by National Film Development Corporation Limited. (the Company) for the year ended 31st March 2011 as stipulated in Clause 7.2.1 of Guidelines on Corporate Governance issued by the Department of Public Enterprises for Central Public Sector Enterprises (CPSEs).

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination has been limited to review of the procedures and implementation thereof, adopted by the company, or ensuring the compliance with the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion of financial statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanation of opinion of financial statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, we certify that the Company has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in Clause 7.2.1 of Guidelines on Corporate Governance issued by the Department of Public Enterprises for Central Public Sector Enterprises (CPSEs).

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For P. D. Dalal & Co.

Chartered Accountants

(FRN 102047W)

Date : 18/8/2011

Place : Dhule

(CA Shriram Deshpande)

Partner

Membership No. 043603

राष्ट्रपतिक निदेश

PRESIDENTIAL DIRECTIVES

In terms of DPE Guideline No. 18(8)/2005-GM dated 14th May 2010 on Corporate Governance, CPSE is required to give details of presidential directives and its compliance.

Following Presidential Directive issued by Ministry of Information and Broadcasting are reproduced below in chronological order :

- 1) Presidential Directive No. 202/7/2005-F(C) dated 15th June 2005 regarding sanction of NFDC officials for visit abroad.
- 2) Presidential Directive No. 202/22/2010-F(PSU) dated 24th December 2010 and No.202/22/2010-F(PSU) dated 3rd February 2011 regarding pay revision of Executives and Non-Unionized Supervisors of the NFDC

सं 202/7/2005 एफ (सी)

भारत सरकार

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

ए विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110115

15 जून 2005

No. 202/7/2005-F(C)

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

'A' Wing Shastri Bhawan, New Delhi - 110115

Date : 15th June, 2005

सेवा में,

श्री डी मुखोपाध्याय

प्रबंध निदेशक

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.

डिस्कवरी ऑफ इंडिया बिल्डिंग,

नेहरु सेंटर, वरली,

मुम्बई 18

विषय : सार्वजनिक क्षेत्र में व्ययों से सम्बंधित

महोदय,

मुझे यह कहने के लिए निर्देशित किया गया है कि कैबिनेट सचिवालय द्वारा मंत्रिमंडल के सदस्यों को संबोधित प्रधान मंत्री जी का दिनांक 18 अगस्त 2004 का पत्र परिचालित किया गया है। पत्र में उन्होंने अवलोकन किया कि कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के आधारभूत नियमों तथा आचरण को अनदेखा कर रहे हैं। कुछ वरिष्ठ पीएसयू अधिकारियों द्वारा अत्यधिक व्ययों के आरोपों को संदर्भित करते हुए उन्होंने सुधार किया।

उपर्युक्त पत्र प्रशासन मंत्रालयों के सभी सचिवों को आवश्यक कार्रवाई के लिए परिचालित किया गया था।

2. एनएफडीसी के संस्था की नियमावली तथा ज्ञापन के अनुच्छेद 127 में महामहिम राष्ट्रपतिजी को निहित शक्तियों के अंतर्गत, यह निर्णय लिया गया की निगम के दोनो ही निदेशक मंडल स्तर तथा मंडल स्तर के नीचे अधिकारियों की विदेश यात्रा के लिए सभी प्रस्तावों का इस के पश्चात सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा क्लियरन्स अपेक्षित होगा। निदेशों को तत्काल प्रमाण से सावधानी पूर्वक अनुपालन किया जाए।

भवदीय

(विश्वजीत सहाय)

निदेशक (फिल्म) (वीएस)

दूरभाष : 23386536

Shri D. Mukhopadhyay

Managing Director

National Film Development Corporation Ltd.,

Discovery of India Bldg., Nehru Centre,

Dr. A.B. Road, Worli,

Mumbai - 400 018.

Subject : Regarding expenses in Public Sector Enterprises.

Sir,

I am directed to say that the Cabinet Secretariat had circulated the Prime Minister's letter of August 18, 2004 addressed to the Members of the Council of Minister. In the letter, he had observed that some of the public sector undertaking are ignoring the ground rules of good corporate governance and conduct. Referring to allegations of extravagance in expenditure by some senior PSU officials, he had desired that the perception that PSUs are profligate must be corrected. The above letter was circulated to all the Secretaries of the administrative ministries for necessary action.

2. Under the powers vested with the President in Article 127 of the Memorandum and Articles of Association of NFDC, it has been decided that all proposals of NFDC officials, both Board level and below Board level for visits abroad will hereafter require the clearance of the Ministry of I&B. These directives may be followed scrupulously with immediate effect.

Yours faithfully,

(VISHVAJIT SAHAY)
DIRECTOR (FILM) (VS)

सं 202/22/2010 एफ (पीएसयू)
भारत सरकार
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
ए विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110115
24 दिसम्बर 2010

सेवा में,

अध्यक्ष

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.

डिस्कवरी ऑफ इंडिया बिल्डिंग,

नेहरू सेंटर, वरली,

मुम्बई 18

विषय : राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. से सम्बंधित कार्यपालकों तथा असंघबद्ध पर्यवेक्षणीय कर्मचारियों के वेतन संशोधन के सम्बन्ध में जारी राष्ट्रपतिक निदेश

महोदय,

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. की संस्था की नियमावली के अनुच्छेद १२७ के धारा (१) और (२) के अनुसार मैं महामहिम राष्ट्रपतिजी को निदेश जारी करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि, निगम डीपीई के दिनांक 26.11.2011 के का. ज्ञा. सं. 2(70)/08 डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-XVI/08 पैरा 4 के साथ पठित डीपीई के दिनांक 02.04.2009 का. ज्ञा. सं. 2(70)/08 डीपीई (डब्ल्यूसी) जीएल-VII/09 तथा डीपीई के दिनांक 16.06.2010 के का. ज्ञा. सं. 2(74)/08 डीपीई (डब्ल्यूसी) जीएल-XI/2010 के अनुसार अपने निदेशक मंडल स्तर पर तथा उसके नीचे के कार्यपालको और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को एकरूप न्यूनतम फिटमेंट 20% के साथ वेतनमान संशोधित कर सकते हैं. संशोधित वेतन निदेश जारी करने की तारीख से लागू किए जाएंगे।

2) जैसा कि संस्था की नियमावली में अनुच्छेद 127 के धारा 2 में अपेक्षित है, कि जारी किए हुए निदेश की सामग्री को, निगम की आर्थिक स्थिति पर उसके प्रभाव को निर्दिष्ट करते हुए उसे एनएफडीसी की वार्षिक रिपोर्ट में सामाविष्ट किया जाए.

भवदीय,

(प्रेमराज कौर)

अवर सचिव

भारत सरकार

दूरभाष : 23073464

No. 202/22/2010-F(PSU)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
'A' Wing Shastri Bhawan, New Delhi - 110115

Date : 24th December, 2010

To

The Chairman,

National Film Development Corporation Ltd.,

Discovery of India Bldg., Nehru Centre,

Dr. A.B. Road, Worli,

Mumbai - 400 018.

Subject: Issue of Presidential Directive - Pay revision of the Executives and Non-Unionized Supervisors of the NFDC regarding.

Sir,

In pursuance of Clause (1) and (2) of Article 127 of the Articles of Association of the National Film Development Corporation, the President has been pleased to issue Directive, that the Corporation may revise the pay and allowances of its Board level and below-Board level Executives and Non-Unionized Supervisors with a uniform lower fitment of 20% in accordance with para 4 of the DPE OM No. 2(70)/08-DPE(WC)-GL-XVI/08 dated 26.11.2008 read with DPE O.M. No. 2(70)/08-DPE(WC)-GL-VII/09 dated 02.04.2009 and DPE O.M. No. 2(74)/08-DPE(WC)-GL-XI/2010 dated 16.06.2010. The pay revision be made effective from the date of issuance of this Directive.

2) As required under Clause 2 of Article 127 of the Articles of Association, the contents of the Directive issued, may be incorporated in the Annual Report of NFDC indicating its impact on the financial position of the Corporation.

Yours faithfully,

(Premraj Kuar)

Under Secretary to the Government of India

Tel.: 2307 3464

सं 202/22/2010 एफ (पीएसयू)
 भारत सरकार
 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
 ए विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110115

03 फरवरी 2011

सेवा में,
 श्रीमती नीना लाठ गुप्ता
 प्रबंध निदेशक
 राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.
 डिस्कवरी ऑफ इंडिया बिल्डिंग,
 नेहरू सेंटर, वरली,
 मुम्बई 18

विषय : राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. से सम्बंधित कार्यपालकों तथा असंगठित पर्यवेक्षणीय कर्मचारियों के वेतन संशोधन के सम्बन्ध में जारी राष्ट्रपतिक निदेश

महोदय,

मुझे दिनांक 24.12.2010 के समसंख्यक पत्र द्वारा जारी राष्ट्रपतिक निदेश को संदर्भित करने हेतु निर्देशित किया गया है। जैसा कि निदेश में उल्लिखित है, सरकारी उद्यम कार्यालय के दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(70)/08/डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-XVI/08 के प्रावधान के अनुसार निदेशक मंडल स्तर तथा असंगठित पर्यवेक्षकों के वेतन एवं भत्ते राष्ट्रपतिक निदेश के तारीख से अर्थात् 24.12.2010 से संशोधित किये जाएं। आगे यह सूचित किया जाता है कि वेतन का फिटमेन्ट संशोधित वेतनमान पर 24.12.2010 को मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते से किया जाए

2) यह आयएफडी के सहमति से उनके दिनांक 02.02.2011 के डी वाय नं. 259/एफआयएन-II जारी किया जाता है।

भवदीय

(प्रेमराज कौर)
 अवर सचिव
 भारत सरकार
 दूरभाष : 23073464

No. 202/22/2010-F(PSU)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
 'A' Wing Shastri Bhawan, New Delhi - 110115

Date : 3rd February, 2011

To

Ms. Nina Lath Gupta
 Managing Director,
National Film Development Corporation Ltd.,
 Discovery of India Bldg., Nehru Centre,
 Dr. A.B. Road, Worli,
 Mumbai - 400 018.

Subject : Issue of Presidential Directive - Pay revision of the Executives and Non-Unionized Supervisors of the NFDC regarding.

Sir,

I am directed to refer to the Presidential Directive issued vide letter of even number dated 24.12.2010. As mentioned in the Directive, the pay and allowances of the Board level and the non-unionized supervisors may be revised in accordance with the provisions of the DPE OM No. 2(70)/08-DPE(WC)-GL-XVI/08 dated 26.11.2008 and the pay revision be made effective from the date of issuance of the Presidential Directive i.e. w.e.f. 24.12.2010. It is further informed that the fitment of pay on the revised scales may be made on the basic plus DA as on 24.12.2010.

2) This issues with the concurrence of IFD vide their Dy. No. 259/Fin-II, dated 02.02.2011.

Yours faithfully,

(Premraj Kuar)
 Under Secretary to the Government of India
 Tel.: 2307 3464

दिनांक 31 मार्च 2011 का तुलन पत्र
BALANCE SHEET - AS AT 31ST MARCH 2011

रकम ₹ में

Amt. in ₹

	अनुसूची Schedule	31.3.2011 को As At 31.3.2011	31.3.2010 को As At 31.3.2010
निधि स्रोत	SOURCES OF FUNDS		
अंशधारकों की निधि	share holder's funds		
शेयर पूंजी	Share Capital 1	453,998,500	139,998,500
संचय और अधिशेष	Reserve and Surplus 2	232,736	232,736
		454,231,236	
आस्थगित सरकारी अनुदान	Deferred Govt. Grant 3	69,629,908	67,133,942
ऋण निधि	Loan Funds		
प्रतिभूत ऋण	Secured Loans 4	-	-
अप्रतिभूत ऋण	Unsecured Loans 5	-	263,809,822
कुल	TOTAL	523,861,144	471,175,000
निधि विनियोग	APPLICATION OF FUNDS		
स्थायी परिसम्पत्तियां	Fixed Assets		
सकल परिसम्पत्ति	Gross Block 6	277,865,226	259,614,377
घटाईए : संचित मूल्य ह्रास	Less : Accumulated Depreciation	229,842,134	224,482,645
		334,539	334,539
घटाईए : हानि	Less : Impairment	47,688,554	34,797,193
निवल परिसम्पत्तियां	Net Block	2,885,731	1,134,031
पूंजीगत कार्यजारी	Capital Work in progress		35,931,224
		50,574,285	
निवेश	Investments		
चालू परिसम्पत्तियां ऋण और अग्रिम	Current Assets, Loans & Advances		
सम्पत्ति सूची	Inventories 7	4,716,648	4,622,096
विविध देनदार	Sundry Debtors 8	924,459,901	387,298,469
नगद और बैंक का बाकी	Cash & Bank Balances 9	808,037,109	274,702,971
ऋण और अग्रिम	Loans & Advances 10	253,792,429	107,125,360
अन्य चालू परिसम्पत्तियां	Other Current Assets 11	3,293,231	1,171,259
		1,994,299,319	774,920,155
घटाईए : चालू देयताएं	Less: Current Liabilities & Provisions		
और प्रावधान	a) Current Liabilities 12	1,814,849,419	646,920,859
क) चालू देयताएं	b) Provisions	38,615,062	40,294,714
ख) प्रावधान		1,853,464,481	687,215,573
		140,834,837	87,704,582
शुद्ध चालू परिसम्पत्तियां	NET CURRENT ASSETS		
विविध व्यय	Preliminary Expenditure		
(समायोजित अथवा बटुटे खाते में न डाली गई सीमा तक)	(To the extent not written off or adjusted)	1,776,227	
स्वेच्छा सेवा निवृत्ति योजना व्यय	Voluntary Retirement Scheme Expense 13	-	-
		330,675,795	347,539,195
लाभ एवं हानि लेखा	Profit & Loss A/c.		
कुल	Total	523,861,144	471,175,000
लेखों पर टिप्पणियाँ	Notes on Accounts		
अनुसूची 1 से 25,	Schedule 1 to 25, significant		
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और	Accounting policies and Notes on		
लेखों के अंगस्वरूप है।	Accounts form part of accounts.		

दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार है।

As per our report of even date

निदेशक मंडल की ओर से

**For & on behalf of
board of directors**

 (श्रीराम के. देशपाण्डे)
 साझेदार
 सदस्य क्र. 043603

For P.D Dalal & Co
 Chartered Accountants
 (FRN 102047W)

 नीना लाठ गुप्ता
 प्रबन्ध निदेशक

 साहब नारायण
 निदेशक (वित्त)

 कृते पी.डी. दलाल अँड कं.
 सनदी लेखाकार
 (एफ आर एन 102047 डब्ल्यू)

(Shriram K. Deshpande)
 Partner
 M.No. 043603.

Nina Lath Gupta
 Managing Director

Sahab Narain
 Director (Finance)

 स्थान : मुंबई,
 दिनांक : 21 जून 2011

 Place: Mumbai
 Dated: 21st June 2011

 इ. जे पॉल
 कंपनी सचिव / प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)
E. J. Paul
 Company Secretary / M(F&A)

दिनांक 31, मार्च, 2011 की समाप्त हुए वर्ष का लाभ व हानि लेखा
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2011

रकम ₹ में

Amt. in ₹

	अनुसूची Schedule	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
आय	REVENUE		
क्षेत्रीय फिल्म के लिए अनुदान	Grant in Aid for regional Film Production	6,240,000	48,889,167
क्षेत्रीय फिल्म निर्माण के लिए कमीशन	Commission on Regional Film Production	624,000	4,888,916
कमीशन निर्माण	Commissioned Production	88,976,944	74,701,585
सरकारी विभागों के लिए मीडिया कैम्पेन	Media Campaign for Govt. Depts	1,623,252,449	440,001,449
फिल्मों का वितरण	Distribution of films	40,051,415	30,215,380
सेवा परियोजनाएं	Service Projects	53,343,171	47,066,201
अन्य आय	Other Income	37,481,650	36,286,225
कुल	Total	1,849,969,629	682,048,923
व्यय	EXPENDITURE		
क्षेत्रीय फिल्म निर्माण के लिए अनुदान	Grant in Aid for regional Film Production	6,240,000	48,884,382
कमीशन निर्माण	Commissioned Production	74,533,018	56,134,270
सरकारी विभागों के लिए मीडिया कैम्पेन	Media Campaign for Govt. Depts	1,552,745,940	431,057,988
फिल्मों के वितरण का व्यय	Expenditure in respect of distribution of films	28,216,633	19,453,099
सेवा परियोजनाएं	Service Projects	36,737,669	30,925,025
कार्मिक व्यय	Personnel Expenses	41,389,308	44,459,496
प्रशासनिक व्यय	Personnel Expenses	40,249,444	32,014,238
फीचर फिल्मों के मूल्यन का परिशोधन	Admirtisation of cost of feature film	-	12,301,449
		1,780,112,010	675,229,948
लाभ / (हानि) प्रावधान / कर /	Profit / (Loss) before Provision/Tax/	69,857,619	6,818,975
परिशोधन मूल्यनुहास / व्याज पूर्व	Amortisation / Depreciation / Interest	42,601,591	30,734,839
वीआरएस व्ययों का परिशोधन	Amortisation of VRS Expense	313,471	30,068,133
वित्तीय व्यय	Financial Expenses	-	15,273,683
बट्टे खाते में अशुद्ध ऋण डाले गये	Bad Debts Written off	2,834,330	412,668
संदेहात्मक ऋणों का प्रावधान/ऋण/आग्रमो	Provision for doubtful debts/ loans/ advances	8,130,550	7,296,616
मूल्यनुहास	Depreciation	444,057	-
प्रारम्भिक व्यय	Preliminary Expenses	15,533,621	(76,966,964)
	Net Profit/Loss after Tax		

दिनांक 31, मार्च, 2011 की समाप्त हुए वर्ष का लाभ व हानि लेखा

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2011

रकम ₹ में

Amt. in ₹

	अनुसूची Schedule	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
कर पूर्व शुद्ध हानि	Net Profit/Losses before Tax	15,533,621	(76,966,964)
घटाइए : कर के लिए प्रावधान	Less: Provision for Taxation	-	-
कर पश्चात शुद्धहानि	Net Profit/Loss after Tax	15,533,621	(76,966,964)
जोड़िए/ (घटाइये): गत वर्ष का समंजन	Add/ (Less): Prior Year Adjustment	(458,063)	(1,737,347)
जोड़िए/ (घटाइये) : संदेहात्मक ऋणों/ ऋणों और अग्रिमों के लिए अधिक प्रावधान वापस	Add/(Less): Excess provision for Doubtful debts/Loans and advances Gratuity / Leave encashment	-	7,385,634
		1,787,840	-
		<u>16,863,398</u>	<u>(71,318,677)</u>
	Add: Loss brought forward	(347,539,196)	(276,220,519)
	Balance carried to Balance Sheet	<u>(330,675,798)</u>	<u>(347,539,196)</u>
तुलनपत्र में लाया गया शेष	Earning Per Share - Basic	3.71	(50.94)
प्रतिशेयर आय - मूल	- Diluted	3.71	(50.94)
- डायल्यूटेड			
अनुसूची 1 से 25, महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और लेखों के अंगस्वरूप है।	Schedule 1 to 25, significant Accounting policies and Notes on Accounts form part of accounts.		

दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार है।

As per our report of even date

निदेशक मंडल की ओर से

**For & on behalf of
board of directors**

 कृते पी.डी. दलाल अँड कं.
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन 102047 डब्ल्यू)

For P.D Dalal & Co
Chartered Accountant
(FRN 102047W)

 नीना लाठ गुप्ता
प्रबन्ध निदेशक
Nina Lath Gupta
Managing Director

 साहब नारायण
निदेशक
Sahab Narain
Director (Finance)

 (श्रीराम के. देशपाण्डे)
साझेदार
सदस्य क्र. 043603

(Shriram K. Deshpande)
Partner
M.No. 043603.

 स्थान : मुंबई,
दिनांक : 21 जून 2011

 Place: Mumbai
Dated: 21st June 2011

 इ. जे पॉल
कंपनी सचिव / प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)
E. J. Paul
Company Secretary / M(F&A)

लेखाओं के अगस्वरूप अनुसूचियाँ

SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS

अनुसूची - 1 | शेयर पूँजी

SCHEDULE 1 | SHARE CAPITAL

रकम ₹ में

Amt. in ₹

		चालू वर्ष रुपये Current Year	गत वर्ष रुपये Previous Year
प्राधिकृत	Authorised :		
प्रत्येक 100 रुपये के 45,40,000	45,40,000 (Previous Year 14,00,000)		
(गत वर्ष 14,00,000) इक्विटी शेयर	Equity Shares of Rs. 100 each		
निर्गमित और प्रदत्त	Issued, Subscribed and Paid Up:	454,000,000	140,000,000
45,40,000 (गत वर्ष 13,99,985)	45,39,985 (Previous Year 13,99,985)		
इक्विटी शेयर प्रत्येक 100 रुपयेवाले	Equity Shares of Rs. 100 each fully paid.	453,998,500	139,998,500
उपर्युक्त शेयरों में से	Of the above:		
(क) तत्कालीन भारतीय चलचित्र	a) 1,25,000 Shares are allotted	453,998,500	139,998,500
निर्यात निगम और फिल्म वित्त नियम	consequent upon the amalgamation		
के इस कंपनी से सम्मेलन के फलस्वरूप विधि,	of Indian Motion Picture Export		
न्याय, और कंपनी कार्य मंत्रालय	Corporation Limited and Film Finance		
के आदेशानुसार	Corporation Limited with the company		
1,25,000 इक्विटी शेयर आबंटित	persuant to the order of the Ministry		
किए गए जिनका भुगतान नकद	of Law, Justice and Company Affairs,		
रुप में प्राप्त नहीं हुआ।	without payments received in cash		
(ख) सरकारी ऋण तथा उस पर उपर्जित	b) 1,00,000 shares are allotted in		
ब्याज को शेयर में परिवर्तन करने पर	conversion of Government loan and		
1,00,000 इक्विटी शेयर आबंटित किए	interest accrued thereon into share capital.		
गये।			
(ग) सरकारी ऋण तथा उस पर उपर्जित	c) 28,40,000 shares are allotted in		
ब्याज को शेयर में परिवर्तन करने पर	conversion of Government loan and		
28,40,000 इक्विटी शेयर आबंटित	interest accrued thereon into share capital.		
किए गये।			

अनुसूची - 2 | संचय और अधिशेष

SCHEDULE 2 | RESERVES & SURPLUS

रकम ₹ में

Amt. in ₹

		चालू वर्ष रुपये Current Year	गत वर्ष रुपये Previous Year
पूँजीगत संचय	Capital Reserve:	21,875	21,875
विशेष संचय (निर्यात)	Special reserve (Export):	210,861	210,861
		<u>232,736</u>	<u>232,736</u>

अनुसूची - 3 | आस्थगित सरकारी अनुदान
SCHEDULE 3 | Deferred Govt Grant

रकम ₹ में

Amt. in ₹

			चालू वर्ष रुपये Current Year	गत वर्ष रुपये Previous Year
क्षेत्रीय फिल्म निर्माण के लिए अनुदान	Grant in Aid for Regional Film Production	143,400,000		65,000,000
गत वर्ष में प्राप्त	Received in Earlier Year	50,000,000		78,400,000
चालू वर्ष में प्राप्त	Received in Current Year	193,400,000		143,400,000
	Add Sale of Film	5,660,000		-
घटाईए : प्रयुक्त	Sub Total (A)		199,060,000	143,400,000
घटाईए : क्षेत्रीय फिल्मों की सम्पत्ति सूची	Less : Utilised during current year	6,240,000		48,889,167
घटाईए : क्षेत्रीय फिल्म निर्माण के लिए अग्रिम	Less : Utilised earlier year	53,778,083		
घटाईए : 10% कमीशन	Less : Inventory of regional Films	67,387,179		22,457,975
	Less : Advance for Regional Film Production	1,400,830		30,000
शेष	Less: 10% Commission	624,000		4,888,916
	Sub Total (B)		129,430,092	76,266,058
	Grand Total (A-B)		69,629,908	67,133,942

अनुसूची - 4 | प्रतिभूत ऋण
SCHEDULE 4 | SECURED LOANS

रकम ₹ में

Amount in ₹

			चालू वर्ष रुपये Current Year	गत वर्ष रुपये Previous Year
बैंक अधिविकर्ष	Overdraft			
(शून्य रु. के स्थायी जमा रसीदों	(Secured against Pledge of Fixed		-	
को गिरवी रखकर बैंक ऋण) गत वर्ष रु. शून्य	Deposit Receipts of Rs. NIL (P.Y. Rs..Nil)		-	
	Total			-

अनुसूची - 5 | अप्रतिभूत ऋण (लंबी अवधि)
SCHEDULE 5 | UNSECURED LOANS (Long term)

रकम ₹ में

Amount in ₹

			चालू वर्ष रुपये Current Year	गत वर्ष रुपये Previous Year
भारत सरकार की ओर से	From Government of India		-	197,700,000
(एक वर्ष के अन्दर प्रतिदेय शून्य	(repayable within one year Nil			
गतवर्ष रु. 145931062/-	Previous Year Rs. 145931062/-)			
भारत सरकार से प्राप्त	Int. Accrued & due on Loan From Govt. of India		-	66,109,822
ऋणों पर उपार्जित व्याज व देय			-	263,809,822

अनुसूची - 6 | शुद्ध परिसम्पति SCHEDULE 6 | Net Block

रकम ₹ में

Amt. in ₹

स्थायी परिसम्पत्तियाँ FIXED ASSETS		सकल सम्पत्ति (लागत मूल्य पर) Gross Block [at Cost]				मूल्य - ह्रास Depreciation				Net Block		
क्र. सं.	विवरण	को	वृद्धियाँ	कटौतियाँ	को	01.04.2010 तक	कटौतियाँ	Adjust-ments	इस वर्ष	कुल ह्रास	को	31.03.2010 को
Sr. No.	Particulars	As At 01.04.2010	रुपये Additions	रुपये Deductions	As At 31.03.2011	Upto 01.04.2010	Deductions		For The Year	Total Depr. Upto 31.03.2011	As At 31.03.2011	As At 31.03.2010
1	पट्टे पर भूमि	LEASEHOLD LAND	-	-	138,000.00	40,667.00	-	-	1,453.00	42,120.00	95,880.00	97,333.00
2	पट्टे पर इमारत (16 मि.मि.)	BUILDING - 16 MM	-	-	572,487.00	572,486.00	-	-	-	572,486.00	1.00	1.00
3	इमारत (उपशीर्षक एकक)	BUILDING - SUB-TITLING	-	-	566,286.00	416,691.00	-	-	7,480.00	424,171.00	142,115.00	149,595.00
4	कार्यालय स्थान	OFFICE PREMISES	-	-	9,277,323.00	5,163,430.00	-	-	205,695.00	5,369,125.00	3,908,198.00	4,113,893.00
5	ओनरशीप फ्लैट	OWNERSHIP FLATS	-	-	408,885.00	303,475.00	-	-	5,271.00	308,746.00	100,139.00	105,410.00
6	वीडियो कैसेट रिकार्डिंग उपकरण	V. C. R. EQUIPMENTS	-	-	11,617,794.00	9,962,157.15	-	-	235,502.15	10,197,659.30	1,303,045.70	1,538,547.00
7	16 मि.मि. अवस्थापन	16 MM INTRASTRUCTURE	-	-	30,950,840.00	28,787,575.90	-	-	344,874.61	29,132,450.51	1,818,389.49	2,163,264.00
8	वीडियो स्टूडिओ	VIDEO STUDIO	4,227,461.25	-	46,306,664.25	33,102,266.00	-	-	3,021,290.01	36,123,556.01	10,183,108.24	8,976,937.00
9	लेजर स्टूडिओ	LASER STUDIO	-	-	59,139,991.00	55,533,256.00	-	-	951,172.82	56,484,428.82	2,655,562.18	3,606,735.00
10	विशेष प्रभाव	SPECIAL EFFECTS	-	-	9,997,961.00	9,498,063.00	-	-	-	9,498,063.00	499,898.00	499,898.00
11	सिनेमा उपकरण (प्रदर्शन के लिये)	CINEMA EQUIPMENTS (EXHIB)	7,892,023.25	-	9,987,934.25	1,807,627.00	-	-	756,328.00	2,563,955.00	7,423,979.25	288,284.00
12	सिनेमा उपकरण (वितरण के लिये)	CINEMA EQUIPMENTS (DIST)	-	-	65,953.00	65,734.00	-	-	44.00	65,778.00	175.00	219.00
13	कार्यालय उपकरण	OFFICE EQUIPMENTS	1,227,522.34	540,561.00	8,591,879.99	4,434,221.71	490,648.00	-	554,694.91	4,498,268.62	4,009,976.37	3,387,063.00
14	कम्प्यूटर	COMPUTERS	2,212,107.91	202,630.00	6,125,828.91	3,137,373.74	176,117.37	-	874,398.17	3,835,654.54	2,216,575.37	905,377.00
15	सज्जा सामग्री और उपकरण	FURNITURE & FIXTURE	5,894,573.82	1,459,307.00	13,773,333.00	5,320,214.08	1,011,857.08	-	977,669.74	5,286,026.74	8,427,090.26	3,957,638.00
16	इलेक्ट्रिकल फिटिंग	ELECTRICAL FITTING	157,370.00	-	157,370.00	-	-	-	14,550.00	14,550.00	142,820.00	-
17	वाहन	VEHICLES	-	1,157,771.00	1,592,655.00	2,015,597.98	1,092,439.98	-	180,127.01	1,103,285.01	489,370.46	734,767.00
18	विक्री के लिए परिसम्पत्ति	PLANTS FOR SALE	-	-	68,594,041.00	64,321,810.00	-	-	-	64,321,810.00	4,272,231.00	4,272,231.00
	योग	TOTAL	21,611,058.57	3,360,209.00	277,865,226.40	224,482,645.56	2,771,062.43	-	8,130,550.43	229,842,133.55	47,688,554.32	34,797,193.00
19	पूँजी डब्ल्यू-आय-पी	CAPITAL WIP	2,885,731.00	-	1,134,031.00	2,885,731.00	-	-	-	-	2,885,731.00	1,134,031.00
	योग	TOTAL	24,496,789.57	3,360,209.00	280,750,957.40	224,482,645.56	2,771,062.43	-	8,130,550.43	229,842,133.56	50,574,284.71	35,931,224.00
	गत वर्ष का योग	Previous year Total	5,108,079.00	1,351,821.00	259,614,377.00	218,475,761.00	1,289,731.00	-	7,296,615.00	224,482,645.00	34,797,193.00	37,047,819.00

नोट :

- पट्टे पर इमारत 16 एम. एम. की अवधि समाप्त हुई और निगम निरन्तर इसका लाभ ले रहा है। इसलिए यह परिसम्पति सं. १ के निवल परिसम्पति उसमें उत्पन्न हुए में दिखाया गया है।
- परिसम्पतियों की बिक्री के लिए पहचाने गये शुद्ध मूल्य समान अपेक्षित है अथवा निम्नानुसार दर्शाये गये क्रमशः परिसमान शुद्ध मूल्य से ज्यादा है।
- वर्ष के दौरान पूर्व दर्शन प्रेक्षकार के लिए प्राप्त व्यय पूंजीगत डब्ल्यू-आय-पी के अंतर्गत अलग दर्शाया गया है।

NOTES

- The period of Leasehold Building 16 mm has expired and the Corporation continues to use the same. Therefore this asset is shown at Re.1 in Net Block.
- The Net Realisable Value of these assets identified for sale are expected to be equal to or more than the value shown under Net Block of the respective assets.
- The expenditure incurred during the year on renovation of preview theatre is shown separately under capital W-I-P.

अनुसूची - 7 | संपत्ति सूची

SCHEDULE 7 | INVENTORIES

रकम ₹ में

Amt. in ₹

		चालू वर्ष रुपये Current Year	गत वर्ष रुपये Previous Year
(प्रबन्धन द्वारा मूल्यांकित तथा प्रमाणित)	(As valued and certified by Management)		
निर्माणधीन फिल्मे	Films under production	4,589,257	4,589,256
पूरी की गई फिल्में	Completed Films	243	7
खाली वीडियो कैसेटों की संख्या	Stock of Blank Video Cassettes	125,210	30,895
सोना	Gold	1,938	1,938
	Total	<u>4,716,648</u>	<u>4,622,096</u>

अनुसूची - 8 | विविध देनदार

SCHEDULE 8 | SUNDRY DEBTORS

रकम ₹ में

Amt. in ₹

		चालू वर्ष रुपये Current Year	गत वर्ष रुपये Previous Year
प्रतिभूति रहित छह: महीनों से	Unsecured Debtors		
अधिक अवधि के बकाया देनदार	Debts outstanding below six months		
असंदिग्ध	Considered Good	868,616,641	178,396,128
संदिग्ध	Debts outstanding over three years		
	Considered doubtful	200,102,433	197,588,428
अन्य देय: असंदिग्ध	Other Debts: Considered good	55,843,260	208,902,341
		<u>1,124,562,334</u>	<u>584,886,897</u>
घटाईए : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	Less: Provision for doubtful debts	200,102,433	197,588,428
	Total	<u>924,459,901</u>	<u>387,298,469</u>

अनुसूची - 9 | रोकड और बैंको में शेष

SCHEDULE 9 | CASH & BANK BALANCE

रकम ₹ में

Amt. in ₹

		चालू वर्ष रुपये Current Year	गत वर्ष रुपये Previous Year
रोकड बाकी	Cash on hand	79,683	143,861
फ्रंकींग मशीन में शेष	Balance in Franking Machine	1,614	1,614
अनुसूचित - बैंकों में शेष	Balance with Scheduled Banks :		
चालू खातों में	On Current Accounts	265,173,353	31,670,408
जमा खातों में	On Deposit Accounts	542,782,459	242,887,087
	Total	<u>808,037,109</u>	<u>274,702,971</u>

अनुसूची - 10 | ऋण और अग्रिम SCHEDULE 10 | LOANS & ADVANCES

रकम ₹ में

Amt. in ₹

		चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
फिल्म निर्माण के लिए ऋण	(a) Loans for production of films	-	14,082,395
अप्रतिभूत	Unsecured	-	14,082,395
संदिग्ध	Considered doubtful	-	14,082,395
घटाइए : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	Less: Provision for doubtful loans		
	Sub Total (a)		
सिनेमागृह के निर्माण के लिए ऋण	(b) LOANS FOR CONSTRUCTION OF THEATRES:		
असंदिग्ध	Considered good:	-	-
प्रतिभूत	Secured	-	-
अप्रतिभूत	Unsecured	-	-
(राज्य सरकार / बैंको द्वारा गारंटी)	(Guaranteed by State Govt./Bank)	-	-
संदिग्ध	Considered Doubtful:	298,703	298,703
		298,703	298,703
घटाइए : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	Less: Provision for doubtful loans	298,703	298,703
	Sub Total (b)	-	-
कर्मचारियों के लिए ऋण एवं अग्रिम	(c) LOANS AND ADVANCES TO STAFF:		
प्रतिभूत असंदिग्ध	Secured, Considered good	1,269,475	1,805,074
अप्रतिभूत असंदिग्ध	Unsecured, Considered good	84,631	212,878
	Sub Total (c)	1,354,106	2,017,952
नकद या वस्तु रूप में या प्राप्य	(d) ADVANCES RECOVERABLE IN CASH		
मूल्य के रूप में वसूली योग्य अग्रिम	OR KIND FOR RECOVERABLE IN CASH		
(अप्रतिभूत)	(Unsecured):		
असंदिग्ध	Considered good	243,142,308	95,124,681
संदिग्ध	Considered doubtful	1,218,000	1,218,000
		244,360,308	96,342,681
घटाइए : संदिग्ध निर्माण अग्रिमों के लिए प्रावधान	Less: Provision for doubtful advances	1,218,000	1,218,000
	Sub Total (d)		95,124,681
निर्माण के लिए अग्रिम	(e) ADVANCES FOR PRODUCTION OF FILMS		
(अप्रतिभूत)	(Unsecured Coundelled houd)		
स्वकीय निर्माण	Own Production	402,815	86,998
घटाइए : संदिग्ध निर्माण अग्रिमों के लिए प्रावधान	Less: Provision for Doubtful Production Advances	-	86,998
		402,815	101,932
सहनिर्माण	Co- Production	101,932	101,932
घटाइए : संदिग्ध निर्माण अग्रिमों के लिए प्रावधान	Less: Provision for Doubtful Production Advances	-	-
			101,932
	Sub Total (e)		2,888,530
फिल्मों के रेस्टोरेसन के लिए अग्रिम	(f) ADVANCES FOR RESTORATION OF FILMS		
	Sub Total (f)		
अमानतें	(g) DEPOSITS		
प्रतिभूत, असंदिग्ध	Secured, considered good	8,791,268	3,000,000
अप्रतिभूत	Unsecured	-	3,905,268
असंदिग्ध	Considered good	-	3,905,268
संदिग्ध	Considered doubtful	31,230	31,230
		8,822,498	
घटाइए : अमानतों के लिए प्रावधान	Less: Provision for Doutful Deposits	31,230	31,230
	Sub Total (g)	8,791,268	6,905,268
	Grand Total (a+b+c+d+e+f+g)	253,792,429	107,125,360

अनुसूची - 11 | अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ
SCHEDULE 11 | OTHER CURRENT ASSETS

रकम ₹ में		Amt. in ₹	
		चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
उपार्जित ब्याज	Interest accrued on:		
सावधि / निश्चित समयाविधि जमापर	Fixed/Term Deposit	3,293,231	1,171,259
	Total	<u>3,293,231</u>	<u>1,171,259</u>

अनुसूची - 12 | चालू देयताएँ और प्रावधान
SCHEDULE 12 | CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS

रकम ₹ में		Amt. in ₹	
		चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
चालू देयताएँ	CURRENT LIABILITIES:	185,564,172	60,597,648
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	Advances from Customers	42,061,983	46,044,060
निर्माण के लिए अग्रिम	Advances for Productions	79,978,065	-
मंत्रालयों की परियोजनाओं के लिए अग्रिम	Advance received from Ministries	1,376,775,962	453,599,713
विविध लेनदार	Sundry Creditors	4,967,395	5,398,611
कंपनी के पास रखी गई अमानते	Deposits placed with the Company	125,501,843	61,252,744
अन्य देयताएँ	Other Liabilities	-	20,028,082
उपार्जित व्याज लेकिन देय नहीं	Interest Accrued but not due		
		<u>1,814,849,419</u>	<u>646,920,859</u>
प्रावधान	PROVISIONS:	3,300,000	3,300,000
कराधान के लिए	For Taxation	18,744,574	19,675,038
उपदान के लिए	For Gratuity	16,570,488	17,319,676
छुट्टी भुनाने के लिए	For Encashment Of Leave	<u>38,615,062</u>	<u>40,294,714</u>
	Total	<u>1,853,464,481</u>	<u>687,215,573</u>

अनुसूची - 13 | स्वेच्छा निवृत्ति योजना व्यय
SCHEDULE 13 | VOLUNTARY RETIREMENT SCHEME EXPENSES

रकम ₹ में		Amt. in ₹	
		चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
शेष आगे लाया गया	Balance brought forward	-	32,676,720
जोड़िए : वर्ष के दौरान व्यय	Add : Expenditure during the year	42,601,591	-
		<u>42,601,591</u>	<u>32,676,720</u>
घटाइए : वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गये	Less : Written off during the year		
गत वर्ष में से	out of previous year	-	30,266,734
चालू वर्ष में से	out of current year	42,601,591	-
घटाइए : देयताएँ के सामने नेटेट ऑफ	Less: Netted off against liabilities	-	2,409,986
		<u>42,601,591</u>	<u>32,676,720</u>
	Total	<u>-</u>	<u>-</u>

अनुसूची - 14 | फिल्म वितरण
SCHEDULE 14 | DISTRIBUTION OF FILMS

रकम ₹ में		Amt. in ₹	
		चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
	Expenditure in respect of Distribution of Films		
1) ओवरसिज	(i) Overseas	10,194,504	12,634,761
2) डोमेस्टिक	(ii) Domestic	29,856,911	17,580,619
	Total	<u>40,051,415</u>	<u>30,215,380</u>

अनुसूची - 15 | सेवा परियोजनाएं
SCHEDULE 15 | SERVICE PROJECTS

रकम ₹ में

Amt. in ₹

		चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
उपशीर्षकांकन	Sub-titling	10,707,106	7,123,613
उपकरणों का किराया	Hiring of Equipments	6,549,555	6,824,302
कार्यशाला / बाजार / फिल्म बाजार	Workshop/Market/Film Bazaar	18,720,855	16,427,270
विदेशी परियोजनाएं	Overseas Projects	17,365,655	16,354,642
पूर्व दर्शन प्रेक्षागार	Preview Theatre	-	336,375
	Total	53,343,171	47,066,201

अनुसूची - 16 | अन्य आय
SCHEDULE 16 | OTHER INCOME

रकम ₹ में

Amt. in ₹

		चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
फिल्म ऋणों पर ब्याज	Interest On Film Loan	320,325	320,325
कार्यालय भवन का किराया	Rent From Office Premises	8,997,423	10,480,308
कर्मचारी अग्रिमों पर ब्याज	Interest on staff advances	31,049	48,614
आयकर वापसी पर ब्याज	Interest on Income Tax Refund	-	4,606,919
बैंक एफडी पर ब्याज	Interest on Bank FD	25,514,206	10,213,916
अन्य आय	Other Income	1,820,784	1,802,005
ऋण आवेदन पत्रों / प्रक्रिया शुल्क की बिक्री	Sale Of Loan Application Form/Processing Fees	130,352	145,000
विदेशी मुद्रा विनिमय दरों के उच्चवाचनों	Profit On Foreign Exchange Fluctuations	506	-
से लाभ	Profit On Sale Of Assets	167,005	49,910
देयताएं वापिस	Liability written back	-	8,039,235
सेवा प्रभार	Service Charges	500,000	500,000
	Total	37,481,650	36,206,232

अनुसूची - 17 | फिल्मों के वितरण के विषय में व्यय
SCHEDULE 17 | EXPENDITURE IN RESPECT ODISTRIBUTION OF FILMS

रकम ₹ में

Amt. in ₹

		चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
1) विदेशी	(i) Overseas	4,923,917	7,659,555
2) घरेलू	(ii) Domestic	23,292,716	11,793,544
	Total	28,216,633	19,453,099

अनुसूची - 18 | सेवा परियोजनाएं (व्यय)
SCHEDULE 18 | SERVICE PROJECTS (EXP)

रकम ₹ में

Amt. in ₹

		चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
उपशीर्षकांकन	Sub-titling	3,755,292	2,568,845
उपकरणों का किराया	Hiring of Equipments	3,812,918	2,947,725
कार्यशाला / बाजार / फिल्म बाजार	Workshop/Market/Film Bazaar	20,369,459	16,555,728
विदेशी परियोजनाएं	Overseas Projects	8,800,000	8,800,000
पूर्व दर्शन प्रेक्षागार	Preview Theatre	-	52,727
	Total	36,737,669	30,925,025

अनुसूची - 19 | कार्मिक व्यय
SCHEDULE 19 | PERSONAL EXPENSES

रकम ₹ में		Amt. in ₹	
		चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
वेतन, भत्ते और बोनस	Salaries Allowances & Bonus	33,588,347	36,544,154
भविष्यनिधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	Contribution To Provident And Other Fund	3,122,352	3,839,029
उपदान	Gratuity	385,661	2,710,458
अन्य कर्मचारी लाभ	Other Staff Benefits	4,292,948	1,365,854
	Total	41,389,308	44,459,496

अनुसूची - 20 | प्रशासनिक व्यय
SCHEDULE 20 | ADMINISTRATIVE EXPENSES

रकम ₹ में		Amt. in ₹	
		चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
भाडा	Rent	8,801,398	5,993,097
उपकर और कर	Rates & Taxes	3,849,202	3,550,149
मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance	4,268,406	3,809,187
बीमा	Insurance	355,478	450,312
डाक, तार, टेलिक्स और टेलिफोन	Postage, Telegrams, Telex & Telephones	2,084,634	1,226,390
छपाई और लेखन सामग्री	Printing and Stationery	1,053,678	906,806
विज्ञापन और प्रचार	Advertisement & Publicity	633,611	383,276
विधि व्यय	Legal Expenses	2,112,227	811,762
बैंक प्रभार	Bank Charges	53,488	158,962
व्यवसायिक प्रभार	Professional Charges	3,828,814	2,830,561
बिजली प्रभार	Electricity Charges	2,889,212	2,658,657
कर्मचारी यात्रा तथा स्थानिय यात्रा व्यय	Staff Travelling & Local Conveyance	2,946,515	1,916,179
निदेशकों का यात्रा व्यय	Director's Travelling expenses	1,225,754	775,663
निदेशकों की बैठक शुल्क	Director's Sitting Fees	-	-
कार्पोरेट आतिथ्य व्यय	Corporate Entertainment	387,041	162,125
स्क्रिप्ट निर्माण व्यय	Script Processing Expenses	37,638	90,771
विविध	Miscellaneous	5,073,779	5,602,163
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	Auditors Remuneration:		
लेखा परीक्षा शुल्क	Audit fee	250,000	250,000
कर लेखा परीक्षा शुल्क	Tax Audit fee	100,000	100,000
अन्य सेवाएं	Other services	75,000	75,000
लेखा परीक्षक का जेब खर्च	Auditors out of pocket expenses	223,570	177,093
	Total	40,249,444	31,928,153

अनुसूची - 21 | फीचर फिल्म और प्रिंटो के मूल्य का परिशोधन
SCHEDULE 21 | AMORTISATION OF FEATURE FILM & COST OF PRINTS

रकम ₹ में		Amt. in ₹	
		चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
भारतीय फिल्मों :	Indian Films :		
निर्माण लागत (सहनिर्मित फिल्में)	Cost of Production (Co-Production Films)		
प्रारम्भिक शेष	Opening Stock		12,301,449
जोड़िए : वर्ष के दौरान अधिगृहित	Add: Acquired during the year		12,301,449
घटाइए : गत वर्ष के दौरान परिशोधन	Less: Amortisation of Prior Year	-	-
घटाइए : अंतिम शेष	Less: Closing Stock	-	-
	Total	-	12,301,449

अनुसूची 22 | वीआरएस तथा वीएसएस के व्यय
SCHEDULE 22 | EXPENSES ON VRS/VSS

रकम ₹ में

Amt. in ₹

		चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
छुट्टी का भुगतान	Leave Encashment	4,934,421	304,828
उपदान	Gratuity	8,978,245	121,233
अनुग्रही	Ex gratia	28,159,691	21,293
सूचना वेतन	Notice Pay	179,234	10,751
छुट्टी यात्रा रियायत	Leave Travel Concession	350,000	10,000
		<u>42,601,591</u>	<u>468,105</u>
स्वेच्छा सेवा निवृत्ति योजना का परिशोधन	Amortisation Of Voluntary Retirement Scheme Expenses	-	30,266,734
		<u>42,601,591</u>	<u>30,734,839</u>

अनुसूची - 23 | अशोध्य ऋण बट्टे खाते में डाले गये / संदिग्ध ऋणों / ऋणों / अग्रिमों के लिए प्रावधान
SCHEDULE 23 | BAD DEBTS WRITTEN OFF/PROVISION FOR DOUBTFUL DEBTS/LOANS & ADVANCES

रकम ₹ में

Amt. in ₹

		चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
अशोध्य ऋण बट्टे खाते में डाले गये :	(a) Bad debts written off :	-	-
विविध देनदार :	Sundry debtors :	-	7,145,176
विकासात्मक ऋण / अग्रिमों	Developmental Loans / Advances	-	8,128,507
	Sub Total (a)		<u>15,273,683</u>
संदिग्ध ऋणों / अग्रिमों के लिए प्रावधान	(a) Provision for doubtful debts/loans/advances		
विविध देनदार :	Sundry debtors :	2,834,330	61,113
विकासात्मक ऋण / अग्रिमों	Developmental Loans / Advances	-	351,555
	Sub Total (b)	<u>2,834,330</u>	<u>412,668</u>
	Grand Total	<u>2,834,330</u>	<u>15,686,351</u>

अनुसूची - 24 | पिछले अवधि के समंजन आय :
SCHEDULE 24 | PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS :

रकम ₹ में

Amt. in ₹

		चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
	(a) INCOME		
वित्तपोषण गतिविधि	Financing Activity	59,686	-
अधिकारों की बिक्री	Sale of Rights	5,716,754	98,170
कमीशन निर्माण	Commission Production	165,240	-
मीडिया कैम्पेन	Media Campaign	284,827	-
सेवा परियोजनाएं	Service Projects	244,043	2,500
शुल्क देय एवं कर	Duties & Taxes	439,606	-
कार्मिक एवं प्रशासनिक	Personnel & Administration	216,605	1,367,400
अन्य आय	Other Income	18,187	789,460
कुल आय (क)	Total Income (a)	<u>7,144,948</u>	<u>2,257,530</u>
घटाईए : व्यय	Less :		
	(b) EXPENDITURE	179,615	
वित्तपोषण गतिविधि	Financing Activity	4,970,644	1,853,978
अधिकारों की बिक्री	Sale of Rights	78,181	130,259
सेवा परियोजनाएं	Service Projects	335,671	1,608,000
कमीशन निर्माण	Commission Production	398,488	-
मीडिया कैम्पेन	Media Campaign	1,011,558	-
शुल्क देय एवं कर	Duties & Taxes	592,180	279,529
कार्मिक एवं प्रशासनिक	Personnel & Administration	36,674	123,110
अन्य आय	Other Expenses	<u>7,603,011</u>	<u>3,994,876</u>
कुल आय (ख)	Total Expenditure (b)	<u>(458,063)</u>	<u>(1,737,346)</u>
शेष (क-ख)	Balance (a-b)		

**अनुसूची - 25 लेखा पर टिप्पणियाँ :
SCHEDULE 25 NOTES ON ACCOUNTS :**

1.1 आकस्मिक देयताओं का प्रावधान नहीं किया गया:

(राशि ₹ में)

क्र.	विवरण	2010-11	2009-10
1	बैंक गारंटियाँ	4,95,000	4,95,000
2	फिल्म वितरण व्यवसाय हेतु बिक्रीकर अधिकृति से दावों, जिनके लिए अपील की गई है.	20,70,367	20,70,367
3	कॉर्पोरेशन के विरुद्ध कानूनी प्रकरण.	5,22,39,811	4,81,19,811
4	परिसर हेतु किराये में वृद्धि के लिए कॉर्पोरेशन के विरुद्ध दावा, जिसे दीवानी न्यायालय में ऋण लंबित के रूप में मान्य नहीं किया है.	10,38,080	18,47,927
5	आयकर अधिनियम की धारा 2७१बी के अंतर्गत जुर्माना (वि.व. २००२-०३)	1,00,000	1,00,000
	कुल	5,59,43,258	5,26,33,105

1.2 निलंबन के आधीन वरिष्ठ महाप्रबंधक को देय शेष वेतन :

वरिष्ठ महाप्रबंधक को तथ्यों के दुष्प्रतिकरण एवं निगम के दस्तावेजों को जप्त करने के आरोप में निलंबित किया गया था. दिनांक 25 अगस्त 05 से 31 जनवरी 08 (सेवा निवृत्ति की तारीख) तक उन्हें 75% वेतन दिया गया. यदि वे अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से बरी हो जाते हैं तो शेष वेतन के रूप में रुपये 8.46.016.00 (गत वर्ष रु. 8,46,016.00) की एक आकस्मिक देयता बन जाती है.

2. निगम ने बी आर पी एस ई (बार्ड फॉर रीकंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज) को रिवाइवल प्लान प्रस्तुत किया है जो सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के विचाराधीन है. इसमें रु. 98.74 करोड़ की वित्तीय सहायता मांगी गई है (गैर योजना ऋण रु. 19.77 करोड़ के ब्याज की माफी सहित) अतिरिक्त अंशपूंजी तथा सरकार द्वारा अन्य सहायता सहित निगम की शुद्ध पूंजी सकारात्मक बन सकती है. इन सारी गतिविधियों और मंत्रालय द्वारा दिये जा रहे वित्तीय समर्थन के दृष्टिगत कंपनी के खातों को गतिशील संस्थान के आधार पर तैयार किया जा सकता है.

3. विविध देनदारों, ऋण, एवं अग्रिमों, जमानतों तथा चालू देयताओं के लेखाओं के शेषों का पुष्टीकरण तथा समंजन के उपरांत आई राशि, यदि कोई हो, और उसका वित्तीय विवरणों पर यदि कोई प्रभाव हो तो इसका अभिनिश्चयन नहीं दिया जा सकता.

4. निगम ने 22 दिसंबर 2008 को बी आर एस / वी एस एस योजना घोषित की, इसके अंतर्गत 71 कर्मचारियों ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किये. 71 कर्मचारियों की अनुग्रही देय राशि रु 457.20 लाख स्वेच्छा सेवा निवृत्ती योजना व्यय में से निगम ने गत वर्ष के दरम्यान रु. 157.48 लाख की राशि परिशोधित की तथा रु. 326.76 लाख की शेष राशि को 31.03.09 में लाभ-हानि खाते में अपरिशोधित व्यय के रूप में आगे लाया गया.

साल के दौरान निगम ने लाभ तथा हानि खाते में रु. 302.67 लाख दर्शाये जो 69 कर्मचारियों वी आर एस खर्च की राशि थी तथा रु. 24.09 लाख की शेष राशि दायित्वों के रूप में दिखाई गई व्ययों की दो कर्मचारियों को स्वेच्छिक सेवा निवृत्ती दिये जाने से निगम ने मना कर दिया था.

निगम ने 31 मार्च 2010 को डी पी ई परिपत्र संख्या - 2(32) 97 डी पी ई (डब्ल्यू सी) जी एल xxxii दिनांक 5 मई 2000 के अनुसार वी आर एस/ वी एस एस योजना घोषित की और तीन महिने की अवधि तक खुली रखी.

5.1 (क) अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान

वर्ष के दौरान अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिये रु. 28.34 लाख (गत वर्ष के रु. 4.13 लाख) के विविध देनदारों तथा ऋण एवं अग्रिमों का प्रावधान किया गया है.

1.1 Contingent liabilities not provided for:

(Amt. in ₹)

Sr. No.	Particulars	2010-11	2009-10
1	Bank Guarantees	4,95,000	4,95,000
2	Claims from the Sales Tax Authorities for film distribution business for which appeal has been filed.	20,70,367	20,70,367
3	Legal cases against the Corporation.	5,22,39,811	4,81,19,811
4	Claim against Corporation for increase in rental for the premises not acknowledged as debts pending in Civil Court.	10,38,080	18,47,927
5	Penalty U/S 271B of the Income Tax Act (A.Y. 2002-03)	1,00,000	1,00,000
	Total :	5,59,43,258	5,26,33,105

1.2 Balance salary payable to Sr. General Manager under suspension

Sr. General Manager was suspended for charge of misrepresentation of facts and impounding of documents of the Corporation. He was paid 75% of salary from 26th August 05 till 31st January '08. (Date of retirement) There is a contingent liability in respect of balance salary payable of Rs.8,46,016/- (Previous year Rs. 8,46,016/-) to him, in case, he is exonerated of all charges levied against him.

2. The Corporation has submitted a Revival Plan to (Bord for Reconstruction of Public Sector Enterprises) which is under consideration of Ministry of Information and Boardcasting seeking a financial assistance of Rs. 98.74 crores (including waiver of interest on Non Plan Loan of 19.77 crores). With the additional equity infusion and other assistance sought from Government the net worth of the Corporation would become positive. in view of these developments and the financial support tendered by the Ministry, the accounts of the Company have been prepared on 'Going Concern' basis.

3. The balance in Sundry Debtors, Loans and Advances, Deposits and Current Liabilities new are Subject to confirmation and consequential adjustment, if any on reconciliation. The financial impact, if any, is unascertainable.

4. The Corporation had announced a VRS/VSS scheme on 22nd December 2008. In response to that, 71 employees had opted for VRS. Out of the ex-tia amount of ₹ 457.20 lakhs due to the 71 Employees, the Corporation had amortised an amount of ₹ 157.48 lakh during the previous year and the balance of ₹ 326.76 lakh was carried forward as unamortized expence as on 31.03.09.

During the year, the Corporation ha scharged to Profit & Loss A/c, an amount of Rs. 302.67 lakhs as amortization of VRS expenses of 69 employees were rejected by the Corporation.

The Corporation has announced a VRS/VSS Scheme on 31st March 2010 as per the DPE Circular No.2(32)/97-DPE (WC) GL - XXII dated 5th May, 2000, and kept it open for a period of three months. In response to that 35 employees had opted for VRS. The Corporation had expensed out full amount on VRS of ₹ 426.02 Lakhs paid during the year. In the previous year ₹ 307.25 lakhs, were expensed out.

5.1 Provision for Bad and Doubtful Debts

During the year provision for bad and doubtful debts of Rs.28.34 Lakhs (Previous year Rs. 4.13 Lakhs) has been made towards Sundry Debtors and Loans and Advances. Besides, provision of Rs. Nil (Previous year Rs.73.86 lakhs) was written back.

5.2 बट्टे खाते में डाले गये संदिग्ध ऋण

प्रबंधन ने संदिग्ध ऋण के ऐसे मामले को जहां वसूली के अवसर नगण्य है और जिसका पूरा प्रावधान लेखा पुस्तकों में किया गया है, उन्हें बट्टे खाते में डालने का निर्णय लिया है। तदनुसार वर्ष के दौरान रु. 152.73 लाख की राशि (विगत वर्ष रु. शुन्य) बट्टे खाते में डाली गई। परिणाम स्वरूप रु. 73.85 लाख की राशि का संदिग्ध एवं संदेहास्पद ऋण (गत वर्ष रु. शुन्य) के प्रावधान को बट्टे खाते से वापस किया गया।

6. किसी कर्मचारी को दिा जा सकने वाली उपदान (ग्रेचुइटी) की सीमा वर्ष के दौरान रु. 3.50 लाख से बढ़ा कर रु. 10.00 लाख कर दी गई। उपदान (ग्रेचुइटी) के संबंध में 31.03.10 को कुल देयताएं रु. 196.75 लाख की है जो कि जीवन बीमा निगम द्वारा एक्जाल मूल्यांकन आधार पर कि गइ है। निगम के एल आई सी ग्रेचुइटी खाते में उपयुक्त देयताओं से संबंधित रु. 67.57 लाख का शेष है। अतः 31.03.10 तक रु. 193.52 लाख रु की देयताओं के लिये भुगतान नहीं किया गया है।
7. कर्मचारियों को दिया जाने वाला छुट्टी के नकदीकरण का प्रावधान तुलनपत्र की तारीख को एकरअल मूल्यांकन आधार पर किया जाता है।

☞ छुट्टियों के नकदीकरण के मूल्यांकन के लिये प्रक्षेप उपार्जित लाभ पद्धती अपनाई जाती है। मूल्यांकन के लिये छूट की दर 7.75% वार्षिक है जो कि अनुमानित देयताओं के लिये मूल्यांकन की तारीख को सरकारी प्रतिभूतियों की बाजार में चल रहे उत्पन्न मुनाफे पर आधारित है।

☞ उपदान तथा छुट्टियों के नगदीकरण के मूल्यांकन के लिये वेतन में बढ़ोतरी की दर 7 वार्षिक है जो कि अनुमानित देयताओं के लिये मूल्यांकन की तारीख को सरकारी प्रतिभूतियों की बाजार में चल रहे उत्पन्न मुनाफे पर आधारित है।

☞ कंपनी के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की उम्र 60 वर्ष मानी गई है।

8. विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में पंद्रह फिल्में और हिंदी/अंग्रेजी भाषा में तीन फिल्में निर्मित करने के लिए भारत सरकार ने 3600 लाख की अनुदान सहायता स्वीकृत की है। निगम ने वर्ष 2008-09 के दौरान रु. 650 लाख, वर्ष 2009-10 के दौरान रु. 784 लाख और वित्त वर्ष 2010-11 की एवज़ में रु. 999 लाख (अप्रैल 2011 में रु. 499 लाख प्राप्त हुए) का सहयोग अनुदान प्राप्त किया है।

निगम ने सत्रह क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण में इस अनुदान का प्रयोग किया है। इन सत्रह में से एक फिल्म वर्ष के दौरान पूरी हुई। सीए के प्रमाण-पत्र और निगम द्वारा वास्तविक राशि व्यय के आधार पर निगम ने वर्ष के दौरान अनुदान राशि से रु. 62.40 लाख व्ययित किए।

लाभ-हानि खाते में रु. 68.64 लाख की राशि आय के रूप में मान्य की गई है।

निर्माणाधीन फिल्मों पर वहन किए व्ययों को सीए द्वारा प्रमाणित सीमा तक, जो रु. 673.87 लाख हैं, इन्वेंटरी के रूप में दर्शाया गया है। शेष रु. 14 लाख की राशि को क्षेत्रीय फिल्म निर्माण हेतु अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है।

क्षेत्रीय फिल्म निर्माण हेतु प्रयोग की गई अनुदान राशि, 10% कमिशन, इन्वेंटरी और अग्रिमों को प्राप्त अनुदान राशि से कटौति के रूप में दर्शाया गया है और रु. 696.30 लाख को शेष राशि को आस्थगित सरकारी अनुदान के रूप में दर्शाया गया है, जो ले. मा. १२ के अनुसार हैं।

9. 15 सितं. 2009 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त पत्र क्रं. 202/21/2009-एफ(पीएसयु) दिनांक 06/08/09 पर विचार किया जिसका दृष्टिकोण था कि, एनएफडीसी को उद्योग नियमानुसार फिल्म के निर्माण की कुल लागत की 10% निर्माता फीस और अपने द्वारा प्रभावित सभी बिक्रियों पर 15% कमिशन दिया जाए।

तदनुसार कॉर्पोरेशन ने मौजूदा वर्ष में वर्ष के दौरान पूरी हुई एक फिल्म के संबंध में निर्माता फीस के रूप में रु. 6.25 लेखांकित किए हैं।

5.2 Bad Debts Written off

The management of the Corporation has decided to write off bad debts in cases where the chances of recovery are minimal and which have been completely provided for in the books of accounts. Accordingly during the year Bad Debts amounting to Rs. Nil (Previous Year Rs. 152.73 Lakhs) have been written off.

6. The present value of the liability on account of gratuity as on 31.03.11 is Rs. 187.44 lakhs on the basis of actuarial valuation done by Life Insurance Corporation of India. The value of the Fund in LIC / Gratuity Trust Account of the corporation towards above liability is Rs. 3.50 Lakhs. Thus liability of Rs. 183.94 Lakhs (previous year Rs. 193.52 Lakhs) is not funded as on 31.03.11.
7. **Provision for leave encashment benefits payable to staff is made on the basis of actuarial valuations as at the balance sheet date.**

☞ The Leave encashment Valuation has been carried out using the Projected Accrued Benefit Method. The discount rate used for valuation is 8.05% p.a. which is based on prevailing market yield of government securities as on the valuation date for the estimated terms of obligation.

☞ The salary escalation rate used for Gratuity 155% and Leave Encashment valuation is 7% p.a. which is the estimate of the future salary increases taking into the account the inflation, seniority promotion and other relevant factors.

☞ The employees of the company are assumed to retire at the age of 60 years.

8. The Government of India has sanctioned a Grant in Aid of Rs. 3,600 lakhs for production of fifteen films in various Regional Languages and three films in Hindi/English language. The Corporation has received a Grant in Aid of Rs. 650 Lakhs for during the year 2008-09, Rs. 784 lakhs during the year 2009-10 and Rs. 999 Lakhs against F.Y. 2010-11 (Rs. 499 Lakhs received in April 2011).

The Corporation has utilized these grants for production of seventeen regional films. Out of the seventeen films, one film was completed during the year. The Corporation has expensed out Rs. 62.40 Lakhs during the year from the grant amount on the basis of CA certificate and actual amount incurred by the Corporation.

An amount of Rs. 68.64 Lakhs is recognized as income in Profit & Loss A/c.

The expenditure incurred on films which are in progress, to the extent certified by CA amounting to Rs. 673.87 lakhs is shown as Inventory. The balance amount of Rs. 14 lakhs is shown as Advance for regional film production.

The amount of grant utilized, 10% commission, inventory and advance for Regional Film production are shown as deduction from the amount of grant received and the balance amount of Rs. 696.30 lakhs is shown as Deferred Government Grant as per AS 12.

9. The Board of Directors in their meeting held on 15th Sept. 2009, considered the letter No. 202/21/2009 – F (PSU) dated 06/08/09 received from the Ministry of Information & Broadcasting and was of the view that NFDC should be given a Producer Fee of 10% of the total cost of production of a film and 15% Commission on all sales effected by it in accordance with industry norms.

Accordingly the Corporation has accounted for Rs. 6.24 lakhs as Producer Fees in the current year in respect of one film completed during the year.

10. बोर्ड की राय में, वर्तमान सम्पत्तियों, ऋणों और अग्रिमों को उस राशि पर दर्शाया गया है, जो सामान्य कारोबार विधि से वसूल होंगे। मूल्यहास और सभी ज्ञात देयताओं के लिए प्रावधान पर्याप्त हैं और उचित रूप से आवश्यक मानी गई राशियों से अधिक नहीं हैं।
11. लघु-स्तरीय उपक्रमों को देय राशि संबंधित शीर्षक में दर्शाई है, जो आपूर्तिकर्ता के लघु-स्तरीय उद्योग स्थिती के संबंध में कंपनी को उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर है। सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत उनकी स्थिती के संबंध में आपूर्तिकर्ताओं से कोई भी सूचना कॉर्पोरेशन को नहीं मिली है, इसलिए वर्ष के अंत में किसी भी अदत्त राशियों के साथ देय या चुकाए गए ब्याज का उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत ज़रूरी खुलासा नहीं किया गया है। वर्ष के अंत में विविध लेनदार, संबंधित पक्षकारों से पुष्टि के अधीन हैं। कंपनी ने तुलन-पत्र तिथि को सभी ज्ञात देयताओं को दर्शाया है।
12. मंत्रालय ने रवीन्द्रनाथ टैगोर की 150 वी जन्म जयंति के भाग के रूप में फिल्मों/डॉक्यूमेंट्रीज़ और ऑडियो-विजुअल्स आदि के निर्माण हेतु रु.500 लाख तथा फिल्मों के रेस्टोरेशन तथा डिजिटलाइजेशन हेतु रु.500 लाख का अनुदान स्वीकृत किया है। वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान निगम ने फिल्मों के रेस्टोरेशन तथा डिजिटलाइजेशन हेतु रु.198 लाख तथा रु. 2.47 लाख टैगोर के अनुदान की एवज़ में व्यय किए। शेष अप्रयुक्त कोष को चालू देयताओं के अंतर्गत दर्शाया गया है।
13. गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ़ इंडिया के दौरान फिल्म बाजार आयोजित करने के लिए मंत्रालय ने रु.100 लाख का अनुदान स्वीकार किया है। निगम ने अनुदान के प्रयोग के संबंध में सी. ए. प्रमाणपत्र के अनुसार विभिन्न मदों पर रु.198.32 लाख व्यय किए।
14. वर्ष के दौरान कुछ पुराने फर्निचर और फिक्सचर्स को रु.0.35 लाख (पिछले वर्ष रु.0.23 लाख) में बेचा गया। निगम स्थायी परिसम्पत्तियां पंजिका में ऐसी सम्पत्तियों की सही-सही जानकारी पता नहीं लगा पाया, इसलिए बिक्री से प्राप्त राशि को अन्य आय के अंतर्गत सम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ के रूप में दर्शाया गया है।
15. तीन पक्षकारों के पास 1991 में रखी गई रु.30.00 लाख की जमाराशि को अचाला सम्पत्तियों की गिरवी की एवज़ में प्रतिभूतित किया गया है। इन पक्षकारों ने जमाराशि नहीं लौटाई है और प्रतिभूतियों का नकदीकरण भी नहीं हुआ है। इस जमाराशि की वसूली के लिए कॉर्पोरेशन ने इन पक्षकारों के विरुद्ध आर्बिट्रेशन प्रक्रिया शुरू की है। रु.18 लाख की राशि जमाओं की वसूली हेतु दो पक्षकारों के विरुद्ध कॉर्पोरेशन के पक्ष में निर्णय जारी हुई है। रु.12 लाख की शेष राशि हेतु आर्बिट्रेशन प्रक्रिया अभी भी जारी है। इसके लिए लेखा बहियों में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है।
16. फिल्म 'गान्धी' के मामले में लाभों तथा वितरण फीस का लेखांकन एक्रुअल आधार पर किया गया है, सिवाय, इसके कि उन्हें वित्त वर्ष की बजाय कैलेंडर वर्ष आधार पर अपचयित किया है। फीस और वितरण फीस को लेखों के स्टेटमेंट के आधार पर लेखांकित किया गया है, जो अनुबंध के अंतर्गत नियुक्त एजेंटों से प्राप्त किए हैं और यह कैलेंडर वर्ष आधार पर तैयार किए हैं। कॉर्पोरेशन ने सुनिश्चित किया है कि, प्राप्य फीस को वित्त वर्ष आधार की बजाय कैलेंडर वर्ष आधार पर सम्पूर्ण वर्ष के लिए मानी जाए।
17. 31.03.2004 को टीवी मार्केटिंग डिविज़न के विविध देनदारों के संबंध में विशेष लेखापरीक्षण करने के लिए जुलाई 2004 में कॉर्पोरेशन ने चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्वतंत्र फर्म को नियुक्त किया है। लेखापरीक्षण से प्राप्त जानकारी के आधार पर कॉर्पोरेशन ने लेखा बहियों में आवश्यक सुधार की पहल की है, और उन्हें पूर्व के वर्षों में निदेशक मंडल द्वारा मंजूर किया गया है। विशेष लेखापरीक्षण से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप कॉर्पोरेशन ने विशेष लेखापरीक्षण रिपोर्ट में वर्णित देनदारों के विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया शुरू की है। कानूनी मामलों का परिणाम और वित्तीय स्टेटमेंट्स पर उनके प्रभाव ज्ञात नहीं हैं इसलिए उन्हें सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।
10. In the opinion of the Board, the current assets, loans and advances have been stated at amounts that would be realized in the ordinary course of business. The provision of depreciation and for all known liabilities is adequate and not in excess of amounts considered reasonably necessary.
11. The amount due to small-scale undertakings is furnished under the relevant head, on the basis of information available with the Company regarding small-scale industry status of suppliers.

The Corporation has not received any intimation from Suppliers regarding their status under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 and hence disclosures, if any, relating to amounts unpaid as at the year end together with interest paid or payable as required under the said Act have not been given. Sundry creditors at the year end are subject to confirmation from the respective parties. The Company has provided for all known liabilities as on the Balance Sheet Date.
12. The Ministry has sanctioned a Grant of Rs.500 Lakhs for Restoration and Digitalization of films and Rs.500 Lakhs for production of Films/Documentaries and Audio-Visuals etc. as a part of the commemoration of 150th Birth Anniversary of Rabindranath Tagore. The Corporation has spent an amount of Rs.198 Lakhs for Restoration and Digitalization of films during the Financial year 2010-11 and Rs.2.47 Lakhs against Tagore grant. Balance unutilized fund is being showing under Current Liabilities.
13. The Ministry has sanctioned a Grant of Rs.100 Lakhs for conducting Film Bazaar during International Film Festival of India at Goa. The Corporation has spent an amount of Rs. 198.32 lakhs on the various items of expenditure as per C.A. Certificate regarding utilization of the Grant.
14. During the year certain old furniture and fixtures have been sold for Rs.0.35 lakhs (Previous year Rs.0.23 lakhs). The Corporation was unable to identify the exact details of such assets in the Fixed Assets register and thus the sale proceeds have been recorded as Profit on sale of Assets under Other Income.
15. Deposits of Rs. 30.00 Lakhs placed with three parties in 1991 are secured against mortgage of immovable properties. The parties have not refunded the deposits and securities are also not liquidated. The Corporation has initiated arbitration proceedings against the parties for recovery of the deposits. Awards have been issued in favour of the Corporation against two parties for recovery of the deposit amounting to Rs. 18 Lakhs. The balance amount of Rs. 12 Lakhs the arbitration proceedings are still continuing. No provision has been made for the same in the books of accounts.
16. In case of Film 'Gandhi' the accounting of profits and distribution fee has been done on accrual basis except that these are accounted on calendar year basis instead of financial year basis. The fees and distribution fees are accounted based on statement of accounts received from the agents appointed under the agreement which are prepared on calendar year basis. The Corporation has ensured that the fees receivable are considered for the entire year on calendar year basis instead of financial year basis.
17. The Corporation had appointed an independent firm of Chartered Accountant in July 2004 for conducting a special audit relating to Sundry Debtors of TV Marketing Division as on 31.03.2004. Based on the findings of the audit, the Corporation initiated the necessary rectification in the books of accounts and the same was duly approved by the Board of Directors in the earlier years. Resulting out of the findings of the Special Audit, the Corporation has initiated legal proceedings against some of the debtors mentioned in the Special Audit Report. The outcome of the legal cases and their impact on the financial statements are not known and thus cannot be ascertained.

18. पिछले वर्षों के आंकड़ों को मौजूदा वर्ष के आंकड़ों से तुलना योग्य बनाने के लिए यथा आवश्यक स्थानों पर उन्हें पुनः समूहीकृत/ पुनः वर्गीकृत और पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

19. संबंधित पार्टी प्रकटन

रिपोर्टिंग उद्यम: राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.

मुख्य प्रबंधन कार्मिक:

अ) श्रीमती नीना लाठ गुप्ता

ब) श्री साहब नारायण

ले. मा. -18 द्वारा आवश्यकतानुसार संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन निम्नवत है:

मुख्य प्रबंधन कर्मचारी		(राशि ₹ में)
निदेशक का नाम	लेनदेन की प्रकृति	रुपये
श्रीमती नीना लाठ गुप्ता प्रबंध निदेशक	पारिश्रमिक	9,21,260
श्री साहब नारायण निदेशक (वित्त) (26/10/2010 से)	पारिश्रमिक	3,79,472

21. प्रति शेयर अर्जन

(राशि ₹ में)

विवरण	2010-11	2009-10
इक्विटी शेयरधारकों को रोप्य निवल लाभ/(हानि)	1,68,63,398	(7,13,18,676)
इक्विटी शेयर्स की संख्या	45,39,985	13,99,985
इक्विटी शेयर्स की भारित औसत सं.	45,39,985	13,99,985
शेयर का अंकित मूल्य	Rs. 100	Rs. 100
प्रति शेयर इक्विटी- बेसिक	Rs. 3.71	Rs. (50.94)
अर्जन प्रति शेयर-डाइलुटेड	Rs. 3.71	Rs. (50.94)

22. निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण

(राशि ₹ में)

विवरण	2010-11	2009-10
प्रबंध निदेशकों का पारिश्रमिक	8,29,380	11,06,374
पीएफ एवं पीपीएफ का अंशदान	91,880	1,11,451
वित्त निदेशक का पारिश्रमिक	3,42,154	4,54,931
पीएफ एवं पीपीएफ का अंशदान (दिनांक 26.10.10. से)	37,318	40,371

23. कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग II के परिच्छेद 3, 4 सी तथा 4 डी के प्रावधानों के अनुपालन में लागू सीमा तक अतिरिक्त सूचनाएं

- 1) इनके समुचित पारिश्रमिक की प्राप्ति में कर्मचारियों पर व्यय:

अ) वर्ष के लिए रु.24,00,000/- से कम नहीं, यदि वर्ष भर नियुक्त रहे हो:

(राशि ₹ में)

विवरण	2010-11	2009-10
कर्मचारियों की संख्या	Nil	Nil
वेतन व बोनस	Nil	Nil

ब) रु.2,00,000/ प्रतिमाह से कम नहीं, यदि वर्ष के भाग के लिए नियुक्त रहे हैं:

(राशि ₹ में)

विवरण	2010-11	2009-10
कर्मचारियों की संख्या	Nil	Nil
वेतन व बोनस	Nil	Nil

18. Previous years figures have been re-grouped / re-classified and re-arranged wherever necessary to make them comparable with current years figures.

19. Related Party Disclosures

Reporting Enterprise : National Film Development Corporation Ltd.

Key Management Personnel :

a. Ms. Nina Lath Gupta

b. Mr. Sahab Narain

Transactions with the Related Parties as required by AS-18 is given below:

Key Management Personnel		Amt. in ₹
Name of the Director	Nature of Transaction	Amount (Rs.)
Ms. Nina Lath Gupta Managing Director	Remuneration	9,21,260
Shri. Sahab Narain Director (Finance) (from 26/10/2010)	Remuneration	3,79,472

21. Earning Per Share

Amt. in ₹

Particulars	2010-11	2009-10
Net Profit/(Loss) attributable to equity shareholders	1,68,63,398	(7,13,18,676)
No. of Equity Shares	45,39,985	13,99,985
Weighted Average No. of Equity Shares	45,39,985	13,99,985
Nominal Value of Share	Rs. 100	Rs. 100
Equity Per Share – Basic	Rs. 3.71	Rs. (50.94)
Earning Per Share – Diluted	Rs. 3.71	Rs. (50.94)

22. Particulars of Directors Remuneration

Amt. in ₹

Particulars	2010-11	2009-10
Managing Directors Remuneration	8,29,380	11,06,374
Contribution of PF and FPF	91,880	1,11,451
Remuneration of Director	3,42,154	4,54,931
Finance Contribution of PF and FPF (from the date 26.10.10)	37,318	40,371

23. Additional information pursuant to the provisions of paragraphs 3, 4C and 4D of the part II of Schedule VI to the Companies Act, 1956 to the extent applicable

- i) Expenditure on employees in the receipt of aggregate remuneration of:

a) Not less than Rs.24,00,000/- for the year, if employed through out the year:-

Particulars	2010-11	2009-10
No. of employees	Nil	Nil
Salaries & Bonus.	Nil	Nil

b) Not less than Rs.2,00,000/- per month, if employed for a part of the year:-

Particulars	2010-11	2009-10
No. of employees	Nil	Nil
Salaries & Bonus.	Nil	Nil

20. खण्डीय सूचना (Segment Reporting) :

लेखांकन मानक 17 के अनुसार आवश्यक खंड सूचनाएं निम्नलिखित हैं (The segment information required as per accounting standard 17 is given below) :

विवरण	Particulars	फिल्म निर्माण Film Production	फिल्म वितरण Film Distribution	सेवा परियोजना Service Project	मीडिया कैम्पेन Media Campaign	अन्य Other	कुल Total	फिल्म निर्माण Film Production	फिल्म वितरण Film Distribution	सेवा परियोजना Service Project	मीडिया कैम्पेन Media Campaign	अन्य Other	कुल Total
Particulars	Particulars	फिल्म निर्माण Film Production	फिल्म वितरण Film Distribution	सेवा परियोजना Service Project	मीडिया कैम्पेन Media Campaign	अन्य Other	कुल Total	फिल्म निर्माण Film Production	फिल्म वितरण Film Distribution	सेवा परियोजना Service Project	मीडिया कैम्पेन Media Campaign	अन्य Other	कुल Total
2010-11													
खण्ड आय	Segment Revenue												
विदेशी बिक्री	External Sales	958	401	533	16233	375	18500	1285	302	471	4400	363	6820
अंतर खण्ड बिक्री	Inter Segment Sales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल आय	Total Revenue	958	401	533	16233	375	18500	1285	302	471	4400	363	6820
खण्ड आय	Segment Expenses	808	282	367	15527	-	16984	1173	195	309	4311	-	5988
परिचालन लाभ / (हानि)	Operating Profit/ (Loss)	151	118	166	705	375	1515	112	108	161	89	363	833
ब्याज व्यय	Interest Expenses	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	301	301
मूल्य-ह्रास	Depreciation					81	81	-	-	-	-	73	73
अन आबंटित व्यय	Unallocated expenses						1275	-	-	-	-	1225	1225
आयकर	Income Taxes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सामान्य गति लाभ (हानि)	Profit / (Loss) From Ordinary Activities	151	118	166	705	290	155	112	108	161	89	(1236)	(766)
असामान्य लाभ (हानि)	Extra Ordinary Profit / (Loss)	2	(7)	(1)	1	(7)	(13)	(16)	(18)	(1)	-	87	52
शुद्ध लाभ हानि	Net Profit / (Loss)	149	126	168	704	297	169	96	90	160	89	(1148)	(713)
अन्य जानकारी	Other Information	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
खण्ड परिसम्पत्तियाँ	Segment Assets	143	2757	5576	3133	10859	22468	185	2441	1980	1613	1889	8109
अनआबंटित कारपोरेट परिसम्पत्तियाँ	Unallocated Corporate Assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल परिसम्पत्तियाँ	Total Assets	143	2757	5576	3133	10859	22468	185	2441	1980	1613	1889	8109
खण्ड देयताएँ	Segment Liabilities	68	521	248	14597	3101	18535	60	323	692	4168	1628	6872
अनआबंटित कारपोरेट देयताएँ -	Unallocated Corporate Liabilities							-	-	-	-	-	-
कुल देयताएँ	Total Liabilities	68	521	248	14597	3101	18535	60	323	692	4168	1628	6872
पूँजी गत व्यय -	Capital Expenditure			29		226	255	-	-	11	-	51	62
अन्य -	Other -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल पूँजी गत व्यय -	Total Capital Expenditure			29		226	255	-	-	11	-	51	62
मूल्य ह्रास	Depreciation					81	81	-	-	-	-	73	73
अन्य	Other -							-	-	-	-	-	-
कुल मूल्य-ह्रास	Total Depreciation					81	81	-	-	-	-	73	73
मूल्य - ह्रास के अलावा अन्य गैर रोकड व्यय	Non Cash Expense Other than Depreciation					81	81	-	-	-	-	73	73
								-	-	-	-	-	-

अनुसूची '24' पूर्व अवधि में दर्शायी गईं मंदां ऊपर संबंधित शीर्षकों में दर्शायी गईं हैं (The items shown in Schedule '24' Prior Period had been shown in respective heads above).

2. उपभोग की गई कच्ची सामग्री:

उपभोग की गई कच्ची सामग्री, स्पेअर पार्ट और पुर्जों का विवरण.

विवरण	2010-11		2009-10	
	मूल्य रु. में	प्रतिशत (%)	मूल्य रु. में	प्रतिशत (%)
कच्ची सामग्री	-	-	-	-
आयातीत	-	-	-	-
स्वदेशी	-	-	-	-
स्पेअर पार्ट व पुर्जे	-	-	-	-
आयातीत	-	-	-	-
स्वदेशी	-	-	9,028	100
कुल	-	-	9,028	100

3. विदेशी विनिमय में अर्जन

(राशि रु. में)

विवरण	2010-11	2009-10
एफओबी आधार पर गिने गए सामानों/अधिकारों पर निर्यात	2,00,08,297	1,26,34,761

4. विदेशी मुद्रा में व्यय

(राशि रु. में)

विवरण	2010-11	2009-10
पुर्जे और स्पेअर पार्ट्स	-	2,48,481
पूँजीगत माल	-	-
विदेशी फिल्म प्रिंट्स में दोहन अधिकार	-	-
कुल	-	2,48,481

5. विदेशी मुद्रा में व्यय

(राशि रु. में)

विवरण	2010-11	2009-10
विदेशी टूर/ प्रतिभाग व्यय	82,10,455	52,80,960

6. लेखापरीक्षकों को भुगतान

(राशि रु. में)

विवरण	2010-11	2009-10
लेखापरीक्षण फीस	2,50,000	2,50,000
कर लेखापरीक्षण फीस	1,00,000	1,00,000
अन्य सेवाएं	75,000	75,000
लेखापरीक्षकों के फुटकर व्यय (पूर्व के लेखापरीक्षक को चुकाए)	2,23,570	1,77,093

अनुसूची 1 से 25 को हस्ताक्षर

Signature to Schedule 1 to 25

 कृते पी.डी. दलाल अँड कं.
 सनदी लेखाकार
 (एफ आर एन 102047 डब्ल्यू)

 For P.D Dalal & Co
 Chartered Accounts
 (FRN 102047W)

 (श्रीराम के. देशपाण्डे)
 साझेदार
 सदस्य क्र. 043603

 (Shriram K. Deshpande)
 Partner
 M.No. 043603.

 स्थान : मुंबई,
 दिनांक : 21 जून 2011

 Place: Mumbai
 Dated: 21st June 2011

ii) Raw Material Consumed:

Details of raw materials, spare parts and components consumed.

(Amount in Rs.)

Particulars	2010-11		2009-10	
	Value in Rs.	Percentage (%)	Value in Rs.	Percentage (%)
Raw Materials	-	-	-	-
Imported	-	-	-	-
Indigenous	-	-	-	-
Spare Parts and Components	-	-	-	-
Imported	-	-	-	-
Indigenous	-	-	9,028	100
Total	-	-	9,028	100

iii) Earnings in Foreign Exchange

(Amount in Rs.)

Particulars	2010-11	2009-10
Export on goods/rights calculated on FOB basis	2,00,08,297	1,26,34,761

iv) CIF value of imports

(Amount in Rs.)

Particulars	2010-11	2009-10
Components and Spare Parts	-	2,48,481
Capital goods	-	-
Exploitation rights in foreign film prints	-	-
Total :	-	2,48,481

v) Expenditure in Foreign Currency

(Amount in Rs.)

Particulars	2010-11	2009-10
Foreign Tours/ Participation Expenses	82,10,455	52,80,960

vi) Payment to Auditors

(Amount in Rs.)

Particulars	2010-11	2009-10
Audit Fees	2,50,000	2,50,000
Tax Audit Fees	1,00,000	1,00,000
Other Services	75,000	75,000
Auditors out of pocket expenses (paid to earlier auditor)	2,23,570	1,77,093

निदेशक मंडल की ओर से

 For and on behalf of
 board of directors

 नीना लाठ गुप्ता
 प्रबन्ध निदेशक
 Nina Lath Gupta
 Managing Director

 साहब नारायण
 निदेशक
 Sahab Narain
 Director (Finance)

 इ. जे पॉल
 कंपनी सचिव / प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)
 E. J. Paul
 Company Secretary / M(F&A)

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

लेखाओं को भारत में लागू लेखा सिद्धांतों, कंपनी (लेखामानकों) नियम 2006 द्वारा अधिसूचित निर्वाह लेखा मानकों तथा तत्संबंधी कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के साथ सभी तथ्यों का अनुपालन करते हुए तैयार किया गया है। वित्तीय विवरणों को लेखों के एकूअल के आधार पर ऐतिहासिक लागत परिवर्तन के अंतर्गत तैयार किया गया है। कंपनी ने पिछले वर्ष में प्रयुक्त की गई लेखा नीतियों को ही अपनाया है।

2. अनुमानों के प्रयोग

सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के समनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने में यह अपेक्षित है कि प्रबंधन उस पर अनुमान और कल्पना करे कि रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियां तथा देयताएं और आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण, वित्तीय विवरण की तारीख और प्रचालन के परीणाम रिपोर्टिन्ग वर्ष के अंत में है, यद्यपि ये अनुमान प्रबंधन की वर्तमान घटनाओं एवं क्रियाओं के संबंध में अच्छी जानकारी पर आधारित है फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

3. राजस्व मान्यता

3.1 आय तथा व्यय की मद का लेखा वास्तविक आधार पर किया जाता है।

लागत का परिशोधन:

- विदेशी वाणिज्यिक फिल्मों, प्रिंटों और टी.वी. अधिकारों तथा स्वकिय फिल्मों और अधिगृहीत फिल्मों की लागत और निगम का भाग।

क) भारतीय सहनिर्माण की फिल्मों में

ख) विदेशी सहनिर्माण की फिल्मों में निगम के भाग का परिशोधन आयकर नियमों में किये गये निम्नलिखित प्रावधानों के आधार पर किया जाता है।

3.2.1 वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले कम से कम 90 दिनों की अवधि तक यदि फिल्म वाणिज्यिक आधार पर प्रदर्शन के लिये रिलीज की जाती है तो उस फिल्म की संपूर्ण निर्माण / अधिगृहण लागत को परिशोधित किया जाता है।

3.2.2 वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले कम से कम 90 दिनों की अवधि से कम यदि फिल्म वाणिज्यिक आधार पर प्रदर्शन के लिये रिलीज की जाती है तो उस फिल्म की लागत / अधिगृहण की आय की सीमा तक और शेष यदि कोई हो तो उसे अगले वित्तीय वर्ष में ले जाया जाता है और उसी वर्ष में पूरा परिशोधन किया जाता है।

3.2.3 वर्ष के दौरान जो फिल्म पूरी हो जाती है और वह रिलीज या प्रदर्शित नहीं होती तो उसकी निर्माण / अधिगृहण की संपूर्ण लागत को अगले वित्तीय वर्ष में ले जाया जाता है और उसी वर्ष में पूरा परिशोधन किया जाता है।

3.3 भारतीय टी.वी धारावाहिकों की निर्माण लागत / अधिगृहीत कार्यक्रमों और फिल्मों के खरिदे गये टी.वी अधिकारों के पूर्ण रूप से की लागत को उसी वित्तीय वर्ष में चार्ज किया जाता है जिस वर्ष में उन फिल्मों / धारावाहिकों का पहला प्रदर्शन होता है अथवा अधिकार समाप्त होते हैं, इनमें से जो पहले आए।

3.4 कंपनी द्वारा खरीदे गये टी.वी अधिकारों के लिये ऐसी स्थिति में जहां टी.वी पर फिल्में प्रदर्शित नहीं हुईं और उनके लिये भुगतान किया जा चुका है तो उस भुगतान राशि को अग्रिम के रूप में माना जाता है। चूंकि वास्तविक देयता तो करार की शर्तों के अनुसार टेलिकास्ट होने पर लागू होती है इसलिये उनके भुगतान न किये अधिगृहीत मूल्य के लिये कोई प्रावधान नहीं किया जाता है।

1. Basis for preparation of financial statements

The accounts have been prepared to comply in all material aspects with applicable accounting principles in India, mandatory Accounting Standards notified by the Companies (Accounting Standards) Rule, 2006 and the relevant provisions of the Companies Act, 1956. The financial statements have been prepared under historical cost convention on accrual basis of accounting. The accounting policies followed by the Company are consistent with those used in the previous year.

2. Use of estimates

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosures of contingent liabilities at the date of the financial statements and the results of operations during the reported period end. Although these estimates are based upon management's best knowledge of current events and actions, actual results could differ from these estimates.

3. Revenue Recognition

3.1 Item of income and expenditure are generally accounted for on accrual basis.

3.2 Amortization of cost of:

- Films / Television serials in respect of foreign Commercial films, prints and TV rights and own production of films and taken over films and Corporation's share in-
 - a) Indian co-production films
 - b) Foreign Co-production films,
 is done by following provision of Income Tax Rules,

3.2.1 Where the film is released for exhibition on Commercial basis, at least for a period of 90 days before the close of the financial year, the entire cost of production/acquisition of the films has been amortized.

3.2.2 Where the film is released for exhibition on Commercial basis for a period of less than 90 days before the close of the financial year, the cost of production/acquisition is amortized to the extent of realization and balance, if any, carried forward to the next financial year and amortized fully in that year.

3.2.3 Where the film is completed and not released or exhibited during the year the entire cost of production/acquisition is carried forward to the next financial year and amortized fully in that year.

3.3 Cost of production of Indian Television serials/acquired programmes and films purchased for TV rights are charged off in the financial year in which the first telecast of such films/serials take place or in the Financial Year, in which the rights expired, whichever is earlier.

3.4 Rights in films for distribution through Television acquired by the Corporation wherein no telecast is made are accounted as advance to the extent of the amounts paid thereof. No provision is made for the unpaid acquisition price thereof, since actual liability shall arise only in the event of telecast as per terms of the agreement.

3.5 सहनिर्माण की फिल्मों के विवरण-प्रदर्शन संबंधी व्यय

सहनिर्माण की फिल्मों के वितरण-प्रदर्शन संबंधी व्ययों की वितरण-प्रदर्शन की तिथि से बारह महिनों की अवधि के प्रदर्शन विवरण से तुलनापत्र में आगे ले जाया जाता है ताकि भविष्य में होने वाली अर्जित आय से उनकी पूर्ति की जा सके. वितरण-प्रदर्शन के व्ययों की राशी जिनकी पूर्ति बारह महिने की अवधि में नहीं हुई को लाभ तथा हानि लेखा में डाल दिया जाता है.

3.6 गैर-निष्पादन ऋणों से आय

फिल्म निर्माण / सिनेमा उपकरण खरीद / सिनेमागृह निर्माण आदी के गैर निष्पादन ऋणों के ब्याज को प्रबंधन द्वारा वसूली योग्य माना हो, उसी सीमा तक आय में लिया जाता है और जब तक वह मूल राशी के बराबर न हो जाय और उसके आगे कोई जमा नहीं दिखाई जाती जब तक कि वह वास्तविक रूप से वसूल न हो जाय.

3.7 विभिन्न मंत्रालयों/ क्लाइंट्स की ओर से प्रसारित मीडिया अभियानों के संबंध में राजस्व एवं व्यय उस वर्ष में मान्य किया गया है, जिसमें संबंधित विज्ञापन या कमर्शियल स्पॉट टेलीकास्ट/प्रसारित/ जनता के सामने प्रकट हुए हैं और इनके संबंध में सफल टेलीकास्ट/प्रसारण हेतु एजेंसी को चैनल/थिएटर/वेबसाइट से आवश्यक सूचना प्राप्त हुई है. एक वित्त वर्ष में शुरू हुए अभियान अगले वित्त वर्ष में समाप्त होने पर संबंधित वित्त वर्ष में उन्हें उस वर्ष के दौरान टेलीकास्ट/प्रसारित हुए विज्ञापन या कमर्शियल स्पॉट्स के आधार पर मान्य किया है।

3.8 विभिन्न मंत्रालयों/ क्लाइंट्स की ओर से वर्ष के दौरान आरंभ किए प्रॉडक्शंस के संबंध में राजस्व एवं व्यय को तब तक मान्य नहीं किया है, जब तक क्लाइंट ने उस सामान को औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया है या क्लाइंट ने संव्यवहार को अपनाते हुए कार्य नहीं किया है।

4. क्षेत्रीय फिल्म निर्माण हेतु सहयोग में अनुदान

विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण हेतु भारत सरकार से प्राप्त सहयोग में अनुदान तथा उसमें से 31.03.10 तक वहन किए व्यय को दायित्व पक्ष में आस्थगित सरकारी अनुदान के अंतर्गत निवल आधार पर दर्शाया गया है. विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण पर वहन किए वास्तविक व्ययों को चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित सीमा तक तथा ऐसी फिल्मों पर बोर्ड द्वारा मंजूर वहन किए प्रत्यक्ष व्ययों को इन्वेंटोरी (सूची) के रूप में दर्शाया गया है. इन फिल्मों हेतु व्यय की गई, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा अप्रमाणित शेष राशि को “क्षेत्रीय फिल्म निर्माण हेतु अग्रिम” के रूप में दर्शाया गया है. संबंधित फिल्मों के निर्माण पर प्राप्त राशि तथा वहन किए व्ययों को फिल्म के रिलीज होने हेतु तैयार होने पर क्रमशः आय तथा व्यय के रूप में दर्शाया गया है. फिल्में रिलीज के लिए तैयार होने पर ऐसी फिल्मों की निर्माण लागत के 10% को अपने कमिशन के लिए कॉर्पोरेशन लेखांकित करता है।

5. स्थायी परिसम्पत्तियां

स्थाई सम्पत्तियों को मूल लागत (सकल ब्लॉक) पर संचयी मूल्यहास घटाकर दर्शाया गया है. सम्पत्तियों के वांछित उपयोग हेतु उन्हें कार्यशील अवस्था में लाने के अन्य सभी व्ययों को पूंजीकृत किया गया है।

6. मूल्यहास

- 6.1 सम्पत्तियों पर मूल्यहास कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची क्रमांक 14 में दरो पर शेष घटाव पद्धति के अनुसार किया जाता है जब तक कि नीचे कहा न जाय.
- 6.2 पट्टे की भूमि का पट्टे की समयावधि तक ही परिशोधन किया जाता है.
- 6.3 वीडियो कैसेट्स रिकार्डिंग उपकरण, उपशीर्षकांकन युनिट और 16 एम एम अव्यवस्थापित इन्फ्रास्ट्रक्चर और लेजर उपशीर्षकांकन पर मूल्य हास 10% की दर से सीधी रेखा रेखा पद्धति के आधार पर तैयार किया गया है.

3.5 Exploitation expenses in respect of co-production films

Exploitation expenses in respect of co-production films are carried forward in the Balance Sheet to be recouped against future revenues earned from the exploitation over the period of twelve months from the date of exploitation. The amount of exploitation expenses which are not recouped within the period of twelve months are charged to Profit and Loss account.

3.6 Income from Non-Performing Loans

Interest on loans for Films and Purchase of Equipments / Constructions of Theatres is accrued and accounted in the income only to the extent equal to principal amount and no further credits are recognized thereafter unless the same is actually realized.

3.7 Revenue and Expense in respect of Media Campaigns released on behalf of various ministries / clients are recognized in the year in which the related advertisement or commercial spots are telecasted / broadcasted / appear before the public and in respect of which necessary intimation is received by the agency from the channel / theatre / website for successful telecast / broadcast. Campaigns commencing in a financial year and concluding in next financial year are recognized in the respective financial years on the basis of advertisement or commercial spots telecasted / broadcasted during that year.

3.8 Revenue and Expense in respect of Commissioned Productions undertaken during the year on behalf of various ministries / clients are not recognized until the goods have been formally accepted by the client or the client has done an act adopting the transaction.

4. Grant in Aid for Regional Film Production

The Grant in Aid received from the Govt. of India for Film Production in various Regional languages and the expenditure incurred upto 31.03.10 out of the same is shown on net basis under Deferred Govt. Grant on the liabilities side. The actual expenditure incurred on the film production in various Regional languages to the extent certified by Chartered Accountants and direct expenditure incurred on such films as approved by the Board is shown as Inventory. The balance amount spent for these films but not certified by Chartered Accountants is shown as “Advance for Regional Films Production”. The amount received and the expenditure incurred on production of respective films is shown as Income and Expenditure respectively when the Film is ready for release. The Corporation accounts for its income by way of Commission at 10% of the Cost of Production of such films when the film is ready for release.

5. Fixed Assets

Fixed Assets are stated at original cost (gross block) less accumulated depreciation. All other costs for bringing the asset to their working condition for their intended use are capitalized.

6. Depreciation

- 6.1 Depreciation on assets has been provided on the “Written Down Value” basis at the rates prescribed by Schedule XIV of the Companies Act, 1956 unless otherwise stated below.
- 6.2 Leasehold land is amortized over the period of lease.
- 6.3 Depreciation in respect of video cassettes recording equipment / telecine equipment, subtitling unit, 16mm infrastructure and Laser sub-titling, video studio has been provided @ 10% on Straight line method.

- 6.4 एविड एयरप्ले परियोजनाएं और स्पेशल इफेक्ट स्टूडियो पर मूल्य ह्रास 25% की दर से सीधी रेखा पद्धती से उपकरण की जीवन अवधि को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
- 6.5 पूंजीगत मूल्य के 95% तक सीधी रेखा पद्धती के आधार पर मूल्य ह्रास किया गया है।
- 6.6 वर्ष के दौरान जोड़ी गई अन्य परिसंपत्तियों का मूल्य ह्रास उनकी खरीद या जुड़ने की तारीख से तथा अनुपात से किया गया है।
- 6.7 रुपये 5000/- तक की विशिष्ट परिसंपत्तियों का मूल्य ह्रास उसके क्रय होने के वर्ष में पूर्ण रूप से किया गया है।

7. रोकड प्रवाह लेखांकन

रोकड प्रवाह विवरण को अप्रत्यक्ष पद्धति के अंतर्गत बनाया गया है।

8. पूर्व वर्ष की मंटे

पूर्व वर्षों के वित्तीय विवरणों में हुई त्रुटि या भूलों की वजह से किये गये समंजन को पूर्व वर्ष समंजन खाते के अंतर्गत दर्शाया जाता है।

9. विदेशी मुद्रा में किये गये लेनदेन

विदेशी मुद्रा में किये गये लेन देनो का लेखा रिपोर्टिंग मुद्रा की राशि पर लागू लेन देन की तारीख विनिमय दर के आधार पर किया जाता है। सभी मौद्रिक परिसंपत्तिया और देयताएं तुलनपत्र की तारीख के दिन लागू विनिमय दरों के अनुसार पुनर्व्यक्त की जाती है।

10. कर्मचारी सेवा निवृत्ति लाभ

- 10.1 कंपनी ने कर्मचारियों के लिये सामूहिक उपदान न्यास की स्थापना की जाने के परीणाम स्वरूप भारतीय बीमा निगम से सामूहिक उपदान एवं जीवन बीमा की पॉलिसी ली है। जीवन निगम को भुगतान की गई बीमा किस्त की राशी को व्यक्त के रूप में चार्ज किया जाता है।
- 10.2 भुनाई जाने वाली छुट्टी के लिये प्रावधान कर्मचारी लाभ मानक 15 (संशोधन 2005) के अनुसार एक्चुरियल मूल्यांकन आधार पर किया जाता है।

11. संदिग्ध ऋणों/ अग्रिमों/ ऋणों के लिए प्रावधान निम्नानुसार किया जाता है:

- 11.1 सरकारी देयों के अलावा तीन साल से ज्यादा अवधि के बकाया सभी विविध देनदारों / कर्जदारों के संबंध में।
- 11.2 अन्य सभी विविध देनदारों / कर्जदारों के संबंध में उस सीमा तक प्रबंधन के मतानुसार जहां जरूरी लगता है।
- 11.3 फिल्मों / सिनेमागृह ऋणों / टी.वी. सीरीयल वित्तपोषण और अन्य अग्रिमों के संबंध में ऋण एवं अग्रिमों का प्रावधान उस सीमा तक किया जाता है जहां तक प्रबंधन को लगता है की यह वसूली योग्य नहीं है।

12. संपत्ति सूची

- 12.1 संपत्ति सूची (क) में शामिल है पूर्ण की हुई फिल्मों (ख) आयातित फिल्मों के वितरण / प्रदर्शन अधिकारों की अपरिशोधित लागत (ग) विदेशी सहनिर्माण की फिल्मों में निगम का भाग, निर्माणाधीन फिल्मों की लागत, खाली वीडियो कैसेट्स का स्टॉक तथा स्वर्ण।
- 12.2 वीडियो कैसेट्स के स्टॉक तथा निर्माणाधीन फिल्मों का मूल्यांकन लागत पर किया गया है।
- 12.3 स्वर्ण को ऐतिहासिक लागत पर आंका गया है।
- 12.4 पूरी हो चुकी फिल्मों का मूल्यांकन एक रुपये के नाममात्र मूल्य पर किया गया है।

- 6.4 Depreciation on the Avid Airplay and Special Effects Studio has been provided 25% on Straight Line Method considering the life span of the equipments.
- 6.5 Depreciation is charged on Straight Line method upto 95% of capitalized value.
- 6.6 Depreciation on all additions made during the year has been provided pro-rata from the date of such addition.
- 6.7 Individual Assets costing upto Rs. 5000/- are depreciated fully in the year of purchase

7. Cash Flow Accounting

The Cash Flow Statement is prepared under Indirect Method.

8. Prior Period Items

Adjustments arising due to errors or omissions in the financial statements of earlier years are accounted under "Prior Period Adjustments".

9. Transactions in Foreign Exchange

Foreign currency transactions are recorded in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency at the date of the transaction. All monetary assets and liabilities as at the Balance Sheet date are restated at the applicable exchange rates prevailing on that date.

10. Employees' Retirement benefits

- 10.1 Consequent upon the Corporation's forming a Group Gratuity Trust for the employees and taking a policy under Group Gratuity cum Life Assurance Policy with Life Insurance Corporation Of India, the premium payable to Life Insurance Corporation Of India is charged off as expenses.
- 10.2 Provision for Leave encashment has been made based on actuarial valuation as per Accounting Standard 15 (revised 2005) Employee Benefits.

11. Provisions for Doubtful Debts/ Advances/ Loans are made as follows:

- 11.1 In respect of all Sundry Debtors/other Debts outstanding for a period of more than 3 years other than Government dues.
- 11.2 In respect of all other sundry debtors/debts to the extent considered necessary in the opinion of the management.
- 11.3 In respect of loans for film/ theatre/ TV serial finance and other advances, the provisions are made for the loans and advances to the extent considered not recoverable by the Management.

12. Inventories

- 12.1 Inventories include Unamortized cost of – a) completed films, b) exploitations rights in imported films c) Corporation's share in foreign co-production films; films under production ; Completed films; Stock of blank video cassettes and Gold
- 12.2 Stocks of video-cassettes and films under production have been valued at cost.
- 12.3 Gold is valued at historical cost.
- 12.4 Completed films are valued at nominal value of Re. 1 each.

13. खंडीय सूचना

व्यापारीक खंड

वर्ष के दौरान निगम ने अपने व्यवसायों की समीक्षा की और चार व्यापारिक खंड चिन्हित किये-फिल्म निर्माण, फिल्मों का वितरण, सेवा परियोजनाएं तथा मीडिया कैपेन. पिछले वर्ष तक तीन व्यापारीक खंड चिन्हित किये गये थे-फिल्म निर्माण, फिल्मों का वितरण तथा सेवा परियोजनाएं. निगम की निर्यात गतिविधियों की आय कुल प्राप्ति के 10 से ज्यादा नहीं है इसलिए निगम ने भौगोलिक खंड प्रचलित नहीं किया है.

आय व्यय खंड :

खंडीय आय और व्ययों में सभी मदें संबंधित खंड में प्रत्यक्ष आरोप्य शामिल हैं. प्रशासनिक व्यय, कार्मिक लागत और स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास किसी विशेष खंड के साथ जोड़ा नहीं जा सकता इसलिए इन्हें अविभाजनीय समझा गया है.

खंडीय परिसंपत्तियां और दायित्व :

खंडीय परिसंपत्तियों और दायित्वों में सभी प्रत्यक्ष आरोप्य संबंधित खंड में शामिल हैं. सभी अन्य परिसंपत्तियां और दायित्व किसी विशेष खंड के लिये आरोप्य नहीं हैं. उनका अविभक्त परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के अंतर्गत समूह बनाया गया है.

14. संबंधित पार्टी का लेन देन

लेखा मानक 18 के अपेक्षानुसार प्रकटीकरण बनाया गया है तथा उसे मद संख्या 38 के अंतर्गत दिखाया गया है.

15. कराधान

वर्ष में चालू कर को कर योग्य आय से संबंधित कर योग्य राशि से निर्धारित किया. आस्थगित माना जाता है. कर योग्य आय तथा आय में अंतर होने के कारण जो की अर्जित होने के कारण और जो एक या अधिक अनुवर्ती कालावधि में परिवर्तित होने में सक्षम है तथा संबंधित अधिनियम कर दरो से आंका जाता है.

16. परिसंपत्तियों का क्षरण

क्षरण हानि, यदि कोई है तो, उसका प्रावधान उस सीमा तक किया जाता है जब तक परिसंपत्तियों की अग्रेणीत राशि उसकी वसूली योग्य राशि को पार कर जाय. वसूली योग्य राशि (संपत्ति की) शुद्ध बिक्री राशि से ज्यादा है और उसका मूल्य उपयोग में है.

17. प्रतिअंश आय

प्रति इक्विटी शेयर की आय(प्रारंभिक / द्रवीकृत) को इक्विटी अंशधारको को वर्ष के लिये शुद्ध लाभ एवं हानि (देय करो को घटा कर) में वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभक्त करके आकलित किया जाता है.

18. प्रावधान तथा आकस्मिक देयताएं

प्रावधान वे देयताएं हैं जिन्हें सिर्फ विशिष्ट अनुमान स्तर को प्रयुक्त करके आंका जा सकता है. उन्हें हर एक तुलनापत्र की दिनांक पर दर्शाया जाता है तथा चालू प्रबंधन आकलन पर परावर्तित करके समायोजित किया जाता है. आकस्मिक देयताएं उपयुक्त अनुगृहीत मामलों में प्रकट हो सकती हैं जहां संसाधन की गती की संभावना निश्चित नहीं है अथवा दायित्व राशि का विश्वसनीय आकलन बनाया नहीं गया है.

13. Segment Reporting

Business Segment

During the year the Corporation has undertaken review of its business and identified four business segments viz. Film Production, Distribution of films, Service projects and Media Campaign. Upto previous year, three business segments were identified viz. Film Production, Distribution of films and Service projects. The Corporation has not identified geographical segment as reportable segment since revenue from export activity of Corporation is not more than 10% of the total revenue.

Segment Revenues and Expenses:

The segmental revenues and expenses include all items directly attributable to the respective segment. Administrative expenses, personnel costs and depreciation on fixed assets cannot be identified with any particular segment and are considered as unallocated.

Segment Assets and Liabilities:

The segmental assets and liabilities include all items directly attributable to the respective segment. All other assets and liabilities not attributable to any particular segment have been grouped under unallocated Assets and liabilities.

14. Related Party Transactions

Disclosure is made as per the requirement of the Accounting Standard 18 and the same is given under item no. 38.

15. Taxation

Current tax is determined as the amount of tax payable in respect of taxable income for the year. Deferred tax is recognized, subject to the consideration of prudence, on timing difference, being the difference between taxable income and accounting income that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods and measured using relevant enacted tax rates.

16. Impairment of assets

Impairment loss, if any, is provided to the extent, the carrying amount of the asset exceeds their recoverable amount.

17. Earning Per Share

Earning Per equity share (Basic / Diluted) is calculated by dividing the Net Profit or Loss for the year attributable to Equity Shareholders (after deducting attributable taxes) by the weighted average number of Equity Shares outstanding during the year.

18. Provision and Contingent Liabilities

Provisions are liabilities that can be measured only by using substantial degree of estimation. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current management estimates. Contingent liability is disclosed in case of possible obligation where the probability of outflow of resources is not certain or where reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

रोकड प्रवाह विवरण 31 मार्च, 2011 की समाप्त अवधि के लिए
CASH FLOW STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2011

(रुपये लाख में)

Rs. in Lakh

विवरण	Particulars	2010-11		2009-10	
1 प्रचालन गतिविधियों से रोकड प्रवाह	I. CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES				
कराधान तथा असाधारण मदों के पहले शुद्ध लाभ	Net profit before taxation & extra ordinary item		155.34		-769.67
समंजन हेतु	(a) adjustments for				
मूल्य न्हास और हानि	Depreciation & Impairment	81.31		72.97	
उपदान के लिए प्रावधान	Provision for Gratuity	-9.30		25.70	
छुटियाँ भुनाने का प्रावधान	Provision for leave encashment	-7.50		6.14	
फिचर फिल्मों का परिशोधन	Amortisation of Feature Films	-		123.01	
अशोध्य ऋण बट्टे खाते में डाले गये	Bad debts written off			152.74	
विविध देनदारों का प्रावधान	Provision for Sundry Debtors	25.14		0.61	
ऋण एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	Provision for Loan and Advances	3.20		3.52	
ब्याज आय	Interest Income	-255.14		-148.21	
ब्याज व्यय	Interest Expenses	3.13		300.68	
	Profit on Sale of Assets	-1.67		-	
	TOTAL OF (a)		-160.83		537.16
कार्यशील पूँजी में परिवर्तन के पहले प्रवचन रोकड लाभ	Operating cash profit before working capital changes		-5.49		-232.51
समंजन हेतु	(b) Adjustments for				
सम्पत्ति सूची में कमी / वृद्धि	Increase/Decrease in Inventories	-0.95		129.38	
विविध देनदारों में वृद्धि	Increase in Sundry Debtors	-5396.75		-3315.69	
ऋण एवं अग्रिमों में वृद्धि	Increase in Loans and Advances	-1469.87		-188.92	
आस्थागित कर देयताएँ में वृद्धि	Increase in other Current Assets	-21.22		32.06	
विविध लेनदारों तथा अन्य देयों में वृद्धि	Increase in Sundry Creditors and other Payables	11679.28		3813.92	
फीचर फिल्मों का परिशोधन	Amortisation of Feature Films	-		-123.01	
	TOTAL OF (b)		4790.49		347.74
1 प्रचालन गतिविधियों से उत्पन्न रोकड	I. CASH GENERATED FROM OPERATIONS		4785.00		115.22
आयकर भुगतान	Income Tax paid		-		-
असाधारण मदों के पहले रोकड प्रवाह	CASH FLOWS BEFORE EXTRAORDINARY ITEM		4785.00		115.22
पूर्व वर्ष समंजन हेतु	Prior year adjustment		-4.58	-17.37	
अतिरिक्त प्रावधान वापिस	Excess provision written back		17.88	73.86	
आस्थागित राजस्व व्यय	Deferred Revenue Expenditure		-17.76	326.77	
प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध रोकड (क)	NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES (A)		4780.54		498.47
2. निवेश-गतिविधियों से रोकड प्रवाह	II. CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES				
पूँजीगत कार्य में विकास	Capital Work in Progress	-17.52		-11.34	
स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद	Purchases of fixed assets	-216.11		-51.08	
स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री (शुद्ध)	Sale of fixed assets (net)	7.56		1.35	
ब्याज प्राप्त	Interest received	255.14		148.21	
निवेश गतिविधियों से प्रयुक्त शुद्ध रोकड (ख)	NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITIES (B)		29.07		87.13

विवरण	Particulars	2010-11		2009-10	
3. वित्तीय गतिविधियों से रोकड प्रवाह	III. CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES	-		-	
अंश पूंजी में वृद्धि	Increase on Share capital	3140.00			
आस्थगित सरकारी अनुदान	Deferred Government Grant	24.96		457.78	
ओवर ड्राफ्ट शेषों में कमी	Decrease in Overdraft balances	-		-448.21	
अप्रतिभूत ऋणों में वृद्धि	Increase in Unsecured Loan	-2638.10		298.15	
ब्याज भुगतान	Interest paid	-3.13		-300.68	
वित्तीय गतिविधियों में शुद्ध रोकड (ग)	NET CASH FROM FINANCING ACTIVITIES (C)		523.73		7.04
रोकड तथा रोकड समतुल्यों में शुद्ध वृद्धि (क + ख + ग)	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A + B + C)		5333.34		592.64
रोकड तथा रोकड समतुल्यों का प्रारम्भिक शेष	OPENING BALANCE OF CASH AND CASH EQUIVALENTS		2747.03		2154.39
रोकड तथा रोकड समतुल्यों का अंतिम शेष	CLOSING BALANCE OF CASH AND CASH EQUIVALENTS		8080.37		2747.03

दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार है।

कृते पी.डी. दलाल अँड कं.
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन 102047 डब्ल्यू)

(श्रीराम के. देशपाण्डे)
साझेदार
सदस्य क्र. 043603
स्थान : मुंबई,
दिनांक : 21 जून 2011

As per our report of even date

For P. D. Dalal & Co
Chartered Accountant
(FRN 102047W)

(Shriram K. Deshpande)
Partner
M.No. 043603.
Place: Mumbai
Dated: 21st June 2011

निदेशक मंडल की ओर से

नीना लाठ गुप्ता
प्रबन्ध निदेशक
Nina Lath Gupta
Managing Director

इ. जे पॉल
कंपनी सचिव / प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)
E. J. Paul
Company Secretary / M(F&A)

**For & on behalf of
board of directors**

साहब नारायण
निदेशक
Sahab Narain
Director (Finance)

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट AUDITOR'S REPORT

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड के सदस्यों के लिये

हमने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के 31 मार्च, 2011 के संलग्न तुलनपत्र को तथा उसी तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लाभ-हानि लेखे तथा रोकड प्रवाह विवरण को भी लेखा परीक्षित किया है, ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधन के दायित्व हैं। हमारा दायित्व इन विवरणों पर हमारे द्वारा किये गये लेखा परीक्षण के आधार पर अपनी राय जाहिर करना है।

हमने यह लेखा परीक्षण भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षण मानदंडों के अनुरूप किया है। इन मानदंडों के अनुसार यह आवश्यक है कि हम लेखा परीक्षण की योजना इस प्रकार बनाकर काम करें जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इन वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार का गलत आर्थिक विवरण नहीं दिया गया है। लेखा परीक्षण में एक टेस्ट आधार पर जांच, राशियों के समर्थक साक्ष्य तथा वित्तीय विवरणों में खुलासा करनेवाले तथ्य शामिल हैं। लेखा परीक्षण में हिसाब-किताब रखने के लिये अपनाये गये सिद्धांतों की जांच, प्रबंधन द्वारा लगाये गये महत्वपूर्ण अनुमानों और कुल मिलाकर दिये गये आर्थिक विवरणों के प्रस्तुतिकरण के मूल्यांकन का समावेश होता है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा किये गये लेखा परीक्षण में हमारे द्वारा व्यक्त राय का पर्याप्त आधार मौजूद है।

जैसा कि केंद्रिय भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227(4 क) के संबंध में जारी कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2003 (यथा संशोधित) द्वारा अपेक्षित है और उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 एरा 5 में उल्लिखित विषयों पर एक विवरण अनुलग्न में संलग्न कर रहे हैं।

उपर्युक्त के संदर्भ में अनुलग्नक में अपनी टिप्पणियों के आगे, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

- 1) हमने वे सारी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किये जो हमारी संपूर्ण जानकारी तथा विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षण के लिये आवश्यक थे।
- 2) हमारी राय में कंपनी द्वारा रखे गये वे सब खाते तथा बहियां जो कानून के अनुसार आवश्यक हैं, उचित ढंग से तैयार कर के रखे गये हैं। बही खाते की जांच से हमें यही अनुभूती हुई।
- 3) इस रिपोर्ट के साथ जिस तुलनपत्र तथा लाभ हानि के विवरण तथा रोकड प्रवाह विवरण से वास्ता रहा, उसका बही खातों से सामंजस्य था।
- 4) हमारी राय के अनुसार इस रिपोर्ट से संबंधित तुलनपत्र तथा लाभ एवं हानि खाते तथा रोकड प्रवाह मानक लेखाओं के अनुरूप हैं जिनका जिक्र कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3 ग) में है।
- 5) भारत सरकार के कानून, न्याय तथा कंपनी मामलों के मंत्रालय के नियमित मामलों के विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या जी एस आर 829 (ड) दिनांक 21.10.2003 के संदर्भ में कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 (1) (च) के निदेशों की अपात्रता संबंधी प्रावधान निगम पर लागू नहीं होते।
- 6) निम्न की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है:
 - क) विविध देनदारों के कुल शेषों की वसूली, ऋण एवं अग्रिमों, अमानतों (चाहे प्रावधान किया गया हो या नहीं) और आयकर, टीडीएस, वैट और सेवाकर से संबंधित कुछ शेष समेत चालू देयताएं निश्चित नहीं हैं, चूंकी यह राशि की पुष्टि होने पर और यह पंचनिर्णय के आधीन है अथवा लंबे समय से वसूल नहीं की गई है। इसका वित्तीय विवरणों पर तत्पराणिमस्वरूप समंजन जैसा कि अनुसूची 25 के नोट संख्या 21 में स्पष्ट किया गया है कि यह अभिनिश्चयन योग्य नहीं है।

To
The Members,
National Film Development Corporation Limited.

We have audited the attached Balance Sheet of National Film Development Corporation Limited as at 31st March, 2011 and the Profit and Loss Account and Cash Flow Statement for the year ended on that date annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the Corporation's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material mis-statement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

As required by the Companies (Auditor's Report) Order 2003 (as amended) issued by the Central Government of India in terms of section 227(4A) of the Companies Act 1956 and on the basis of such checks of the books and records of the Corporation as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us, we enclose in the Annexure a statement on the matters specified in paragraphs 4 and 5 of the said Order.

Further to our comments in the Annexure referred to above, we report that :

- (i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;
- (ii) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Corporation so far as it appears from our examination of those books;
- (iii) The Balance Sheet and Profit and Loss Account and Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account;
- (iv) In our opinion, the Balance Sheet and Profit and Loss Account and Cash Flow Statement dealt with by this report comply with the accounting standards referred to in sub section (3C) of section 211 of the Companies Act, 1956 to the extent applicable.
- (v) In terms of Notification No.GSR 829 (E) dated 21-10-2003 issued by the Ministry of Law, Justice and Company Affairs, Government of India, Department of Corporate Affairs, the provisions of Section 274 (1) (g) of the Companies Act, 1956 regarding disqualification of directors do not apply to this Corporation.
- (vi) Attention is invited to the following:
 - a) The recoverability of some of the balances in Sundry Debtors, Loans and Advances, Deposits (whether provided or not) and Current Liabilities, including few balances in respect of income tax, tds, vat and service tax, is not certain since these amounts are subject to confirmation and are either under arbitration or have not been collected for long period, the consequential adjustments of the same on the financial statements is not ascertainable as specified in Note no.21 of Schedule 25.

- ख) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को दी जाने वाली 426.02 (गतवर्ष 307.25) लाख रु. की अनुग्रह राशि, जो पिछले वर्ष आस्थगित कर दी गई थी, जैसा की अनुसूची 25 के नोट संख्या २२ में स्पष्ट किया गया है.
- ग) वर्ष के अंत में अनुसूची 25 नोट संख्या 24 में उल्लिखित 193.52 लाख रु. उपदान देयताओं का फंड नहीं दिया गया है. कर्मचारियों को उपदान हेतु दिया गया रुपये 3.86 की राशि का भूगतान (गतवर्ष रु 27.10 लाख) लाभ एवं हानि खाते में व्यय है.
- घ) भारत सरकार से प्राप्त सहायता राशि में से एक फिल्म की निर्माण लागत के कुछ प्रतिशत के रूप में प्राप्त 6.24 लाख रुपये कमीशन को बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार आय माना गया है जैसा की अनुसूची 25 के नोट संख्या 27 में उल्लिखित है.
- ङ) जैसा की अनुसूची 25 के नोट संख्या 32 में उल्लिखित किया गया है कि पुराने फर्निचर और उपस्कर की बिक्री से प्राप्त 0.38 लाख (गतवर्ष 0.23 लाख) रु. इन परिसंपत्तियों के पुस्तक मूल्य के सही विवरण उपलब्ध न होने की वजह से अन्य आय के तौर पर दर्ज किये गये..
- च) लाभ का लेखा और फिल्म गांधी की आय को वित्तीय वर्ष आधार के बजाय कैलेंडर वर्ष पर दर्ज किया. जैसा कि अनुसूची २५ के नोट संख्या ३४ में स्पष्ट किया गया है की वित्तीय वर्ष में उत्पन्न हुई आय कि जानकारी उपलब्ध नहीं हुई.
- छ) निगम ने टी.वी विपणन विभाग के देनदारों की वसूली योग्यता, जिसके सामने कानूनी मुकदमा दर्ज किया गया था वह निश्चित नहीं है, जैसा की अनुसूची 25 के नोट संख्या 35 में स्पष्ट किया गया है वित्तीय विवरणों के कानूनों के मामले से उत्पन्न हुए परिणाम का प्रभाव अभिनिश्चयन योग्य नहीं है.
- ज) व्यवस्थापन द्वारा पहले किये जा चुके हैं परिसंपत्तियों कि प्रत्यक्ष प्रत्यापन आधार पर निगम ने कुछ अचल संपत्तियों को व्यवस्थापन द्वारा पहले किये जा चुके प्रत्यक्ष सत्यापन के बाद बिक्री के लिये परिसंपत्तियों के तौर पर चिन्हीत किया है. तुलनपत्र में ये परिसंपत्तिया व्यवस्थापन की इस धारणा के आधार पर 42.72 लाख (गतवर्ष 42.72 लाख) रुपये की दर्शायी गई है कि इन परिसंपत्तियों का शुद्ध पुनः बिक्री मूल्य इस राशि के बराबर अथवा इससे अधिक ही होगा. जैसा कि अचल परिसंपत्तियों की अनुसूची ६ के नोट संख्या २ में उल्लिखित है.

हमारी टिप्पणियों को बशर्ते उपर (६) दिये गये.

हमारी राय में अधिकतम जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त लेख टिप्पणियों के साथ टिप्पणियां पढ़ी जाएं तथा उनमें उसी अनुरूप दी गई जैसी कि कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत भारत में आमतौर पर मान्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार आवश्यक होती है.

(क) निगम के कारोबार की स्थिति का 31 मार्च 2011 का तुलनपत्र और

(ख) उसी तारीख को समाप्त वर्ष की हानि के लाभ एवं हानि खाते और

(ग) उसी तारीख को समाप्त वर्ष के रोकड प्रवाह का रोकड प्रवाह विवरण

- b) The ex-gratia amount of Rs.426.02 lakhs (Previous year Rs.307.25 lakhs) paid to employees towards Voluntary Retirement Scheme has been expensed out to Profit & Loss Account as specified in Note No.22 of Schedule 25.
- c) Gratuity Liability for Rs.187.45 lakhs (Previous year Rs.193.52 lakhs) unfunded as at the year end as specified in Note No.24 of Schedule 25. Amounts paid towards gratuity to employees Rs.3.86 lakhs (Previous year Rs.27.10 lakhs) were expensed out to Profit & Loss Account.
- d) Commission of Rs.6.24 lakhs (Previous year Rs.48.88 lakhs) is recognized as income at certain percentage on cost of production of one film, out of the grant amount received from the Government of India, on the basis of decision taken by the Board as specified in Note no.27 of Schedule 25.
- e) Sales proceeds of old furniture and fixtures amounting to Rs.0.38 lakhs (Previous year Rs.0.23 lakhs) were recorded as Other Income on account of non-availability of exact details of book value of such assets as specified in Note No. 32 of Schedule 25.
- f) The accounting of profits and income of film GANDHI has been done on calendar year basis instead of financial year basis, in absence of necessary information being available in respect of income arising on financial year basis as specified in Note no.34 of Schedule 25.
- g) The recoverability of the TV Marketing Division debtors against which the Corporation has filed cases in the Court of Law is not certain. The impact of the outcome arising out of legal cases on the financial statements is not ascertainable as specified in Note no.35 of Schedule 25.
- h) On the basis of physical verification of assets carried out by the management in the past, Corporation had identified some of the fixed assets as "Assets Held for Sale". These assets have been shown in the Balance Sheet at Rs.42.72 lakhs net of depreciation (Previous year Rs.42.72 lakhs) representing management expectation that the Net Realizable Value of the assets would be equal to or more than these amounts as specified in Note no.2 under Schedule no.6 for Fixed Assets.

Subject to our comments in (vi) above, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said accounts read with the notes thereon give the information required by the Companies Act, 1956, in the manner so required and give true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

- (a) in the case of Balance Sheet, of the state of affairs of the Corporation as at 31st March, 2011; and
- (b) in the case of the Profit and Loss Account, of the profit for the year ended on that date and
- (c) in the case of Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

पी.डी. दलाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 102047 डब्ल्यू

(श्रीराम के. देशपांडे)
साझेदार
एम. सं. : ०४३६०३

स्थान : मुंबई
Date : 21st June 2011.

For P. D. DALAL & Co.
Chartered Accountants
FRN 102047W

(Shriram K. Deshpande)
Partner
M. No. 043603

दिनांक : 21 जून 2011.
Place : Mumbai.

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक (हमारी तद्दिनांक रिपोर्ट के संदर्भ में)

Annexure to the Auditor's Report (Referred to in our report of even date)

1. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार स्थाई संपत्ती रजिस्ट्रो में परिसंपत्ति का परिमाणान्तरक विवरण तथा उसकी स्थानव स्थिती के उल्लेख सहित पूरा विवरण दिया जाता है जिसे निगम द्वारा रजिस्ट्र को संग्रहित तथा अद्यतन रखा जाता है।

(ख) हमें दी गई स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन ने गतवर्ष स्थायी संपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन के लिये एक विशेष प्रक्रिया अपनाई है। इस प्रक्रिया में स्थाई संपत्तियों के कुछ मदों को स्थाई संपत्ति के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत पुनर्विभक्त किया गया है और उन्हें बेचने के लिये अलग से दर्शाया गया है। चूंकि प्रबंधन पुस्तकीय रिकॉर्ड्स और प्रत्यक्ष संपत्ति सूचियों के मिलान की प्रक्रिया में है इसलिये हम पुस्तकीय रिकॉर्ड्स और प्रत्यक्ष संपत्ति सूची में आइ विसंगतियों पर टिप्पणी नहीं दे सकते। संपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन में ज्ञान विसंगतिया, यदि कोई हो, तो उन्हें संपूर्ण प्रक्रिया के समाप्त होने पर लेखा पुस्तकों में समायोजित कर लिया जायेगा।

(ग) वर्ष के दौरान निगम ने किसी भी स्थाई परिसंपत्तियों का निपटान नहीं किया है इसलिये कि यह प्रभाव गतिशील संस्थान का है।
2. (क) जैसा हमें स्पष्टीकरण दिया गया की प्रबंधन के पास निगम में रखी सूची का प्रत्यक्ष सत्यापन है। हमारी राय में सत्यापन की पद्धती उचित और पर्याप्त है।

(ख) हमारी राय में निगम की कार्य प्रकृति और आकार की दृष्टि से सत्यापन की आवृत्तिया को और सशक्त करने की आवश्यक है।

(ग) हमें यह सूचित किया गया की पुस्तकीय रिकॉर्ड और प्रत्यक्ष संपत्ति सूची में कोई सामग्री में फर्क नहीं पाया गया।
3. (क) हमें दी गई जानकारीयों और सभी स्पष्टीकरणों के अनुसार निगम ने अधिनियम कि धारा 301 के अंतर्गत रखे गये रजिस्ट्र में उन कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पार्टियों को कोई प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत ऋण नहीं दिये है। इसलिए उपवाक्य iii) (ख)(ग) और (घ) लागू नहीं है।

(ई) हमें दी गई जानकारीयों और सभी स्पष्टीकरण के अनुसार निगम ने अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत रखे गये रजिस्ट्र में उन कम्पनियों, फर्मों अथवा अन्य पार्टियों को कोई प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत ऋण नहीं लिया है। इसलिए उपवाक्य iii) (च) और (छ) लागू नहीं है।
4. हमारी राय में हमें दी गई जानकारीयों तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार निगम के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप संपत्ति सूचि एवं स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद एवं माल और सेवाओं की बिक्री के सम्बन्ध में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां अपनाई जा रही है। आगे, हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के आधार पर हमें आंतरिक संचालन पद्धति में कोई महत्वपूर्ण कमियाँ का उदाहरण मिला है न ही हमें सूचित की गई है।
5. (क) अधिनियम की धारा 301 से संदर्भित सौदों एवं करारो का विवरण इस धारा के अंतर्गत है। चूंकी निगम ने ऐसा कोई करार या सौदा नहीं किया है इसलिये रजिस्ट्र में किसी विवरण की प्रविष्टि नहीं है।

(ख) चूंकी निगम ने अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत पार्टियों के साथ कोई लेन देन नहीं किया है इसलिये करार या सौदे से संबंधित उपयुक्त धारा लागू नहीं होती।
1. a) As per the information and explanations given to us, the Fixed Assets register showing full particulars including quantitative details and situation of Fixed Assets is being compiled and updated by the Corporation.

b) As explained to us, the management had carried out special exercise for verification on Fixed Assets during previous years. Arising out of the exercise, certain items of fixed assets have been reclassified under different heads of fixed assets and depreciation was calculated accordingly. Certain items of fixed assets were identified for disposal and have been shown separately as Assets Held for Sale. However, the management is in the process of reconciling the book records and the physical inventory, therefore we are unable to comment whether the discrepancies between the book records and the physical inventory are material or not. It was informed that discrepancies noticed on physical verification of assets, if any, will be adjusted in the books of account after completion of the entire exercise.

c) During the year, the Corporation has not disposed off any of the fixed assets so as to affect the going concern.
2. (a) As explained to us, the management has physically verified the inventory lying with the Corporation. In our opinion the system of verification is reasonable and adequate.

(b) In our opinion, the frequency of verification needs to be strengthened in regard to the size of the Corporation and nature of its business.

(c) It was informed to us that no material discrepancies were found between the book records and physical inventory.
3. (a) According to the information and explanations given to us, the Corporation has not granted any loans, secured or unsecured to companies, firms or other parties covered in the register maintained under section 301 of the Act. Therefore clauses (iii) (b), (c) and (d) are not applicable. e) According to the information and explanations given to us, the Corporation has not taken any loans, secured or unsecured to companies, firms or other parties covered in the register maintained under section 301 of the Act. Therefore clause (iii) (f) and (g) are not applicable.
4. In our opinion and according to the information and explanations given to us, there are adequate internal control procedures commensurate with the size of the Corporation and the nature of its business with regard to purchase of inventory, fixed assets and for the sale of goods and services. Further, on the basis of our examination and according to the information and explanations given to us, we have neither come across nor have we been informed of any instance of major weakness has been noticed in the internal control system.
5. (a) According to the information and explanations given to us, the Corporation has not entered into any contracts with the parties whose names need to be entered in the register, maintained under Section 301 of the Companies Act 1956 and therefore no entries need to be entered in such register.

(b) Since the Corporation has not entered into any transaction with the parties in respect of any contract or arrangement as mentioned in Section 301 of the Act the said clause is not applicable.

6. हमारे बेहतर जानकारी एवं हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार निगम ने वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देशों तथा अधिनियम के 58 ए एवं 58 ए ए अथवा अन्य संबंधित प्रावधानों और उसके अंतर्गत बने नियमों के आधीन जनता से कोई अमानते स्वीकार नहीं की है।
7. हमारी राय में, अंतर्गत लेखा परीक्षा पद्धति व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप उचित और पर्याप्त है।
8. हमें दी गई जानकारीयों और स्पष्टीकरणों के अनुसार केंद्रीय सरकार ने अधिनियम की धारा 209 की उपधारा (1) के उपवाक्य (घ) के अंतर्गत लागत रिकॉर्ड का रखा जाना निर्धारित नहीं किया है।
9. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा प्रस्तुत और जांच की गई पुस्तकें तथा रेकॉर्ड्स के अनुसार, हमारी राय में अविवादित वैधानिक देय जिसमें भविष्य निर्वाह निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, सेवा कर, सीमा शुल्क उत्पादन शुल्क, सैस और निगम को लागू होने वाली अन्य मटेरीअल वैधानिक देय राशी आम तौर पर नियमित रूप से उपयुक्त अधिकारियों के साथ जमा की गई है। हमें दी गई जानकारीयों और स्पष्टीकरणों के अनुसार अविवादित राशी आय कर, सम्पत्ती कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क तथा सैस 31 मार्च, 2011 को छः महिनों से अधिक अवधि से बकाया है जिस तारीख से वे देय हैं।
- (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार सेल्स टैक्स, इन्कम ड्यूटी, वैल्यू टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी/ सेस आदि का कोई देय नहीं है जो कि किसी विवाद के कारण जमा न कराया गया हो सिवाय निम्नांकित मामलों के :

संवधि की प्रकृति	बकाया का नाम	फोरम, जहां मामला विचाराधीन है	राशि
पश्चिम बंगाल बिक्री कर एक्ट	10.09.1994 से 31.03.2007 की अवधि के लिए फिल्म वितरण व्यापार के लिए बिक्री कर द्वारा दावे के लिए याचिका दर्ज की थी	वाणिज्यिक कर अधिकारी, बिक्री कर कार्यालय, कोलकाता	20,70,362
आय कर एक्ट, 1961	एक्ट का हर्जाना यू/एस 271 बी, (ए.वाय.2002-2003)	सह आयुक्त आय कर एक्ट - 11 (1) का कार्यालय	1,00,000

10. निगम को चालू वर्ष में रोकड हानि नहीं हुई लेकिन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में रोकड हानि हुई थी। वर्ष के अंत में निगम की संचित हानियाँ उसके अपने शुद्ध मूल्य से (हानि से पहले) कम है।
11. निगम के रिकॉर्ड के अनुसार निगम ने किसी वित्तीय संस्थान या बैंक से उधार नहीं लिया इसलिये उपयुक्त उपवाक्य का प्रावधान लागू नहीं होता। निगम ने बैंक में रखी स्थाई जमा के सामने एक बैंक से ओवर ड्राफ्ट लिया और वर्ष के दौरान उसका पुनर्भुगतान कर दिया
12. हमें दी गई जानकारीयों और स्पष्टीकरणों के अनुसार निगम ने शेयर, ऋणपत्र और अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रख कर कोई ऋण नहीं दिया है।

6. To the best of our knowledge and according to the information and explanation given to us the Corporation has not accepted any deposits during the year from the public within the meaning of the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of sections 58A and 58AA or any other relevant provisions of the Act and the rules framed there under.
7. In our opinion, the internal audit system is reasonable and sufficient in commensurate with the size and the nature of its business.
8. According to information and explanations given to us the Central Government has not prescribed maintenance of cost records under clause (d) or sub-section (1) of section 209 of the Act.
9. (a) According to the information and explanations given to us and according to the books and records as produced and examined by us, in our opinion, undisputed statutory dues including provident fund, employees state insurance, income tax, sales tax, customs duty, excise duty, cess and other material statutory dues applicable to the Corporation have generally been regularly deposited with the appropriate authorities. According to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of income tax, wealth tax, sales tax, customs duty, excise duty and cess were in arrears, as at 31st March, 2011 for a period of more than six months from the date they became payable.
- b) According to the information and explanations given to us, there are no dues of Sales Tax/Income Tax/Custom Duty/Wealth Tax/service Tax/Excise Duty/Cess that have not been deposited on account of any dispute except the following:

Nature of the Statute	Name of dues	Forum where the matter is pending	Amount
The West Bengal Sales Tax Act	Claim from the sales tax authorities for film distribution business payable for the period from 10.09.1994 to 31.03.2007 for which appeal has been filed.	The Commercial Tax Officer, Sales Tax office, Kolkata	20,70,362
Income Tax Act, 1961	Penalty u/s 271B of the Act, (A.Y.2002-2003)	Office of the Assistant Commissioner Income Tax Act-11(1)	1,00,000

10. The Corporation has not incurred cash loss during the current year and but incurred cash loss during the preceding financial year. The accumulated losses of the Corporation is less than of its net worth (before losses) as on the year end.
11. According to the records of the Corporation, the Corporation has not borrowed from any financial institution or Bank. Thus the provision of the said clause does not apply. The Corporation has obtained overdraft from a Bank against the security of fixed deposit placed with the Bank and the same has been fully repaid during the year.
12. As per the information and explanations given to us, the Corporation has not granted any loans or advances on the basis of security by way of pledge of shares, debentures, and other securities.

13. आदेश के उपवाक्य (xiii) के अंतर्गत दर्शाये गये किसी विशेष प्रतिमा के प्रावधान निगम को लागू नहीं है।
14. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार निगम शेयर्स, सिक्युरिटीज, डिबेंचर्स तथा अन्य निवेशों में लेन देन नहीं करता. इसके अलावा निगम द्वारा अपने नाम से रखे गये निवेश है.
15. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार निगम ने दुसरो द्वारा लिये गये ऋणों के लिये कोई गारंटी नहीं दी है.
16. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार निगम ने भारत सरकार से जो सावधि ऋण लिया उसका उपयोग वही किया गया जिस उद्देश से ये ऋण लिये गये थे.
17. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार निगम ने भारत सरकार से जो सावधि ऋण लिया उसका उपयोग उन्हे लंबी अवधि के लिये विनियोजित करने में नहीं किया है.
18. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान निगम ने भारत सरकार के लिए प्रत्येक रु. 100 के अंकित मूल्य पर 31,40,000 ईक्विटी शेयर्स का आबंटन जारी किया है. हमारी राय में जिस मूल्य पर शेयर जारी किये गये हैं वे निगम के हितों के प्रतिकूल नहीं है.
19. निगम ने चालू वर्ष में कोई ऋण पत्र जारी नहीं किये है अतः चार्ज सृजन करने का प्रश्न ही नहीं उठता.
20. निगम ने पब्लिक इश्यू के द्वारा धन अर्जित नहीं किया है अतः पब्लिक इश्यू के द्वारा अर्जित धन राशि का प्रबंधन द्वारा अंतिम उपयोग के प्रकटीकरण और उसके सत्यापन का प्रश्न ही नहीं उठता.
21. हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान निगम पर या इसके द्वारा कोई धोकाधड़ी नहीं देखी गई और न ही रिपोर्ट की गई.
13. The provisions of any special statute as specified under clause (xiii) of the Order are not applicable to the Corporation.
14. According to information and explanation given to us, the Corporation is not dealing in share, securities, debentures and other investments. Besides, investments have been held by the Corporation, in its own name.
15. According to the information and explanations given to us, the Corporation has not given any guarantee for loan taken by others.
16. According to information and explanations given to us, the Corporation has utilized the term loan taken from the Government of India in the past for the purpose for which it was taken.
17. According to information and explanations given to us, the Corporation has not utilized the short term funds for long term investments.
18. According to information and explanations given to us, during the year the Corporation has issued equity shares allotment of 31,40,000 shares to Government of India at face value of Rs.100 each. In our opinion the price at which the shares were issued is not prejudicial to the interests of the Corporation.
19. The Corporation has not issued any debentures in the current year. Hence the issue of creation of charge does not arise.
20. The Corporation has not raised money by public issue and hence the question of disclosure by Management on the end use of money raised by public issue and its verification does not arise.
21. In our opinion and according to the information and explanation given to us, no fraud on or by the Corporation has been noticed or reported during the year.

स्थान : मुंबई
Date : 21st June 2011.

दिनांक : 21 जून 2011.
Place : Mumbai.

पी.डी. दलाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 102047 डब्ल्यू

(श्रीराम के. देशपांडे)
साझेदार
एम. सं. : 043603

For P. D. DALAL & Co.
Chartered Accountants
FRN 102047W

(Shriram K. Deshpande)
Partner
M. No. 043603

वर्ष 2010-11 के लेखाओं पर लेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन की तरफ से प्रत्युत्तर
REPLY OF MANAGEMENT TO THE AUDITOR'S COMMENTS ON THE ACCOUNTS FOR THE YEAR 2010-11
पैरा VI (क)

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में उम विविध देनदारों, ऋणों, जमाओं और अग्रिमोंकी पुष्टी के संबंध में पत्र भेजे हैं जो 31 मार्च 2010 को लेखा पुस्तकों में बकाया दिखाये गये हैं। कुछ पार्टियों से इनके प्रत्युत्तर मिले हैं। टीडीएस/वैट इत्यादि पुराने शेष को मिलाया जा रहा है हालांकी सभी चालू कर देयक देयताएं मिलायी जा चुकी हैं। लेखा पुस्तकोंमें उन विविध देनदारों, ऋणों, जमाओं और अग्रिमों का जो तीन साल से ज्यादा समय से बकाया हैं और आगे लाये जाते रहे हैं, पर्याप्त प्रावधान किया गया है। इन सबके अलावा टि.वी मार्केटिंग देनदारों से वसूली तथा अन्य लंबे समय से चले आ रही देनदारियों की वसूली के लिये अदालत में मुकदमे भी दायर किये गये हैं।

वर्तमान दायित्व मुख्यता मिडीया अभियान भुगतान के लेखा से संबंधित है। तत्पश्चात बहुत सारी देनदारियों का निपटारा कर दिया गया है।

पैरा VI (ख)

निगम ने 31 मार्च 2010 को वीआरएस योजना की घोषणा की थी। प्राप्त आवेदनों में से प्रबंधन ने 35 कर्मचारियों के आवेदन को स्वीकार किया था। 35 कर्मचारियों को देय अनुग्रह राशि 426.02 लाख रुपए है। वर्ष के दौरान निगम ने लाभ और हानि खाता के लिए 426.02 लाख रुपये की राशि प्रभारित की है जो कि 35 कर्मचारियों के वीआरएस व्यय के परिशोधन के रूप में है।

पैरा VI (ग)

निगम ने ग्रुप ग्रेच्युटी ट्रस्ट बनाया है और ग्रेच्युटी फंड के लिये अंशदान इस ट्रस्ट के माध्यम से एक एल.आय.सी. वार्षिकी पॉलिसी को किया जाता है। विगत सेवा की भुगतान न की गई देयताएं निगम के अपने स्रोतों से अगले एक साल में पूरी की जाएगी।

पैरा VI (घ)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त दिनांक 6 अगस्त 2009 की पत्र संख्या 202/21/2009-एफ (पीएसयू) पर विचार करने के बाद निदेशक मंडल ने यह माना कि फिल्म उद्योग में प्रचलित प्रथाओं के अनुरूप एनएफडीसी को किसी फिल्म के निर्माण की कुल लागत व्यय का 10 प्रतिशत निर्माता की फीस और सभी बिक्रियों पर 15 प्रतिशत कमीशन दिये जाना चाहिए। तदनुसार, वर्ष के दौरान पूर्ण हुई एक फिल्म के संदर्भ में, वर्तमान वर्ष में निगम के खाते में निर्माता की फीस के रूप में 6.24 लाख रुपए जमा हुए हैं। इसे भारत सरकार के लिए प्रस्तुत और उनके द्वारा स्वीकृत एनएफडीसी की रिवाइवल प्लान में भी शामिल किया गया है।

पैरा VI (ङ)

निपटान किये गये पुराने फर्नीचर और फिक्स्चर 1995-96 से भी पूर्व वर्षों से संबंधित हैं जिनकेकिताबी मूल्य का सही सही विवरण आदि उपलब्ध नहीं हैं। अतः बिक्रीसे प्राप्त 0.38 लाख रुपए की राशि को अन्य आय के रूप में दर्ज किया गया है।

पैरा VI (च)

फिल्म “गांधी” के विदेशों में वितरण की आय, विदेशी एजेंट के द्वारा कैलेंडर वर्ष के आधार पर छमाही (जून और दिसंबर) वित्तीय विवरण के अनुसार लेखा पुस्तकों में ली जाती है। चूंकी यह क्रम निरंतर जारी है अतः कैलेंडर वर्ष के आधार पर लेखा आय पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा।

पैरा VI (छ)

निगम ने उन टीवी विपणन देनदारों के ऊपर बकाया राशि की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया है जिनके ऊपर लंबे समय से बकाया था। निगम को रिकॉर्ड पर उपलब्ध सबूतों पर विचार के द्वारा अनुकूल निर्णय की उम्मीद है।

पैरा VI (ज)

“बिक्री के लिए परिसंपत्तियां” पुराने उपकरण हैं जिन्हें निश्चित अवधि में बेचे जाने का इरादा है।

Para vi (a)

The Corporation has sent letters calling for confirmation in respect of Sundry Debtors, Loans and Advances and Deposits outstanding in the Books of Accounts as on 31st March 2011. Responses have been received from some of the parties. Old balances of TDS/VAT etc. are being reconciled however all current tax liabilities are met. Adequate provision have been made in the Books for Sundry Debtors, Loans and Advances outstanding for more than 3 years duly carried forward from previous years. Further, legal cases have been filed for recovery in respect of TV Marketing debtors and other outstanding dues.

Current liabilities are mainly on account of Media Campaign payments. Most of the dues have been cleared subsequently.

Para vi (b).

The Corporation had announced a VRS Scheme on 31st March 2010. Out of the applications received, the management had accepted applications of 35 employees. The ex-gratia amount payable to 35 employees worked out to Rs.426.02 Lakhs. During the year the Corporation has charged to Profit & Loss Account an amount of Rs. 426.02 Lakhs as amortization of VRS expense of 35 employees.

Para vi (c)

The Corporation has formed a Group Gratuity Trust and the contribution to the Gratuity Fund is paid through the trust to an LIC annuity policy. The unfunded liability of past service will be met out of the Corporation's own resources / funded in installments over the next one year.

Para vi (d)

The Board of Directors after considering the letter no. 202/21/2009-F(PSU) dated 6th August 2009 received from the Ministry of Information & Broadcasting held that NFDC should be given a producer fee of 10% of the total cost of the production of a film and 15% commission on all sales effected by it in accordance with industry norms. Accordingly, the Corporation has accounted for Rs. 6.24 lakhs as producers fees in the current year in respect of one film completed during the year. This has also been included in the revival plan of NFDC submitted to and approved by the Government of India.

Para vi (e)

The old furniture and fixtures disposed of are pertaining to period prior to 1995-96 for which exact details of book value, etc are not readily available. Hence the amount of Rs .0.38 lakhs has been recorded as other income.

Para vi (f)

The accounting of overseas distribution income for the film “Gandhi” which is distributed half yearly (June & December) on calendar year basis by the foreign agent, is accounted in the books as per the statement received from the agent. Since the practice has been followed consistently, there will not be any major impact on accounting income on calendar year basis.

Para vi (g)

The Corporation has filed suit for recovery of dues from TV Marketing debtors which were long outstanding. The Corporation is hopeful of getting favorable judgment considering the evidences available on record.

Para vi (h)

“Assets held for sale” are old equipment which are intended to be sold in due course.

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लेखों पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 619(4) OF THE COMPANIES ACT, 1956 ON THE ACCOUNTS OF NATIONAL FILM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2011.

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड का दिनांक 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के अनुसार तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा अधिकारी द्वारा वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा एवं आश्वासन मानकों के अनुसार कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अंतर्गत अपनी स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के बारे में राय व्यक्त करने के लिये जिम्मेदार है, यह उनको दिनांक 21 जून 2011 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा किये गये काम को बताया गया है।

मैंने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड के 31 मार्च 2010 के समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (3) (ख) के अधीन पूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के कामकाज पत्रजात की पड़ताल किये बिना ही स्वतंत्र रूप से पूरी की गई और यह मूलतः वैधानिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिक से प्रारंभिक पूछताछ और कुछ लेखा रिकॉर्ड के चुने गये परीक्षण तक सीमित रही। अपनी पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत मे कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर रोशनी डालना चाहूंगी जो कि मेरे ध्यान में आये है और मेरे विचार से वित्तीय विवरणों एवं तत्सम्बंधी लेखा परीक्षा के रिपोर्ट को बेहतर रूप समझने के लिए आवश्यक है।

तुलन पत्र

निधियों का विनियोग

प्रारंभिक व्यय (समायोजित अथवा बट्टेखाते में न डाली गई सीमा तक) रु. 17.76 लाख

उपर्युक्त दर्शाया गया व्यय कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि के लिए पंजीकरण शुल्क तथा स्टाम्प ड्यूटी भुगतान के रूप में है। कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 (3ग) के अंतर्गत लेखा मानक 26 के अनुसार खर्चे व्यय के रूप में प्रभावित किए जाने चाहिए।

खर्च के रूप में चार्ज न करने से यह राशि वर्ष के लिए प्रारम्भिक व्यय का अधिक विवरण है (समायोजित अथवा बट्टेखाते में न डाली गई सीमा तक) और कर पूर्व सकल लाभ रु. 17.76 लाख से अधिक दर्शाया गया है।

भारत के नियंत्रक तथा लेखा परीक्षक की ओर से

(अल्का आर. भारद्वाज)

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षक

पदेन सदस्य लेखा परीक्षक मंडल, मुंबई

स्थान : मुंबई

दिनांक : 24 अगस्त 2011

The preparation of financial statements of Natinoal Film Development Corporation Limited for the year ended 31 March 2011 in accordance with the financial reporting prescribed under the Companies Act, 1956 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 619(2) of the Companies Act, 1956 is responsible for expressing opinion on these financial statements under section 227 of the Companies Act, 1956 based on independent audit in accordance with the auditing and assurance standards prescribed by his professional body, the Institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 21 June 2011.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 619(3) (b) of the Companies Act, 1956 of the financial statements of National Film Development Corporation Limited for the year ended 31 March 2011. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditor and is limited primarily to inquiries of the statutory auditor and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 619 (4) of the Companies Act, 1956 which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related Audit Report:

Balance Sheet

Application of Funds

Preliminary Expenditure (To the extent not written off or adjusted) - ₹17.76 Lakh

The above represent expenses towards registration charges and stamp duty paid for increase in the Authorised Share Capital of the Company. The expenditure should have been charged off as expense in accordance with Accounting Standard 26 issued under section 211 (3C) of the Company Act, 1956.

Non-charging of the amount as expenses for the year led to overstatement of Preliminary Expenditure (To the extent not written off or adjusted) and Net Profit before Tax by ₹ 17.76 lakh.

For and on the behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

(ALKA R. BHARDWAJ)

Principal Director of Commercial Audit and
Ex-Officio Member, Audit Board-I, Mumbai

Place : Mumbai

Date : 24th Aug 2011

तुलन-पत्र सारांश और कोर्पोरेशन का सामान्य व्यवसाय प्रोफाइल

BALANCE SHEET ABSTRACT AND CORPORATION'S GENERAL BUSINESS PROFILE

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग IV के अंतर्गत सूचनाएं

Information under Part IV of Schedule VI to the Companies Act, 1956.

1) कंपनी पंजीकरण विवरण:

पंजीकरण क्रमांक	7750
राज्य कोड क्र.	11
तुलन-पत्र तिथी	31.03.2011

i) Companies Registration Details:

Registration No.	7750
State Code No.	11
Balance Sheet Date	31.03.2011

2) कंपनी पंजीकरण विवरण:

(राशि हजार में)

विवरण	2010-11
पब्लिक इश्यू	शून्य
राइट इश्यू	शून्य
बोनस इश्यू	शून्य
प्राइवेट प्लेसमेंट	31,40,00

ii) Capital raised during the year:

(Amount in Rs.Thousand)

Particulars	2010-11
Public Issue	Nil
Rights Issue	Nil
Bonus Issue	Nil
Private Placement	31,40,00

3) निधियों के संघटन और परिनियोजन की स्थिति

(राशि हजार में)

विवरण	2010-11
कुल देयताएं	5,23,861
कुल परिसंपत्तियां	5,23,861

iii) Position of Mobilization and Deployment of Funds

(Amount in Rs.Thousand)

Particulars	2010-11
Total Liabilities	5,23,861
Total Assets	5,23,861

निधियों के स्रोत:

(राशि हजार में)

विवरण	2010-11
प्रदत्त पूंजी	4,53,998
प्रारक्षितियां व आधिक्य	233
आस्थगित सरकारी अनुदान	69,630
प्रतिभुतित ऋण	शून्य
अप्रतिभुतित ऋण	शून्य
कुल	5,23,861

Sources of Funds:

(Amount in Rs.Thousand)

Particulars	2010-11
Paid-up Capital	4,53,998
Reserves & Surplus	233
Deferred Govt. grant	69,630
Secured Loans	Nil
Unsecured Loans	Nil
Total	5,23,861

निधियों का प्रयोग:

(राशि हजार में)

विवरण	2010-11
निवल स्थाई सम्पत्तियां	50,574
निवेश	शून्य
निवल चालू संपत्तियां	1,42,611
संचित हानियां	3,30,676
कुल	5,23,861

Application of Funds:

(Amount in Rs.Thousand)

Particulars	2010-11
Net Fixed Assets	50,574
Investments	Nil
Net Current Assets	1,42,611
Accumulated Losses	3,30,676
Total:	5,23,861

4) कॉर्पोरेशन का निष्पादन:

(राशि हजार में)

विवरण	2010-11
टर्न-ओवर/आय	18,49,970
कुल व्यय	18,34,436
कर पूर्व लाभ(हानि)	15,534
कर पश्चात लाभ (हानि)	15,534
प्रति शेयर अर्जन	3.71
लाभांश दर %	शून्य

iv) Performance of the Corporation:

(Amount in Rs.Thousand)

Particulars	2010-11
Turn-over/Income	18,49,970
Total Expenditure	18,34,436
Profit (Loss) Before Tax	15,534
Profit (Loss) After Tax	15,534
Earning per share	3.71
Dividend Rate %	Nil

5) कॉर्पोरेशन के चार मुख्य उत्पादों/सेवाओं के वर्गीय नाम
(मौद्रिक नियमों के अनुसार):

क्र.सं.	मद कोड क्र.	सेवा विवरण
अ)	लागू नहीं	फिल्मों का वितरण
ब)	लागू नहीं	उपकरण किराया और तकनीकी सेवाएं
स)	लागू नहीं	फिल्म निर्माण व वित्त पोषण
द)	लागू नहीं	मीडिया निर्माण एवं रिलीज़

v) Generic Names of four principal products/services of the Corporation (as per monetary terms):

Sr. No.	Item Code No.	Service Description
a)	N.A.	Distribution of Films
b)	N.A.	Equipment Rental and Technical Services
c)	N.A.	Film Production and Financing
d)	N.A.	Media Production and release.

अनुसूची 1 से 25 को हस्ताक्षर Signature to Schedule 1 to 25

कृते पी.डी. दलाल अँड कं.
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन 102047 डब्ल्यू)

For P.D Dalal & Co
Chartered Accounts
(FRN 102047W)

(श्रीराम के. देशपाण्डे)
साझेदार
सदस्य क्र. 043603

(Shriram K. Deshpande)
Partner
M.No. 043603.

स्थान : मुंबई,
दिनांक : 21 जून 2011

Place: Mumbai
Dated: 21st June 2011

निदेशक मंडल की ओर से

**For and on behalf of
board of directors**

नीना लाठ गुप्ता
प्रबन्ध निदेशक
Nina Lath Gupta
Managing Director

साहब नारायण
निदेशक
Sahab Narain
Director (Finance)

इ. जे पॉल
कंपनी सचिव / प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)
E. J. Paul
Company Secretary / M(F&A)